सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के वित्त

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के वित्त

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त		
उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य	-	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-	1
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	11
पूंजीगत प्राप्तियाँ	1.4	18
लोक लेखे	1.5	20
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	20
व्ययों की गुणवत्ता	1.7	25
राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	29
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.9	32
ऋण प्रबन्धन	1.10	35
राजकोषीय असंतुलन	1.11	38
निष्कर्ष	1.12	41
अध्याय 2 वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	43
विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण	2.2	43
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.3	44
चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.4	54
निष्कर्ष	2.5	55
अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न किया जाना	3.1	57
विस्तृत आकस्मिक बिल	3.2	57
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.3	58
लम्बित प्रकरणों की रिर्पोटिंग	3.4	59

लघुलेखा शीर्ष–'800' का परिचालन	3.5	60
धनराशियों को केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तान्तरण न किया जाना	3.6	60
नकद अवशेषों में भिन्नता	3.7	61
वैयक्तिक जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण	3.8	61
दिये गए अनुदान/ऋण के विवरण का अप्रस्तुतीकरण	3.9	61
निष्कर्ष	3.10	62
अध्याय 4 विविध आरक्षित निधियों के प्रबन्धन पर वृहद प्रस्तर		
प्रस्तावना	4.1	63
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	4.2	63
लेखापरीक्षा मापदण्ड	4.3	63
कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि	4.4	63
वित्तीय स्थिति	4.5	63
चयनित आरक्षित निधियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं संवितरण	4.6	64
आरक्षित निधियों का सृजन	4.7	65
आरक्षित निधियों का संचालन	4.8	66
राज्य आपदा मोचन निधि का संचालन	4.9	67
राज्य सड़क निधि का संचालन	4.10	69
असंचालित आरक्षित निधियाँ	4.11	71
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अविभाजित अवशेषों का समाधान नहीं होना	4.12	71
निष्कर्ष	4.13	72

परिशिष्टियाँ		
परिशिष्ट 1.1	उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य	75
परिशिष्ट 1.2	भाग–अ: राज्य सरकार के लेखे का रूप एवं संरचना	77
	भाग–ब: वित्त लेखे का प्रारूप	77
परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2013–14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	79
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2013–14 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की पुनरीक्षित अनुमान से तुलना	83
परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	85
परिशिष्ट 1.6	(अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2009–14 के लिए (ब) करेतर राजस्व वर्ष 2009–14 के लिए	88
परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2014 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	89

परिशिष्ट 2.1	बचत के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरण	91
परिशिष्ट 2.2	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी।	101
परिशिष्ट 2.3	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था	105
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	106
परिशिष्ट 2.5	अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	108
परिशिष्ट 2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	109
परिशिष्ट 2.7	वर्ष 2013–14 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण	114
परिशिष्ट 2.8	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	128
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	129
परिशिष्ट 2.10	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण	131
परिशिष्ट 2.11	व्यय की अधिकता	134
परिशिष्ट 2.12	समीक्षित अनुदान का सार	138
परिशिष्ट 3.1	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशो का विवरण	139
परिशिष्ट 3.2	दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2014 तक लम्बित थी)	140
परिशिष्ट 3.3	चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	141
परिशिष्ट 3.4	लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	142
परिशिष्ट 3.5	लघुशीर्ष '800–अन्य व्यय' के अन्तगर्त मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण	143
परिशिष्ट 4.1	31 मार्च 2014 को आरक्षित निधियों का विवरण	144
परिशिष्ट 4.2	(अ) 31 मार्च 2014 को संचालित आरक्षित निधियाँ	146
	(ब) 31 मार्च 2014 को असंचालित आरक्षित निधियाँ	147
परिशिष्ट 5	**शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)**	
	गणना का आधार	148
	पदों की व्याख्या	149
	प्रथमाक्षरी	151

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जहाँ पर आवश्यक था, सूचनाएँ प्राप्त की गयी हैं।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित अध्याय 3 वर्तमान वर्ष में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में विविध आरक्षित निधियों के प्रबन्धन पर वृहद प्रस्तर शामिल किया गया है।

5. विभिन्न विभागों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं परिषदों की लेखापरीक्षा तथा राजस्व प्राप्तियों पर अनुमानों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए गये हैं।

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षा किये गये लेखों के आधार पर, राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह विश्लेषणात्मक समीक्षा राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के अनुमान, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011, बजट अभिलेखों, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न वित्तीय आंकड़ों पर आधारित है। यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह अध्याय राज्य के सम्पूर्ण वित्त की प्रवृत्ति को रेखांकित करता है, बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय, वचनबद्ध व्ययों के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर (बिना राज्य सरकार के बजट के माध्यम से) राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित की गयी धनराशियों का संक्षिप्त विवरण भी है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है। इसमें अनुदानवार विनियोगों, बजट अनुमानों की तैयारियाँ तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

अध्याय 3 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा है।

अध्याय 4 में विविध आरक्षित निधियों के प्रबन्धन पर वृहद प्रस्तर शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- जैसा राजकोषीय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन 2011 द्वारा निर्धारित किया गया था, राज्य सरकार के पास ₹ 10,067 करोड़ का राजस्व आधिक्य था। राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से कम था एवं वर्ष 2013–14 के अन्त में कुल देयता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 43.4 *प्रतिशत* से कम बनाए रखा। राजस्व आधिक्य मुख्यतया राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के फलस्वरूप था।

(प्रस्तर 1.1.2)

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित निधि

- भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सीधे निधियों का हस्तान्तरण करती है। वर्तमान तंत्र के अन्तर्गत यह निधियाँ राज्य कोषागार तन्त्र के माध्यम से नहीं गुजरती हैं और इस कारण राज्य सरकार के वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं होती हैं। भारत सरकार ने

वर्ष 2013–14 में ₹ 12,282 करोड़ राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित किया।

(प्रस्तर 1.2.2)

राजस्व प्राप्तियाँ

- राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 के ₹ 1,45,904 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2013–14 में ₹ 1,68,214 करोड़ हो गयी जो मुख्यतः कर राजस्व, करेतर राजस्व, भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान एवं केन्द्रीय करों के हस्तान्तरण में वृद्धि के कारण हुई।

(प्रस्तर 1.3, 1.3.1.1, 1.3.2 एवं 1.3.3)

राजस्व व्यय

- राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 के ₹ 140,724 करोड़ से बढ़कर (12 *प्रतिशत*) वर्ष 2013–14 में ₹ 1,58,147 करोड़ हो गया।

(प्रस्तर 1.6.2)

- राजस्व व्यय के अंतर्गत, वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में, आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 11,644 करोड़ (10 *प्रतिशत*) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 5,779 करोड़ (22 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 1.7.1.2)

ऋण संवहनीयता

- वर्ष 2013–14 के अन्त में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 31.64 *प्रतिशत* था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा 2014–15 के अन्त तक निर्धारित 41.9 *प्रतिशत* से कम था।

(प्रस्तर 1.1.2)

अध्याय 2: वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट के कारण अत्यधिक बचत

- वर्ष 2013–14 में ₹ 38,715 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 35,206.95 करोड़ की कुल बचत थी जो ₹ 3,508 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

(प्रस्तर 2.2)

- कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि, ग्रामीण विकास एवं *पंचायती राज*), गृह विभाग (पुलिस), चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), नगर विकास विभाग, न्याय विभाग, महिला एवं बाल कल्याण, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), शिक्षा विभाग (माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा), समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) एवं सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत हो रही है।

(प्रस्तर 2.3.2)

अनुमोदित प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमितीकरण

- वर्ष 2005–13 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 17,743.99 करोड़ के आधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 2.3.4)

अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं निधियों का अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग

- धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण भी पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय का बाहुल्य भी वित्तीय प्रबंधन की एक गम्भीर समस्या है।

(प्रस्तर 2.3.6, 2.3.7, 2.3.10 एवं 2.3.13)

अध्याय 3: वित्तीय रिपोर्टिंग

नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में कमियाँ

- अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 1,11,348.81 करोड़) के उपभोग प्रमाण–पत्र अप्राप्त थे।

(प्रस्तर 3.1)

- 31 मार्च 2014 तक ₹ 115.96 करोड़ के 7,032 सार आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

(प्रस्तर 3.2)

- मार्च 2014 तक 1,494 वैयक्तिक जमा खातों में ₹ 5,410.50 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध थी।

(प्रस्तर 3.8)

अध्याय 4: 'विविध आरक्षित निधियों का प्रबन्धन' पर वृहद प्रस्तर

- कुल 19 आरक्षित निधियों में से 10 आरक्षित निधियाँ संचालित थीं एवं नौ आरक्षित निधियाँ विगत चार से 14 वर्षों से असंचालित थीं।

(प्रस्तर 4.5)

- सरकार ने रिजर्व बैंक की संस्तुति के बावजूद गारण्टी रिडेम्शन निधि का सृजन नहीं किया।

(प्रस्तर 4.7.1)

- सरकार ने बारहवें वित्त आयोग एवं रिजर्व बैंक की संस्तुति के बावजूद समेकित सिंकिंग फण्ड का सृजन नहीं किया।

(प्रस्तर 4.8.1.2)

- दैवीय आपदा राहत निधि में बिना व्यय के पड़ी रही धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरित नहीं की गईं।

(प्रस्तर 4.9.1)

मुख्य प्रतिवेदन

1 राज्य सरकार के वित्त

1 राज्य सरकार के वित्त

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है एवं 2.41 लाख वर्ग कि0मी0 के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ यह भारत का पाँचवा बड़ा राज्य एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 16.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014 में 20.98 करोड़[1] हो गई। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का *प्रतिशत* अखिल भारतीय औसत 21.92 *प्रतिशत* के सापेक्ष 29.43 *प्रतिशत* था। वर्ष 2013–14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 8,90,265 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 56.27 *प्रतिशत* (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 69.72 *प्रतिशत* (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय के दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2013–14 के अंत में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय[1] ₹ 37,630 थी।

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े, उदाहरणार्थ जनसंख्या घनत्व, शिशु मृत्यु दर एवं जीवन सम्भाव्यता आदि ***परिशिष्ट 1.1*** में दिये गये हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से स्वीकृत अंतिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को सूचित करता है। वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2004–05) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.1** में दी गयी है।

सारणी 1.1: वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2004–05) पर देश के सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर (*प्रतिशत* में)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर (*प्रतिशत* में)	19.20	19.78	16.89	11.91	15.66

(स्रोतः सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय)

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने 19 फरवरी 2013 को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण के अनुसार, राज्य सरकार ने 219 नई योजनाएँ शुरू कीं जिसके लिए ₹ 7,788 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 32,886 करोड़, अवस्थापना सुविधाओं के लिए

[1] पुनरीक्षित अग्रिम आगणन

₹ 26,641 करोड़, समाज कल्याण योजनाओं हेतु ₹ 20,293 करोड़, कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों हेतु ₹ 17,174 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 10,645 करोड़ तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया।

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पांच वर्षों की अवधि के समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2012–13 की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

राज्य सरकार के लेखे की संरचना ***परिशिष्ट 1.2* के भाग–अ** और वित्त लेखे की रूपरेखा **भाग–ब** में दर्शाया गया है।

1.1.1 वर्ष 2013–14 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

सारणी 1.2 में राज्य सरकार के वर्ष 2012–13 के सापेक्ष 2013–14 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रस्तुत है तथा ***परिशिष्ट 1.3*** में वर्ष 2013–14 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ राजकोष की समग्र स्थिति प्रस्तुत है।

सारणी 1.2: वर्ष 2013–14 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2012-13	2013-14		2012-13	2013-14		
भाग–अ: राजस्व					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	**1,45,903.98**	**1,68,213.75**	**राजस्व व्यय**	**1,40,723.64**	**1,26,489.47**	**31,657.40**	**1,58,146.87**
कर राजस्व	*58,098.36*	*66,582.08*	सामान्य सेवायें	**59,906.72**	61,900.65	82.84	**61,983.49**
करेतर राजस्व	*12,969.98*	*16,449.80*	सामाजिक सेवायें	**53,300.32**	33,753.38	27,002.90	**60,756.28**
संघीय करों/शुल्कों का अंश	*57,497.85*	*62,776.70*	आर्थिक सेवायें	**21,337.36**	21,139.06	4,571.66	**25,710.72**
भारत सरकार से अनुदान	17,337.79	22,405.17	सहायता अनुदान एवं अंशदान	**6,179.24**	9,696.38	शून्य	**9,696.38**
भाग–ब: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**पूंजीगत परिव्यय**	**23,834.29**	**2,254.53**	**30,608.12**	**32,862.65**
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**418.80**	**589.57**	**संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**1,003.24**	**650.62**	**822.72**	**1,473.34**
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**15,819.95**	**14,900.45**	**लोक ऋणों की अदायगी**	**8,909.04**	**8,166.74**	**-**	**8,166.74**
आकस्मिकता निधि	**309.65**	**262.32**	**आकस्मिकता निधि**	**262.45**	**86.55**	**-**	**86.55**
लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,43,477.51**	**2,26,077.56**	**लोक लेखा संवितरण**	**1,29,471.51**	**2,20,459.29**	**-**	**2,20,459.29**
प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	**13,446.70**	**15,172.42**	**अंतिम रोकड़ अवशेष**	**15,172.42**	**4,020.63**	**-**	**4,020.63**
योग	**3,19,376.59**	**4,25,216.07**	**योग**	**3,19,376.59**	**3,62,127.83**	**63,088.24**	**4,25,216.07**

(स्रोतः वित्त लेखे 2012–13 एवं 2013–14)

वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 के राजकोषीय लेन देनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए:

- **राजस्व प्राप्तियों** में वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹ 22,310 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः कर राजस्व (₹ 8,484 करोड़, 15 *प्रतिशत*) एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश (₹ 5,279 करोड़, नौ *प्रतिशत*) का योगदान था। ₹ 1,68,214 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,72,234 करोड़[2] के पुनरीक्षित अनुमान से कम (₹ 4,020 करोड़) थी।

- **कर राजस्व** में वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹ 8,484 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि करों (₹ 4,775 करोड़; 14 *प्रतिशत*), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,861 करोड़; 19 *प्रतिशत*) एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 779 करोड़; नौ *प्रतिशत*) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। ₹ 66,582 करोड़ का कर राजस्व पुनरीक्षित अनुमान के ₹ 69,100 करोड़ के लक्ष्य से कम था। यद्यपि, यह तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 52,973 करोड़) से अधिक था।

- **करेतर राजस्व** में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष ₹ 3,480 करोड़ (27 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई तथा यह पुनरीक्षित बजट अनुमान से ₹ 1,125 करोड़ अधिक था। यह तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 5,723 करोड़) से अधिक था।

- **भारत सरकार से सहायता अनुदान** में वर्ष 2012–13 (₹ 17,338 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2013–14 (₹ 22,405 करोड़) में ₹ 5,067 करोड़ (29 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- **केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश** में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष ₹ 5,279 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 62,777 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 63,458 करोड़) से ₹ 681 करोड़ कम थी।

- **राजस्व व्यय** में वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹ 17,423 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 1,58,147 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,66,618 करोड़) से कम (₹ 8,471 करोड़) था।

- **राजस्व व्यय के अन्तर्गत** आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष ₹ 11,644 करोड़ (10 *प्रतिशत*) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 5,779 करोड़ (22 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर व्यय (₹ 1,26,490 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 82,043 करोड़) से बहुत अधिक (54 प्रतिशत) था।

- **पूंजीगत व्यय** (₹ 32,863 करोड़) में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष ₹ 9,029 करोड़ (38 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सड़कें एवं सेतु, ऊर्जा परियोजनाएं एवं वृहद सिंचाई में हुई। यह पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 30,053 करोड़) से भी अधिक (₹ 2,810 करोड़) थी।

- **ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली** (₹ 589 करोड़) में वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹ 171 करोड़ (41 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई परंतु यह पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 834 करोड़) से कम (₹ 245 करोड़; 29 *प्रतिशत*) थी। ऋणों एवं अग्रिमों का

[2] मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2014 को प्रस्तुत करता है।

संवितरण (₹ 1,473 करोड़) भी पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,780 करोड़) से कम था। **लोक ऋण प्राप्तियों** (₹ 14,900 करोड़) में वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹ 920 करोड़ (छः *प्रतिशत*) की कमी आई।

- **लोक लेखे की प्राप्तियों में** (₹ 2,26,078 करोड़) वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹ 82,600 करोड़ (58 *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः उचंत एवं विविध शीर्षों के प्राप्तियों में ₹ 62,985 करोड़ (64 *प्रतिशत*), प्रेषण में ₹ 7,566 करोड़ (47 *प्रतिशत*) एवं निक्षेपों और अग्रिमों में ₹ 9,149 करोड़ (106 *प्रतिशत*) के कारण हुई। **लोक लेखा संवितरण में** वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹ 90,987 करोड़ (70 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2013–14 में **आकस्मिकता निधि से** ₹ 86.55 करोड़ के प्रत्याहरण की प्रतिपूर्ति शेष थी।

- **नकद अवशेषों** (₹ 4,021 करोड़) में विगत वर्ष के ₹ 15,172 करोड़ की तुलना में ₹ 11,151 करोड़ (73 *प्रतिशत*) की कमी हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, फरवरी 2004 में पारित किया गया था जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विधान सभा में रखे, जिसमें निर्धारित राजकोषीय सूचकों को पांच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये। अधिनियम को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गयेः

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।

- राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अनधिक तक कम किया जाना। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में व्यापक मन्दी को देखते हुये भारत सरकार ने राज्यों को उनका वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार *प्रतिशत* की सीमा तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी।

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 *प्रतिशत* से अधिक न हो।

- यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं दी जाये।

- इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या दैवीय आपदाओं से उपजी अप्रत्याशित मांग को इस शर्त के साथ कि आपदा को प्रदान की गई वास्तविक राजकोषीय लागत से अधिक न हो, को छोड़कर, राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा को नहीं लांघ सकता है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया (सितम्बर 2011) तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011–15 की अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना एवं धीरे–धीरे वर्ष 2014–15 तक ऋण के स्तरों में कमी लाना था। **सारणी 1.3** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

सारणी 1.3: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल देयता (जी.एस.डी.पी.के *प्रतिशत* में)
2011-12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	46.9
2012-13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	45.1
2013-14	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	43.4
2014-15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	41.9

(स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना, सितम्बर 2011)

वर्ष 2013–14 में राज्य की उपलब्धियाँ, बजट में उपबंधित मुख्य परिवर्ती कारक, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य पर आधारित है, जिसे **सारणी 1.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.4: वर्ष 2013–14 में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय लक्ष्य	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य/प्रक्षेप	पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना में प्रक्षेप/एम.टी.एफ.पी.	वास्तविक आँकड़े
राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)(₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	(+)5,617	(+)5,617	(+)10,067
राजकोषीय घाटा (–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं अर्थात ₹ (-)26,708 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं अर्थात ₹ (-) 26,708 करोड़	2.97 *प्रतिशत*	2.97 *प्रतिशत*	2.66 *प्रतिशत*
कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 43.4 *प्रतिशत* (₹ 3,86,375 करोड़)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 43.4 *प्रतिशत* (₹ 3,86,375 करोड़)	27.70 *प्रतिशत*	27.70 *प्रतिशत*	31.64 *प्रतिशत*

(स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर 2011)

सारणी 1.4 से यह प्रदर्शित है कि राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा था। इस प्रकार, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए। यद्यपि, वर्ष 2013–14 के अंत में कुल बकाया ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात पुनरीक्षित बजट अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं पंचवर्षीय राजकोषीय योजना द्वारा किए गये अनुमान से अधिक था।

राजकोषीय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्याप्त उपाय शुरू किया जाना चाहिये।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े

पुनरीक्षित अनुमान

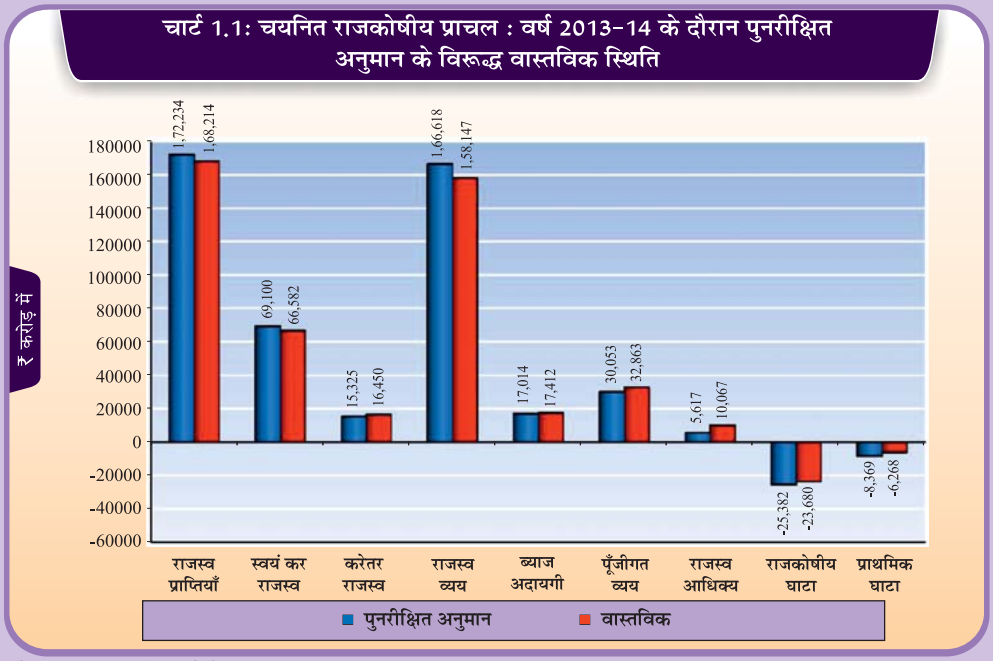
प्राप्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना था जिसमें मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 63,458 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना था तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 65,749 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 7,122 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 64,697 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 3,798 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने अपने बजट अनुमानों में राजकोष के अंतर्गत राजस्व आधिक्य (₹ 9,856 करोड़), राजकोषीय घाटे (₹ 23,913 करोड़) एवं प्राथमिक घाटे (₹ 6,859 करोड़) का आकलन किया।

पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण है। राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से किसी प्रकार का विचलन या तो ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों या राजस्व प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमान वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं।

वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े **चार्ट 1.1** और ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गये हैं।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय प्राचल : वर्ष 2013-14 के दौरान पुनरीक्षित अनुमान के विरूद्ध वास्तविक स्थिति



(स्रोतः बजट एवं वित्त लेखे 2013-14)

- **वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ** (₹ 1,68,214 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,72,234 करोड़) से ₹ 4,020 करोड़ कम थी। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत

स्वयं के कर राजस्व के संग्रह में ₹ 2,518 करोड़ की कमी हुई जबकि **करेतर राजस्व** पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 1,125 करोड़ अधिक था। **स्वयं के कर राजस्व** में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 2,254 करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 544 करोड़) एवं वाहन कर (₹ 99 करोड़) में कमी के कारण हुई। **करेतर राजस्व** (₹ 1,125 करोड़) में वृद्धि मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों (₹ 224 करोड़) एवं विविध सामान्य सेवाओं (₹ 223 करोड़) में वृद्धि होने के कारण हुई।

- **राजस्व व्यय** (₹ 1,58,147 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,66,618 करोड़) से कम (₹ 8,471 करोड़) थी। यह कमी सामाजिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में पाई गई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 4,993 करोड़, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 2,714 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 682 करोड़ की कमी हुई। **सामाजिक सेवाओं** के अंतर्गत कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,940 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 901 करोड़) तथा श्रम एवं श्रम कल्याण (₹ 782 करोड़) में हुई। **सामान्य सेवाओं** के अंतर्गत कमी प्रशासनिक सेवाओं (₹ 1,601 करोड़) में हुई। **आर्थिक सेवाओं** के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,032 करोड़) तथा कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं (₹ 682 करोड़) के कारण हुई कमी परिवहन मद के अंतर्गत अधिक व्यय (₹ 1,125 करोड़) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

- **ब्याज की अदायगी** (₹ 17,412 करोड़) पर हुआ व्यय पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 17,014 करोड़) से ₹ 398 करोड़ अधिक था।

- **पूँजीगत व्यय** पुनरीक्षित बजट अनुमान से ₹ 2,810 करोड़ अधिक था। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं (₹ 3,507 करोड़) के कारण हुई। यद्यपि, सामाजिक सेवाओं (₹ 362 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (₹ 335 करोड़) में कम व्यय हुआ।

- **राजस्व आधिक्य (₹** 10,067 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान **(₹** 5,617 करोड़) से अधिक (₹ 4,450 करोड़) था तथा **राजकोषीय घाटे** (₹ 23,680 करोड़) में पुनरीक्षित अनुमान (₹ 25,382 करोड़) के सापेक्ष कमी (₹ 1,702 करोड़) हुई। वर्ष 2013–14 में **प्राथमिक घाटा** पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 8,369 करोड़ के सापेक्ष ₹ 6,268 करोड़ था।

वर्ष 2013–14 में प्राप्तियों एवं व्ययों का पैटर्न तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था।

पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में व्यापक भिन्नता को कम करने के लिये अनवरत निगरानी सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

1.1.4 राज्य सरकार की राजकोषीय नीति संबंधी विवरण

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अपने बजट भाषण में स्वयं के कर राजस्व में 19 *प्रतिशत* (2012–13 के सापेक्ष) की वृद्धि की घोषणा की एवं तद्नुसार वर्ष 2013–14 की अवधि में कर आधार में वृद्धि के प्रस्ताव दिये।

राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में हुई वृद्धि **सारणी 1.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.5: स्वयं के कर राजस्व

विवरण	धनराशि
वर्ष 2012–13 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	58,098
वर्ष 2013–14 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	66,582
वर्ष 2013–14 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (₹ करोड़ में)	8,484
वर्ष 2013–14 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (*प्रतिशत* में)	14.60

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी यह इंगित करती है कि वर्ष 2013–14 में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व में 19 *प्रतिशत* की वृद्धि की घोषणा के विरूद्ध 14.60 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

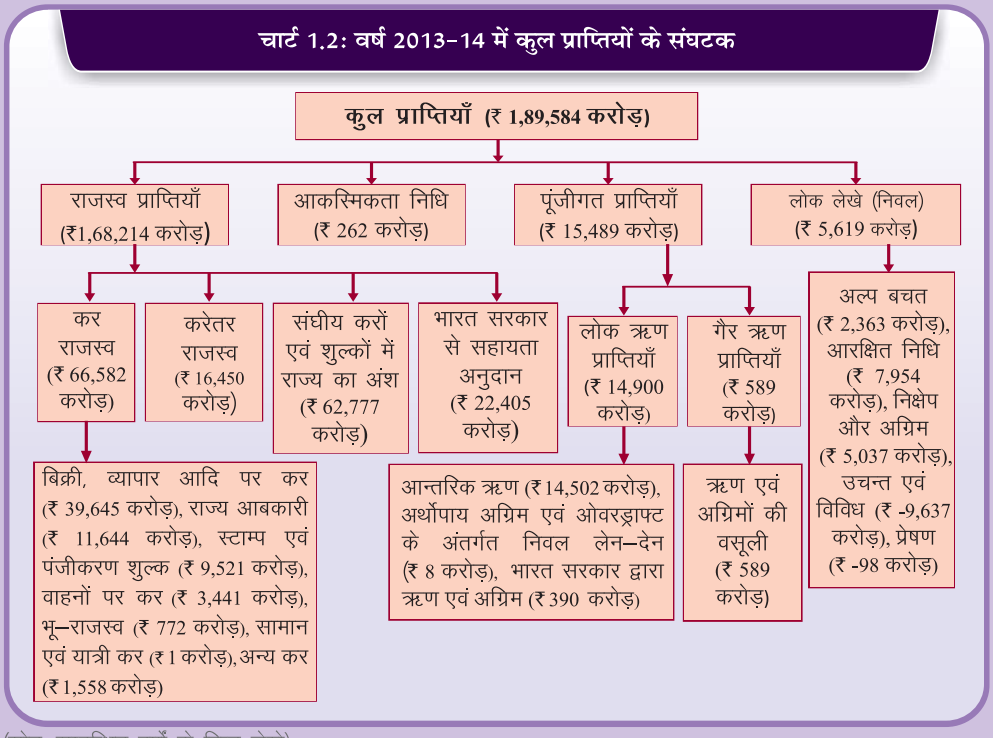
1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधनों के अंतर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, राज्यों के संघीय करों एवं शुल्क तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियों जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ही साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

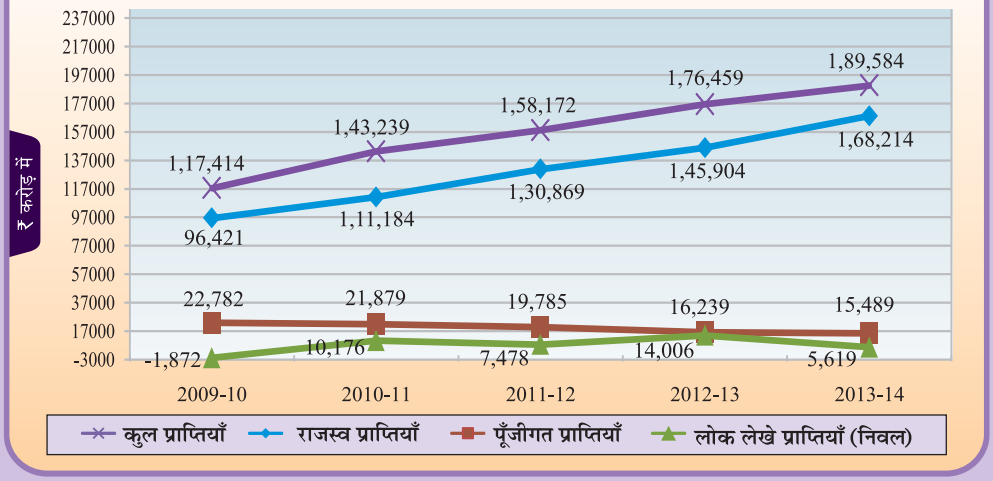
सारणी 1.2 राज्य सरकार के वर्ष 2013–14 में वार्षिक वित्त लेखे में अंकित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। **चार्ट 1.2** कुल प्राप्तियों की संरचना दर्शाता है। **चार्ट 1.3** वर्ष 2009–14 में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा **चार्ट 1.4** वर्ष 2013–14 में संसाधनों के संघटकों को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2013–14 में कुल प्राप्तियों के संघटक



(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

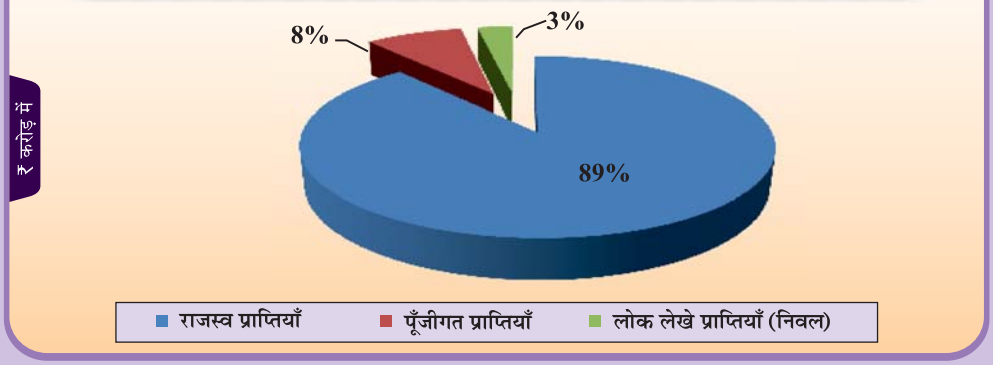
चार्ट 1.3: राज्य की आकस्मिकता निधि से प्राप्ति को छोड़कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,89,584 करोड़ थी। इसमें से राजस्व प्राप्तियाँः ₹ 1,68,214 करोड़, पूँजीगत प्राप्तियाँः ₹ 15,489 करोड़, आकस्मिकता निधि से प्राप्तियाँः ₹ 262 करोड़ और लोक लेखा प्राप्तियाँः ₹ 5,619 करोड़ (निवल)[3] थी। पुनः, कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2009–10 के ₹ 1,17,414 करोड़ के स्तर से ₹ 72,170 करोड़ (61 *प्रतिशत*) बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 1,89,584 करोड़ हो गई।

चार्ट 1.4: वर्ष 2013-14 में प्राप्तियों के संघटक



(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

चार्ट 1.4 यह दर्शाता है कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 89 *प्रतिशत* था जबकि लोक लेखा प्राप्तियाँ तीन *प्रतिशत* एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ आठ *प्रतिशत* थी।

1.2.2 राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित धनराशियाँ

भारत सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों, के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे धनराशियाँ हस्तान्तरित की जाती हैं। चूंकि वर्तमान तंत्र में ये धनराशियाँ राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से परिचालित नहीं होती हैं इसलिए राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में इनका उल्लेख नहीं

[3] लोक लेखे प्राप्तियाँः ₹ 2,26,078 करोड़ (–) लोक लेखे संवितरणः ₹ 2,20,459 करोड़

किया जाता है। इस प्रकार राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधनों का पूर्ण विवरण परिलक्षित नहीं होता है।

वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा ₹ 12,282.27 करोड़ की केन्द्रीय निधि राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तातंरित की गई, विवरण **सारणी 1.6** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.6: भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम/परियोजना	राज्य में क्रियान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ	
			2012-13	2013-14
1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मण्डलायुक्त, ग्रामीण विकास, लखनऊ	1,695.78	2,896.09
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	उ. प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ	शून्य	501.93
3	सर्व शिक्षा अभियान	निदेशक, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना बोर्ड, लखनऊ	2,880.74	4,682.07
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1,398.88	1,330.23
5	ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	1,175.53	966.41
6	ग्रामीण पेयजल– त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना	प्रबंध निदेशक, उ. प्र. जल निगम, लखनऊ	982.01	536.66
7	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	341.57	55.27
8	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	जिलाधिकारी	559.50	651.00
9	समग्र जल साया प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	129.31	95.13
10	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	निदेशक, पंचायती राज संस्थान, लखनऊ	289.76	376.32
11	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	राजकीय शहरी विकास अभिकरण, उ0 प्र0	47.07	94.51
12	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	64.70	41.53
13	हथकरघा	निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र	0.05	5.33
14	शोध एवं विकास समर्थन	विभिन्न सांविधिक निकाय आदि, जैसे आई.आई.टी. कानपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	18.90	7.15
15	एकीकृत तिलहन, पाम आयल, दलहन, मक्का विकास	विभिन्न सरकारी स्वायत्त निकाय	8.53	7.23
16	औषधीय पौधे	सरकारी स्वायत्त निकाय	8.39	4.76
17	समाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	समुदाय अनुप्रयुक्त विज्ञान हेतु स्वैच्छिक संस्थान	5.28	4.70
18	नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय अभियान	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0.57	3.32

19	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	कृषि–वन हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र	4.52	0.00
20	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	केन्द्रीय एवं राजकीय सांविधिक निकाय, पी.एस.यू. आदि	2.71	0.00
21	पंचायती राज संस्थानों, स्वैच्छिक संगठन, स्वमदद हेतु सहायता	विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे शहीद स्मारक समिति	0.82	0.00
22	जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसंधान एवं विकास	विभिन्न सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों आदि उदाहरणार्थ आई.आई.टी. कानपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	17.01	22.63
		योग	**9,631.63**	**12,282.27**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

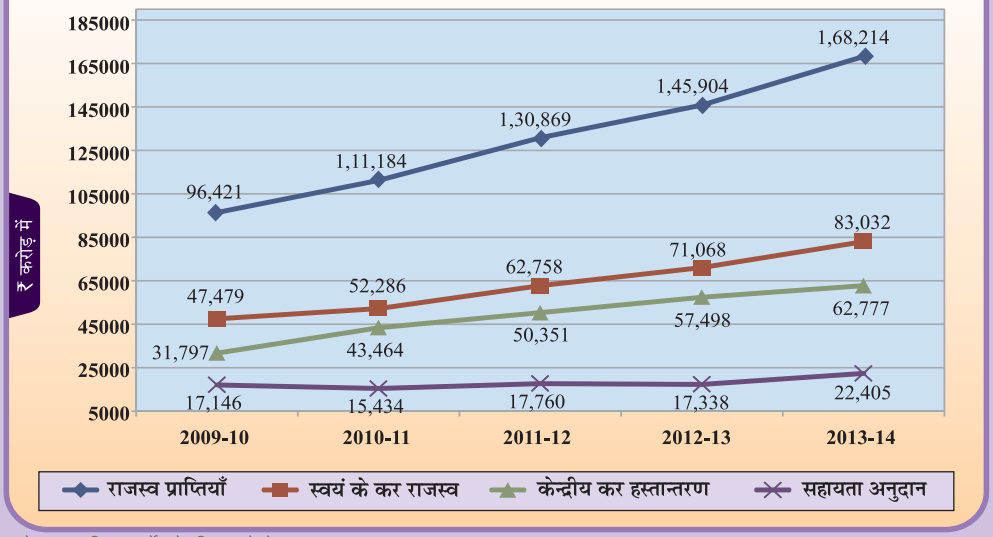
सारणी में दर्शाया गया है कि भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि वर्ष 2012–13 के ₹ 9,631.63 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 12,282.27 करोड़ हो गई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 1,801 करोड़ (63 *प्रतिशत*) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत ₹ 1,200 करोड़ (71 *प्रतिशत*) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसी प्रकार, त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत ₹ 445 करोड़ (45 *प्रतिशत*), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 286 करोड़ (84 *प्रतिशत*) तथा ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ₹ 209 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की महत्वपूर्ण कमी हुई।

राज्य सरकार के संसाधनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के **विवरण–11** में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2009–14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटक ***परिशिष्ट 1.5*** में प्रस्तुत की गयी हैं एवं क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में प्रदर्शित किया गया है।

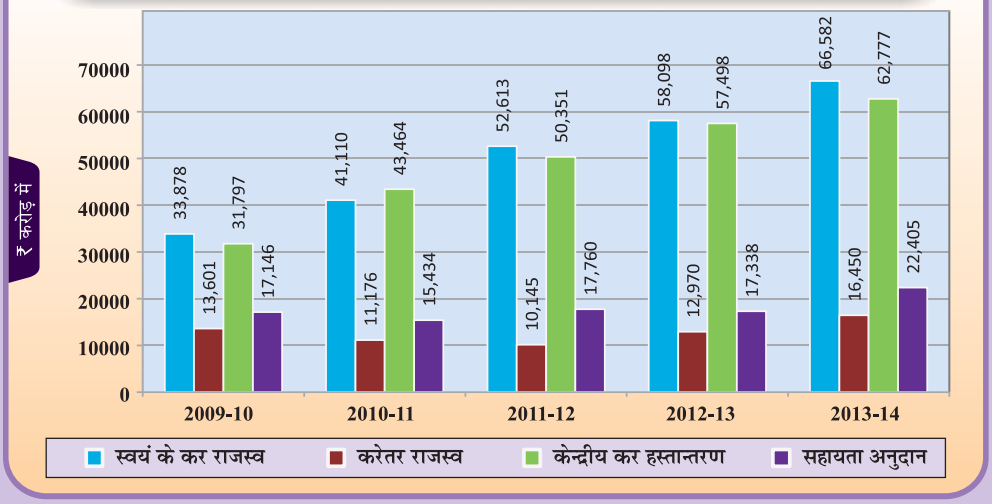
चार्ट 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5 राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,68,214 करोड़) में वर्ष 2009–14 की अवधि में बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है जो वर्ष 2009–10 के ₹ 96,421 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 1,68,214 करोड़ हो गया।

चार्ट 1.6: वर्ष 2009-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटक



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6 यह दर्शाता है कि वर्ष 2013–14 में ₹ 1,68,214 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 83,032 करोड़ स्वयं के स्रोतों, स्वयं के कर राजस्व (₹ 66,582 करोड़) एवं करेतर राजस्व (₹ 16,450 करोड़) से प्राप्त हुए तथा शेष ₹ 85,182 करोड़ भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 62,777 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 22,405 करोड़) से प्राप्त हुए।

वर्ष 2013–14 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निवल प्राप्तियों का अधिक आवंटन, व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक कर संग्रहण, भारतीय विद्युत नियम के अंतर्गत अधिक शुल्क का संग्रहण तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत करों के अधिक संग्रहण के कारण थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.7** में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 1.7: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**96,421**	**1,11,184**	**1,30,869**	**1,45,904**	**1,68,214**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	23.89	15.31	17.70	11.49	15.29
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	19.63	18.89	19.03	18.96	18.89
उत्प्लावनता अनुपात[4]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	1.244	0.774	1.048	0.964	0.976

[4] उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2010–11 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.7 का अर्थ है कि जी.एस.डी.पी. की एक *प्रतिशत* की बढ़त होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.7 *प्रतिशत* की बढ़त होगी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता	0.948	1.079	1.657	0.880	0.932
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	1.312	0.717	0.633	1.100	1.047
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.20	19.78	16.89	11.91	15.66

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.7 से प्रदर्शित है कि:

- वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता में 0.012 की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2009–10 और वर्ष 2011–12 में राजस्व प्राप्तियों की विकास दर[5] तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में समानता थी। यद्यपि, वर्ष 2010–11, 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि में प्राप्तियों में हुई वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं थी।
- राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 0.880 (2012–13) से बढ़कर 0.932 (2013–14) हो गयी। वर्ष 2009–14 की अवधि में यह 0.880 और 1.657 के बीच में रही।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, इसलिए संसाधन के संग्रहण में राज्य का निष्पादन उसके स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया।

वर्ष 2009–14 की अवधि में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह ***परिशिष्ट 1.6*** में दिया गया है। यह वर्ष 2009–10 में ₹ 47,479 करोड़ से बढ़कर (75 *प्रतिशत*) वर्ष 2013–14 में ₹ 83,032 करोड़ हो गया।

सारणी 1.8 में वर्ष 2013–14 में राज्य के वास्तविक कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियों की तुलना तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार के पुनरीक्षित बजट अनुमानों से की गयी है।

सारणी 1.8: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और राज्य द्वारा पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2013–14 के वास्तविक कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	तेरहवें वित्त आयोग का आकलन	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आँकड़े
स्वयं कर राजस्व	52,973.30	72,193.00	69,100.00	66,582.08
करेतर राजस्व	10,726.60	13,182.48	15,324.64	16,449.80
योग	**63,699.90**	**85,375.48**	**84,424.64**	**83,031.88**

(स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वित्त लेखे–वर्ष 2013–14)

[5] वर्ष 2008–09 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर 13.34 *प्रतिशत* थी।

तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2013–14 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 13,608.78 करोड़ (26 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वर्ष 2013–14 में पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान की तुलना में क्रमशः ₹ 2,517.92 करोड़ (चार *प्रतिशत*) तथा ₹ 5,610.92 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) कम था।

वर्ष 2013–14 में करेतर राजस्व में तेरहवें वित्त अयोग के मानकीय अनुमान की तुलना में ₹ 5,723.20 करोड़ (53 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। इसमें वर्ष 2013–14 में पुनरीक्षित बजट अनुमान तथा बजट अनुमान की तुलना में भी क्रमशः ₹ 1,125.16 करोड़ (सात *प्रतिशत*) तथा ₹ 3,267.32 करोड़ (25 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

1.3.1.1 कर राजस्व

कर राजस्व के अन्तर्गत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आदि आते हैं। वर्ष 2009–14 की अवधि के कर राजस्व के घटक **सारणी 1.9** में दिये गये हैं।

सारणी 1.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में वृद्धि (+)/कमी(-)की *प्रतिशतता*
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	20,825	24,837	33,107	34,870	39,645	14
राज्य उत्पाद	5,666	6,723	8,139	9,782	11,644	19
वाहनों पर कर	1,404	1,817	2,376	2,993	3,441	15
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,562	5,975	7,694	8,742	9,521	9
भू–राजस्व	663	1,134	491	805	772	-4
माल एवं यात्री पर कर	271	242	5	1	1	0
अन्य कर	487	382	801	905	1,558	72
योग	**33,878**	**41,110**	**52,613**	**58,098**	**66,582**	**15**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.9 यह इंगित करती है कि वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में कर राजस्व में ₹ 8,484 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर तथा स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली में वृद्धि के कारण हुई। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि 'कन्ट्री स्पीरिट', विदेशी मदिरा, माल्ट मदिरा तथा स्पीरिट पर राजस्व की अधिक वसूली के कारण हुई। वाहन कर में वृद्धि वाहनों की बिक्री पर करों की वसूली एवं राज्य मोटर वाहन कराधन अधिनियम के अंतर्गत अधिक कर संग्रहण के कारण हुई। यद्यपि, वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में भू–राजस्व के अंतर्गत कर संग्रहण में तीक्ष्ण कमी आई जो कि राज्य सम्पत्ति की बिक्री से कम प्राप्ति के कारण हुई।

1.3.1.2 करेतर राजस्व

करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, ब्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होती है।

वर्ष 2013–14 में करेतर राजस्व की प्राप्तियाँ **सारणी 1.10** में दी गयी है।

सारणी 1.10: करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में वृद्धि (+)/कमी(-)की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियाँ	604	689	789	1,186	1,619	37
लाभांश एवं लाभ	27	27	38	63	5	(-) 92
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	12,970	10,460	9,318	11,721	14,826	26
योग	**13,601**	**11,176**	**10,145**	**12,970**	**16,450**	**27**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.10 यह इंगित करता है कि करेतर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में कुल 27 *प्रतिशत* की वृद्धि (₹ 3,480 करोड़) हुई। यह वृद्धि ब्याज प्राप्तियों, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, एवं अन्य करेतर राजस्व के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य करेतर राजस्व में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में ₹ 3,105 करोड़ (26 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। अन्य करेतर राजस्व की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लोक सेवा आयोग एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत हुई। अन्य करेतर राजस्व की प्राप्तियों में कमी, विविध सामान्य सेवाओं (₹ 1,300 करोड़) के अंतर्गत निक्षेप निधि से कम आबंटन तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (₹ 116 करोड़) में पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण हुई।

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान, राज्य आयोजनागत योजना/केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं आदि के रूप में सहायता अनुदान प्राप्त करती है। वर्ष 2009–14 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान की धनराशि **सारणी 1.11** में दी गई है।

सारणी 1.11 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजनेत्तर अनुदान	3,947.97	3,092.99	4,396.73	4,341.00	7,933.79
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	5,624.02	6,772.07	6,813.40	5,518.39	6,595.22
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	3,992.43	435.16	212.45	12.31	225.90
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	3,576.82	5,133.43	6,337.44	7,466.09	7,650.26
कुल अनुदान	**17,141.24**	**15,433.65**	**17,760.02**	**17,337.79**	**22,405.17**
विगत वर्ष से वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	49.09	(-)9.96	15.07	(-) 2.38	29
राजस्व प्राप्तियाँ	96,421	1,11,184	1,30,869	1,45,904	1,68,214
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	17.78	13.88	13.57	11.88	13.32

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 5,067.38 करोड़ (29 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012–13 में ₹ 17,337.79 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 22,405.17 करोड़ हो गई। सहायता अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में वृद्धि, आयोजनेत्तर अनुदानों (₹ 3,592.79 करोड़), राज्य आयोजनागत अनुदानों (₹ 1,076.83 करोड़), केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (₹ 213.59 करोड़) तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं (₹ 184.17 करोड़) में हुई।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आय कर, सेवा कर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2009–14 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.12** में दी गई है।

सारणीः 1.12 केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	**31,797**	**43,464**	**50,351**	**57,498**	**62,777**
सेवा कर	3,357	4,309	6,010	8,396	10,227
निगम कर से भिन्न अन्य आय कर	7,289	8,927	10,067	12,365	13,902
संघीय उत्पाद शुल्क	3,585	5,498	5,649	6,493	7,234
निगम कर	13,086	16,893	19,819	20,654	21,113
सम्पत्ति पर कर	30	35	76	35	58
सीमा कर	4,450	7,557	8,730	9,555	10,243

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 5,279 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो कि ₹ 57,498 करोड़ (2012–13) से बढ़कर ₹ 62,777 करोड़ (2013–14) हो गई। वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में वृद्धि मुख्यतः सेवा कर में ₹ 1,831 करोड़ (22 *प्रतिशत*), निगम कर से भिन्न आयकर में ₹ 1,537 करोड़ (12 *प्रतिशत*) और संघीय उत्पाद शुल्क में ₹ 741 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की हुई।

1.3.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2013–14 में प्रमुख राजस्व मदों के अंतर्गत हुई सकल प्राप्तियों, संग्रह हेतु किया गया व्यय एवं व्ययों की सकल संग्रहण से प्रतिशतता **सारणी 1.13** में दी गई है।

सारणी 1.13: *संग्रह की लागत*

विवरण	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह पर किये गये व्यय की सकल संग्रह के साथ प्रतिशतता	विगत वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर संग्रहण पर किये गये व्यय का औसत
	(₹ करोड़ में)			
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	9,521	84	0.88	3.25
राज्य उत्पाद	11,644	119	1.02	2.96
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	39,645	522	1.32	0.73
वाहनों पर कर	3,441	126	3.66	4.17

सारणी से यह स्पष्ट है कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के संग्रह की लागत वर्ष 2013–14 में विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। इसे ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार को कारणों का विश्लेषण करना चाहिये।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्राप्त अनुदान

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार हेतु तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार हेतु अनुदानों की अनुशंसाएं की थीं। **सारणी 1.14** में चयनित अनुदानों की वित्तीय स्थिति दी गयी है।

सारणी 1.14: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बजटीय धनराशि	बचत
13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	50.00	14.82
37	नगर विकास विभाग	1,301.26	201.94
40	नियोजन विभाग	5.27	0.02
42	न्याय विभाग	129.50	103.90
92	संस्कृति विभाग	25.87	25.03
94	सिंचाई विभाग (कार्य)	751.07	681.94
	योग	**2,262.97**	**1,027.65**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2013–14)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये अनुदानों की धनराशि (₹ 2,262.97 करोड़) के सापेक्ष ₹ 1,027.65 करोड़, जो कुल धनराशि का 45 *प्रतिशत* है, वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर सरकार के लेखे में व्यपगत हो गई, जो यह दर्शाती है कि अनुदानों का बेहतर उपयोग नहीं किया गया।

1.3.6 राजस्व बकाया

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 24,806.78 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 18,130.56 करोड़ पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया था, जिसका विवरण **सारणी 1.15** में दिया गया है।

सारणी 1.15: राजस्व बकाया

क्र0 सं0	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया धनराशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2014 को पांच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया धनराशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	बिक्री/व्यापार आदि पर कर	24,461.64	18,072.11	बकाया राजस्व ₹ 24,461.64 करोड़ में से ₹ 1,957.75 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था; अन्य राज्यों को ₹ 1,152.99 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं; माननीय न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धनराशि ₹ 4,588.62 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से ₹ 656.34 करोड़ की वसूली लम्बित थी; ₹ 1,627.94 करोड़ की वसूली को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी एवं ₹ 40.37 करोड़ ट्रांसपोर्टरों से बकाया थे। शेष ₹ 14,437.43 करोड़ के संबंध में विशेष कार्यवाही विभाग में लंबित थी।

2	राज्य आबकारी	53.85	48.19	बकाया राजस्व ₹ 53.85 करोड़ में से ₹ 48.19 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। पूरे ₹ 53.85 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था। ₹ 16.62 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी; ₹ 6.06 करोड़ बट्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी।
3	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	145.99	उपलब्ध नहीं	विभाग द्वारा बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4	वाहन पर कर	125.64	उपलब्ध नहीं	विभाग द्वारा बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5	मनोरंजन कर	19.66	10.26	बकाया राजस्व ₹ 19.66 करोड़ में से ₹ 10.26 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। ₹ 9.98 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी। ₹ 8.66 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में माँग हेतु प्रमाणित किया गया था।
योग		**24,806.78**	**18,130.56**	

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

उपरोक्त सारणी यह इंगित करती है कि ₹ 18,130.56 करोड़ के राजस्व की वसूली पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली सम्मिलित है। वर्ष 2009–14 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.16** में दी गई है।

सारणी 1.16 पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत प्राप्तियाँ	**22,782**	**21,879**	**19,785**	**16,239**	**15,489**
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	293	485	133	419	589
लोक ऋण प्राप्तियाँ	22,489	21,394	19,652	15,820	14,900
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	34	(-) 5	(-) 8	(-) 19	(-) 6
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 62	66	(-) 73	215	41
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.20	19.78	16.89	11.91	15.66
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	30	(-) 4	(-) 10	(-) 18	(-) 5

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.16 वर्ष 2009–14 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों के संग्रहण में घटने की प्रवृत्ति दर्शाती है। यह वर्ष 2009–10 में ₹ 22,782 करोड़ से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹ 15,489 करोड़ हो गई। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत लोक ऋण प्राप्तियों की विकास दर वर्ष 2009–10 में 34 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013–14 में ऋणात्मक छः *प्रतिशत* हो गयी। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2009–10 में ₹ 293 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 485 करोड़ हो गई। यद्यपि, वर्ष 2011–12 में यह ₹ 133 करोड़ तक कम होकर, वर्ष 2012–13 में बढ़कर ₹ 419 करोड़ एवं पुनः वर्ष 2013–14 में ₹ 589 करोड़ हो गयी।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों और संवितरण के सापेक्ष हुई वसूलियों का *प्रतिशत* **सारणी 1.17** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.17: ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण/वसूली

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
संवितरण	942	968	976	1,003	1,473
वसूलियाँ	293	485	133	419	589
संवितरण के सापेक्ष वसूली की प्रतिशतता	31	50	14	42	40

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.17 से यह प्रदर्शित है कि वर्ष 2009–14 की अवधि में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 14 *प्रतिशत* एवं 50 *प्रतिशत* के मध्य रही, जिससे यह इंगित है कि ऋणों एवं संवितरित अग्रिमों की वसूली की क्रियाविधि अप्रभावी थी।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

आंतरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 की अवधि में आंतरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों की धनराशि **सारणी 1.18** में दर्शायी गई है।

सारणी 1.18: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बाजार ऋण	13,877	12,000	15,830	9,500	8,000
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	2,385	1,543	1,277	1,421	1,494

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.18 से यह प्रदर्शित है कि बाजार ऋण वर्ष 2012–13 में ₹ 9,500 करोड़ से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹ 8,000 करोड़ हो गयी। वर्ष 2009–12 की अवधि में वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों पर निर्भरता में कमी की प्रवृत्ति रही। यद्यपि, यह वर्ष 2012–13 में बढ़कर ₹ 1,421 करोड़ एवं वर्ष 2013–14 में ₹ 1,494 करोड़ हो गयी।

1.4.3 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करती है। भारत सरकार से वर्ष 2009–14 की अवधि में प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण **सारणी 1.19** में दिया गया है।

सारणी 1.19: भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	283	363	316	296	390

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.19 से यह प्रदर्शित है कि भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की धनराशि वर्ष 2009–10 में ₹ 283 करोड़ से बढ़कर, अंर्तवर्षों में मामूली वृद्धि/कमी के साथ, वर्ष 2013–14 के अंत तक ₹ 390 करोड़ हो गई ।

1.5 लोक लेखे

कुछ लेन देनों जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो कि समेकित निधि के अंग हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अधीन स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं। ये प्राप्तियाँ विधान मण्डल के मत पर आधारित नहीं होती है। इनके संबंध में शासन बैंकर का काम करता है एवं संवितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है। लोक लेखे की स्थिति **सारणी 1.20** में दी गई है।

सारणी 1.20: लोक लेखे की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अधीन संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखे प्राप्तियाँ	**-1,872**	**10,176**	**7,478**	**14,006**	**5,619**
(क) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,871	4,871	3,630	3,341	2,363
(ख) आरक्षित निधि	-4,474	2,339	5,487	4,386	7,954
(ग) निक्षेप एवं अग्रिम	94	1,842	-2,038	1,753	5037
(घ) उचंत एवं विविध	-1,367	757	607	3,540	-9,637
(ड) प्रेषण	4	367	-208	986	-98
वित्तीय आंकडे लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण के निवल आंकडे हैं। वर्ष 2009–13 के आंकडे विगत वर्षों के प्रतिवेदन से भिन्न हो सकते हैं।					

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.20 से यह प्रदर्शित है कि लोक लेखे की प्रवृत्तियाँ दोलायमान है। यह वर्ष 2009–10 के ऋणात्मक ₹ 1,872 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर ₹ 5,619 करोड़ हो गई।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, व्यय की कीमत पर, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित व्यय की कीमत पर, न किया जाए।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं उनमें वृद्धियाँ

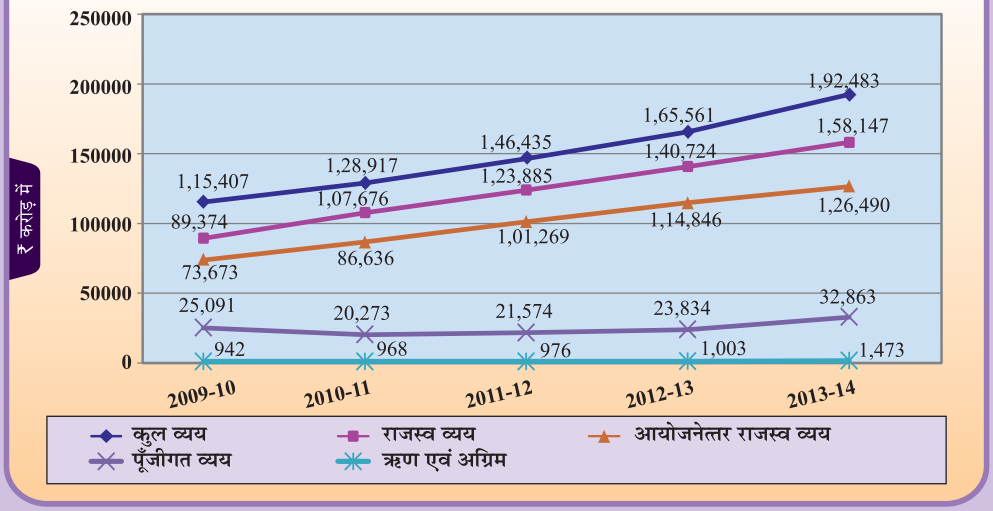
कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले वर्षों के दायित्वों के

भुगतान हेतु किया जाता है। अतः इसमें राज्य सरकार की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्ययों द्वारा राज्य सरकार की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) में वृद्धि होती है।

कुल व्यय में स्थिर गति से वृद्धि (₹ 77,076 करोड़; 67 *प्रतिशत*) हुई जो वर्ष 2009–10 में ₹ 1,15,407 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 1,92,483 करोड़ हो गई तथा वर्ष 2009–14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों का कुल व्यय के साथ अनुपात 84 एवं 89 *प्रतिशत* के मध्य रहा एवं वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में एक *प्रतिशत* की मामूली कमी हुई।

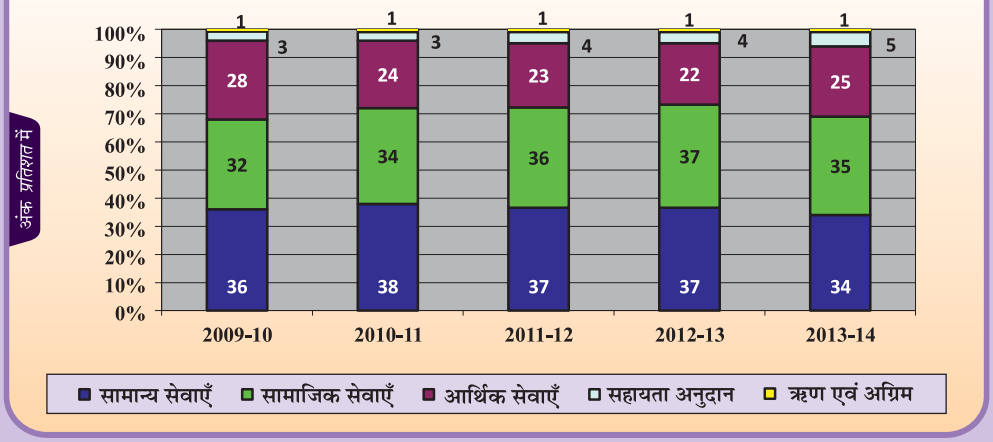
चार्ट 1.7 कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटकों तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2009–14 की अवधि के कुल व्यय को कार्यकलाप–वार प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.7: कुल व्यय: प्रवृत्ति एवं संघटन



चार्ट 1.7 वर्ष 2009–14 की अवधि में कुल व्यय में इसके संघटकों सहित बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.8: कुल व्यय: कार्यकलापवार व्यय



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.8 वर्ष 2009–14 की अवधि में कार्यकलापवार व्यय में मामूली परिवर्तन प्रदर्शित करता है। वर्ष 2013–14 में कुल व्यय में से सामाजिक सेवाएं 35 *प्रतिशत*, सामान्य

सेवाएं 34 *प्रतिशत* एवं आर्थिक सेवाएं 25 *प्रतिशत* है। शेष छः *प्रतिशत* में से सहायता अनुदान (पाँच *प्रतिशत*) तथा ऋण एवं अग्रिम (एक *प्रतिशत*) के मध्य विभाजित है।

1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2009–14 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.21** में प्रस्तुत हैं।

सारणी 1.21: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147
राजस्व आधिक्य (₹ करोड़ में)	(+)7,047	(+)3,508	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265
राजस्व व्यय की विकास दर	17.64	20.48	15.05	13.59	12.38
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.19	18.30	18.01	18.28	17.76
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.20	19.78	16.89	11.91	15.66

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.21 इंगित करती है कि वर्ष 2009–10, 2011–12 एवं 2013–14 में राजस्व व्यय की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी। यद्यपि, यह वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी।

1.6.3 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी मद सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का मुख्य घटक है तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 78 *प्रतिशत* इसमें उपभोग किया गया।

सारणी 1.22 और **चार्ट 1.9** वर्ष 2009–14 की अवधि के वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

सारणी 1.22: वचनबद्ध व्ययों के मदों की प्रवृत्ति

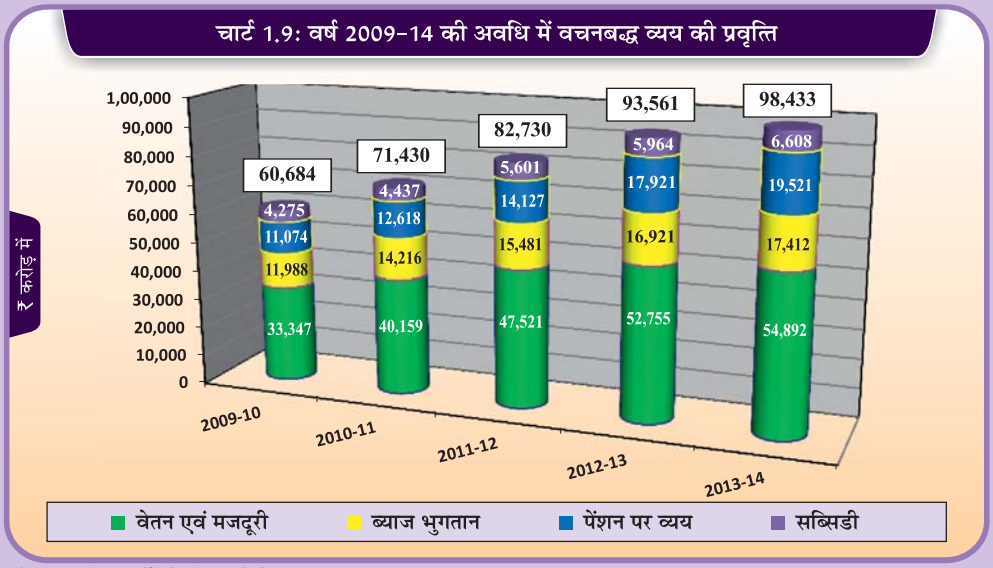
(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्ययों के मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन* एवं मजदूरी जिसमें	**33,347 (35)**	**40,159 (36)**	**47,521 (36)**	**52,755 (36)**	**57,768**	**54,892 (33)**
आयोजनेत्तर शीर्ष	31,137	36,316	42,244	46,007		47,654
आयोजनागत शीर्ष**	2,210	3,843	5,277	6,748		7,238
ब्याज भुगतान	**11,988 (13)**	**14,216 (13)**	**15,481 (12)**	**16,921 (12)**	**17,014**	**17,412 (10)**
पेंशन पर व्यय	**11,074 (11)**	**12,618 (11)**	**14,127 (11)**	**17,921 (12)**	**20,659**	**19,521 (12)**
सब्सिडी	**4,275 (4)**	**4,437 (4)**	**5,601 (4)**	**5,964 (4)**	**7,450**	**6,608 (4)**
वचनबद्ध व्यय का योग	**60,684 (63)**	**71,430 (64)**	**82,730 (63)**	**93,561 (64)**	**1,02,891**	**98,433 (59)**

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अंकित किये गये है।
*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।
**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है जिसका कि भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)

चार्ट 1.9: वर्ष 2009-14 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वचनबद्ध व्ययों के विश्लेषण से यह इंगित होता है कि इसके सभी मदों में 2009–14 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2009–10 में ₹ 60,684 करोड़ के स्तर से 62 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 98,433 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन मदों के अन्तर्गत थी। वचनबद्ध व्ययों के अंतर्गत मदवार वृद्धि/कमी की विवेचना आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वेतन एवं मजदूरी

सारणी 1.22 के विश्लेषण से इंगित है कि वेतन एवं मजदूरी पर हुए व्यय में वृद्धि हुई। पुनः आयोजनेत्तर तथा आयोजनागत शीर्षों में वर्ष 2009–14 की अवधि में वृद्धि की प्रवृति रही। आयोजनेत्तर शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2009–10 के ₹ 31,137 करोड़ के स्तर से बढ़कर (53 *प्रतिशत)* वर्ष 2013–14 में ₹ 47,654 करोड़ हो गया तथा आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2009–10 के ₹ 2,210 करोड़ से बढ़कर (228 *प्रतिशत*) वर्ष 2013–14 में ₹ 7,238 करोड़ हो गया।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2009–14 की अवधि में पेंशन भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2009–10 में ₹ 11,074 करोड़ से बढ़कर (76 *प्रतिशत*) वर्ष 2013–14 में ₹ 19,521 करोड़ हो गयी। वर्ष 2012–13 के सापेक्ष पेंशन भुगतान में ₹ 1,600 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 में ₹ 19,521 करोड़ का यह व्यय तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति से अधिक (₹ 6,856 करोड़) था। पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी।

ब्याज भुगतान

राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान वर्ष 2009–10 में 13 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2013–14 में 11 *प्रतिशत* हो गया। वास्तविक ब्याज अदायगी (₹ 17,412 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 17,014 करोड़) से अधिक (₹ 398 करोड़) था।

यद्यपि, वर्ष 2013–14 में ₹ 17,412 करोड़ का यह व्यय तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति (₹ 17,982 करोड़) से कम (₹ 570 करोड़) था।

सब्सिडी

वित्त लेखे ***(परिशिष्ट III)*** दर्शाते हैं कि शासन ने वर्ष 2013–14 में ₹ 6,608 करोड़ के प्रत्यक्ष सब्सिडी भुगतान किए जो राजस्व प्राप्तियों का चार *प्रतिशत* थी। कुल भुगतानित सब्सिडी में ₹ 5,513 करोड़ (84 *प्रतिशत*) आयोजनेत्तर मद, ₹ 873 करोड़ (13 *प्रतिशत*) आयोजनागत मद एवं ₹ 222 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं[6] के अंतर्गत संवितरित की गयी। प्रमुख कार्यकलापों जिन्हें सब्सिडी दी गई, उनमें ऊर्जा कार्यकलापः ₹ 5,189 करोड़ (79 *प्रतिशत*); कृषि एवं अन्य संबद्ध कार्यकलापः ₹ 1,200 करोड़ (18 *प्रतिशत*) तथा समाज कल्याणः ₹ 114 करोड़ (दो *प्रतिशत*) सम्मिलित थे। कार्यकलापवार विस्तृत विवरण उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं।

वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में **ऊर्जा क्षेत्र** के अंतर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 754 करोड़ (17 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 में सब्सिडी का अधिकतम भुगतान आयोजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत उ0प्र0 विद्युत निगम लिमिटेड को ₹ 4,150 करोड़ क्षतिपूर्ति अनुदान स्वरूप एवं ₹ 850 करोड़ भुगतानित विद्युत कर के विरूद्ध क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 189 करोड़ की सब्सिडी भी विद्युत दर में छूट के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के लिए एवं बिजलीकरघा बुनकरों के लम्बित बिजली के बिलों के लिए भुगतान किया गया था।

वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में **कृषि क्षेत्र** के अंतर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 42 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) की कमी हुई। वर्ष 2013–14 में सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 240 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्षा के अंतर्गत कृषि उत्पादों में सुधार के लिए निजी नलकूप कृषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए उ0प्र0 विद्युत निगम को भुगतान किया गया। इसके अतिक्ति, सब्सिडी का भुगतान एलूवियम क्षेत्रों में मध्यम बोर नलकूपों के निर्माण (₹ 68 करोड़), प्रमाणित बीजों के अनुदान स्वरूप (₹ 63 करोड़) तथा लघु सिंचाई योजनाओं (₹ 56 करोड़) हेतु किया गया।

वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में **समाज कल्याण क्षेत्र** के अंतर्गत सब्सिडी में ₹ 45 करोड़ (28 *प्रतिशत*) की कमी हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि कृषि उत्पादन के लिए छोटे एवं सीमान्त कृषकों को मुफ्त बोरिंग सहायता (₹ 29 करोड़) एवं *स्वर्ण जयन्ती* ग्रामीण स्वरोजगार योजना (₹ 15 करोड़) हेतु भुगतान किया गया।

वर्ष 2013–14 की अवधि के कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी के विस्तृत विवरण **सारणी 1.23** में दिये गये है।

[6] राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त निधियाँ

सारणी 1.23: वर्ष 2013–14 की कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी का विवरण

क्र0 सं0	योजनायें / सब्सिडी	विभाग का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	28.16
2	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	25.98
3	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	73.51
4	कन्या विद्याधन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	515.21
5	10वीं पास लड़के / लड़कियों को मुफ्त टैबलेट	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.84
6	12वीं पास लड़के / लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,500.02
		योग	**2,143.72**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2013-14)

अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर वर्ष 2013–14 में किये गये भुगतान ₹ 2,143.72 करोड़ शासन द्वारा किये गये पुनरीक्षित अनुमान (₹ 7,450 करोड़) की सीमा में था।

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, जो अनुत्पादक व्यय से बचने पर आधारित हो, किया जाना चाहिये और साथ ही टिकाऊ एवं लाभप्रद सेवाओं की सुपुर्दगी भी सुनिश्चित करनी चाहिये।

1.7 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, जैसे– व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः लोक सेवा की उपलब्धता हेतु पर्याप्त प्रबंध); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लागत–परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से संबंधित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (किसी क्षेत्र विशेष में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम है। वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण **सारणी 1.24** में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.24: वर्ष 2010–11 और 2013–14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशत* में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*)	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई.#/ ए.ई.	एस.एस.ई./ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	एजूकेशन /ए.ई.	हेल्थ/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2010–11	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2010–11	21.91	58.19	34.63	15.73	16.80	5.02
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2013–14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2013–14	21.62	60.89	35.44	17.07	16.71	4.84

* सामान्य श्रेणी के राज्य में तीन राज्यों को छोड़ कर अर्थात दिल्ली, गोवा एवं पुडुचेरी।
ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.; विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय।
विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूँजीगत विकास व्यय, और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

विश्लेषण से ज्ञात हुआ:

- सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2013–14 में अधिक था।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2013–14 में विकास पर होने वाले व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि कुल व्यय में विकास व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में कम था।
- वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2013–14 में सामाजिक क्षेत्र में किये गये व्यय का कुल व्यय अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के सापेक्ष कम था।
- वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2013–14 में कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर किए गए व्यय का कुल व्यय में अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2010–11 तथा 2013–14 में कम था।
- राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया व्यय उल्लेखनीय रहा क्योंकि वर्ष 2010–11 और वर्ष 2013–14 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में इसका अनुपात अधिक था।

राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

1.7.1.1 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2009–14 की अवधि में शासन द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर **सारणी 1.25** में दी गयी है।

सारणी 1.25: विकास एवं विकासेत्तर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147
पूंजीगत व्यय	25,091	20,273	21,574	23,834	32,863
ऋण एवं अग्रिम	942	968	976	1,003	1,473
कुल व्यय	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**	**1,65,561**	**1,92,483**
विकास व्यय	**70,554**	**75,019**	**86,897**	**97,904**	**1,17,209**
विकास व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	9	6	16	13	20
विकासेत्तर व्यय	**44,853**	**53,898**	**59,538**	**67,657**	**75,274**
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	30	20	10	14	11

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.25 से इंगित होता है कि विकासेत्तर व्यय का वृद्धि दर 2009–10 में 30 *प्रतिशत* से घटकर 2010–12 में 10 *प्रतिशत* हो गया। यद्यपि, यह 2012–13 में बढ़कर 14 *प्रतिशत* तथा पुनः वर्ष 2013–14 में घटकर 11 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2013–14 में विकास व्यय की वृद्धि दर विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर से अधिक रही। इससे यह इंगित होता है कि शासन द्वारा विकासात्मक कार्यकलापों को प्राथमिकता दी गई।

1.7.1.2 आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

राज्य के कुल व्यय, राजस्व (आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्ययों सहित) एवं पूंजीगत व्यय **सारणी 1.26** में दिया गया है।

सारणी 1.26: आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल व्यय	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**	**1,65,561**	**1,92,483**
राजस्व व्यय	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	73,673	86,636	1,01,269	1,14,846	1,26,490
आयोजनागत व्यय	15,701	21,040	22,616	25,878	31,657
पूंजीगत व्यय	25,091	20,273	21,574	23,834	32,863
ऋण एवं अग्रिम	942	968	976	1,003	1,473
कुल व्यय की वृद्धि दर	16	12	14	13	16
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर	26	18	17	13	10
आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर	(-) 9	34	7	14	22

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.26 से इंगित होता है कि वर्ष 2009–14 की अवधि में आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर ऋणात्मक नौ *प्रतिशत* से 34 *प्रतिशत* के मध्य दोलायमान है। आयोजनेत्तर व्यय की वृद्धि दर में स्थिर कमी हुई जो 26 *प्रतिशत* (2009–10) से घटकर 2013–14 में 10 *प्रतिशत* हो गई।

1.7.2 व्यय में दक्षता

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गये पूँजीगत व्यय एवं अनुरक्षण पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण **सारणी 1.27** में दिया गया है।

सारणी 1.27: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

सामाजिक / आर्थिक अवसंरचना	2012-13			2013-14		
	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं मरम्मत		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं मरम्मत
सामान्य शिक्षा	1.11	23,810	10	2.32	25,057	12
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12.92	5,720	97	14.15	5,372	98
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	80.71	9	48	50.44	93	53
योग (सामाजिक सेवायें)	**12.42**	**30,814**	**155**	**9.91**	**31,783**	**181**
कृषि एवं सम्बद्ध कियाकलाप	16.14	1,906	38	10.10	2,011	31
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	28.87	2,377	1,256	38.31	2,373	1,101
शक्ति एवं ऊर्जा	43.81	22	00	55.85	26	00
परिवहन	75.25	80	2,018	74.86	84	2,351
योग (आर्थिक सेवायें)	**40.35**	**7,594**	**3,351**	**46.21**	**7,915**	**3,510**
महायोग (सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें)	**22.91**	**38,408**	**3,506**	**25.08**	**39,698**	**3,691**

(स्रोतः वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के वित्त लेखे तथा वी.एल.सी. आँकड़ें)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 में, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 2.51 *प्रतिशत* की कमी तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 5.86 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात में 30.27 *प्रतिशत* की कमी जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी आवास एवं योजना क्षेत्र में हुई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत शक्ति एवं ऊर्जा में 12.04 *प्रतिशत* तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 9.44 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई ।

कुल व्यय में वेतन एवं भत्ते के अंश में वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में ₹ 1,290 करोड़ की वृद्धि हुई। सामाजिक क्षेत्र में 3.14 *प्रतिशत* तथा आर्थिक क्षेत्र में 4.21 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामाजिक क्षेत्र (₹ 969 करोड़) एवं आर्थिक क्षेत्र (₹ 320 करोड़) के मध्य विभाजित थी।

वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के अंश में ₹ 26 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के कुल अंश में ₹ 159 करोड़ की वृद्धि हुई। परिवहन में ₹ 333 करोड़ (17 *प्रतिशत)* की वृद्धि हुई।

1.8 राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटों को न केवल कम स्तर पर रखें बल्कि पूंजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार–आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथेष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस भाग में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं पूंजीगत व्ययों के वृहद वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2013–14 में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ (₹ 550 करोड़) उनके संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये ₹ 4,472 करोड़ के व्यय का 12 *प्रतिशत* थी, जो वर्ष 2013–14 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान (60 *प्रतिशत*) से बहुत कम थी।

सारणी 1.28 में बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के संदर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय दिया गया है।

सारणी 1.28: बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के संदर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	बारहवें (2005–10) एवं तेरहवें (2010–15) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का मूल्यांकन	लागत वसूली में कमी
	₹ करोड़ में		*प्रतिशत* में		
2009-10	2,633	267	10	90	80
2010-11	3,409	186	5	25	20
2011-12	3,736	232	6	35	29
2012-13	4,323	258	6	45	39
2013-14	4,472	550	12	60	48

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2009–14 की अवधि के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति **सारणी 1.29** में दी गई है।

सारणी 1.29: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2014)
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	367	3,704	108 (10 परियोजनाएं)	1,472
सिंचाई	45	845	1,576 (24 परियोजनाएं)	1,560
योग	**412**	**4,549**	**1,684**	**3,032**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

चार सौ बारह अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 3,032 करोड़ (मार्च 2014) के व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2014 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों (₹ 445 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 51,057 करोड़), सहकारी संस्थाओं (₹ 904 करोड़) और बैंकों में (₹ 61 करोड़) सहित कुल ₹ 52,467 करोड़ निवेश किया था। वर्ष 2009–14 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति **सारणी 1.30** में दी गयी है।

सारणी 1.30: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/लिये गये ऋणों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	39,666.64	38,272.54	42,607.07	46,227.91	52,466.73[7]
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	8.36	26.81	38.17	62.70	5.23
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.021	0.07	0.09	0.14	0.01
सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर औसत ब्याज का दर (प्रतिशत)	6.16	6.67	6.62	6.73	6.43
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अंतर (*प्रतिशत*)	6.14	6.60	6.53	6.59	6.42

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में मुख्य रूप से ऐसे निगमों में निवेश किया गया था, जो विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण में लगे हुये थे।

1.8.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं

सार्वजनिक निजी भागीदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक तरफ सरकार/वैधानिक इकाई/ सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की इकाई। इस व्यवस्था में सार्वजनिक सम्पत्ति तथा/अथवा सार्वजनिक सेवाओं के लिये प्रावधान होता है तथा निवेश एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा किया जाता है। यह प्रबंधन एक निश्चित समयावधि के लिये होता है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सरकारी इकाई के मध्य जोखिम की शर्त पूर्ण रूप से परिभाषित होती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र को

[7] वर्ष 2013–14 एवं विगत वर्षों के, जो कि समाधान के अंतर्गत ₹ 8,459 करोड़, सम्मिलित है।

भुगतान कार्य निष्पादन (या बेंचमार्क) के आधार पर किया जाता है जिसका मानक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मानदंड पर तय होता है। निजी क्षेत्र द्वारा निष्पादित कार्यों का आकलन सरकारी इकाई अथवा इसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना[8] के अनुसार, 31 मार्च 2014 तक, 102–सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, ₹ 1,43,864.96 करोड़ की धनराशि के साथ शुरू की गयी है जिसमें सहभागिता सहित उद्यमियों का चयन किया गया है। यद्यपि सरकार ने पी0पी0पी0 प्रबन्धन के अन्तर्गत इसके विशेष वित्तीय उत्तरदायित्व को सूचित नहीं किया।

1.8.5 राज्य सरकार द्वारा उधार एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों एवं कम्पनियों में किए गए निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों को अनेक ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। **सारणी 1.31** लम्बित ऋण एवं अग्रिम की 31 मार्च 2014 की स्थिति और विगत तीन वर्षो में ब्याज भुगतान के विरूद्ध ब्याज प्राप्ति की स्थिति प्रदर्शित करती है।

सारणी 1.31: राज्य सरकार द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर औसत ब्याज प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
प्रारंभिक अवशेष	**10,145**	**10,988**	**11,572**
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	976	1,003	1,473
वर्ष के दौरान देय धनराशि	133	419	589
अंतिम अवशेष	**10,988**	**11,572**	**12,456**
अवशेष धनराशि जिसके लिये नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयीं			
निवल वृद्धि	+843	+584	+884
ब्याज प्राप्तियाँ	101	26	19
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	0.92	0.22	0.15
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयता	2,43,229	2,59,621	2,81,709
राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं के सापेक्ष ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.36	6.52	6.18
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (*प्रतिशत* में)	5.44	6.30	6.03

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बकाया ऋणों में ₹ 884 करोड़ की वृद्धि हुई जो 2012–13 में ₹ 11,572 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 12,456 करोड़ हो गई। वर्ष 2013–14 की अवधि में ऋण का मुख्य अंश जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 697 करोड़), उद्योग एवं खनिज (₹ 633 करोड़) और सरकारी कर्मचारियों को ऋण (₹ 107 करोड़), के लिये दिए गए।

1.8.6 नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

वर्ष 2013–14 में सरकार को नकद अवशेषों के निवेश पर ₹ 1,126.34 करोड़ के ब्याज प्राप्त हुए। प्राप्त ब्याज की धनराशि नकद अवशेष निवेश लेखे में किए गए निवेश

[8] वित्त लेखे वर्ष 2013–14, खण्ड-I, प्रस्तर संख्या 3(XIV)

का 22 *प्रतिशत* थी जो राज्य सरकार द्वारा लिए गए उधार पर भुगतान किये गये (6.43 *प्रतिशत*) ब्याज दर से अधिक था।

वर्ष 2013–14 में नकद अवशेष एवं राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेषों के निवेश को **सारणी 1.32** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.32: नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक अवशेष 1 अप्रैल 2013	अंतिम अवशेष 31 मार्च 2014
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों में नकद	#	#
रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	-39.52	-1,156.31
मार्गस्थ प्रेषण	#	#
योग	**-39.52**	**-1,156.31**
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	15,198.72	5,164.46
योग (अ)	**15,159.20**	**4,008.15**
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	12.79	12.05
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.42	0.43
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
योग (ब)	**58.41**	**57.68**
महायोग (अ)+ (ब)	**15,217.61**	**4,065.83**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

वर्ष 2013–14 की समाप्ति, पर उद्दिष्ट निधियों के निवेश पर ₹ 45.20 करोड़ की कटौती के बाद शासन के पास ₹ 4,020.63 करोड़ नकद अवशेष थे। नकद अवशेष में मार्च 2013 के सापेक्ष मार्च 2014 में ₹ 11,151.79 करोड़ की कमी हुई।

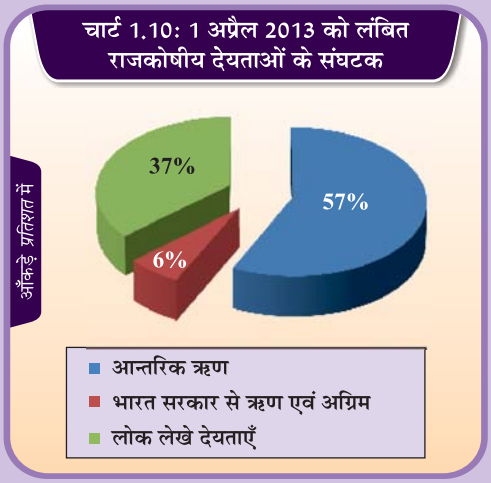
1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें

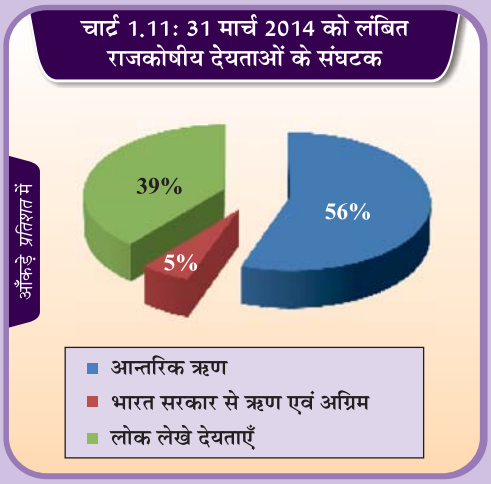
1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों में वृद्धि एवं संघटक

राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत, राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। फिर भी, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। ***परिशिष्ट 1.7*** में 31 मार्च 2013 के सापेक्ष 31 मार्च 2014 को राज्य सरकार की ऐसी ही वित्तीय देयताओं एवं सृजित परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि, ***परिशिष्ट 1.7*** में अंकित वित्तीय देयताओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक ऋणों, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी है जबकि परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयतायें

राज्य की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत की गयी है एवं वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.10** एवं **1.11** में प्रस्तुत किया गया है।





(स्रोतः वित्त लेखे 2012–13 एवं 2013–14)

चार्ट 1.10 एवं **1.11** इंगित करते हैं कि वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर सरकार की राजकोषीय देयताओं[9] में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए।

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताओं से उत्प्लावनता **सारणी 1.33** में दी गयी है।

सारणी 1.33: राजकोषीय देयताएं–मूल प्राचल

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	2,01,720	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.64	11.43	8.21	6.74	8.51
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	41.06	38.20	35.36	33.73	31.64
राजस्व प्राप्तियाँ (*प्रतिशत*)	209.21	202.17	185.86	177.94	167.47
स्वयं के संसाधन (*प्रतिशत*)	424.86	429.91	387.56	365.31	339.28
राजकोषीय देयताओं की निम्न से उत्प्लावनता[10]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.398	0.578	0.486	0.566	0.543
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.320	0.747	0.464	0.587	0.557
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.225	1.129	0.410	0.509	0.506

(स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

[9] (₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2013 को	31 मार्च 2014 को
आन्तरिक ऋण	1,48,399	1,56,208
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	16,412	15,336
लोक लेखे देयताएं	94,810	1,10,165
लंबित राजकोषीय देयताएं	**2,59,621**	**2,81,709**

[10] उत्प्लावनता आधारभूत चर में दिए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की अनुकूलता अथवा लचीलेपन को दर्शाता है।

सारणी 1.33 से यह विदित होता है कि राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2009–10 में ₹ 2,01,720 करोड़ से बढ़कर (40 *प्रतिशत*) वर्ष 2013–14 में ₹ 2,81,709 करोड़ हो गयीं। वर्ष 2012–13 में 6.74 *प्रतिशत* की वृद्धि दर के सापेक्ष 2013–14 में वृद्धि दर 8.51 *प्रतिशत* रही। यद्यपि, राजकोषीय देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2009–14 के बीच कमी की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2013–14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावनता 0.543 थी।

1.9.3 त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के कारण राजस्व आधिक्य पर प्रभाव

राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं व्यय शीर्षों के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 3,465.36 करोड़ की अधिकता रही। विवरण **सारणी 1.34** में दिया गया है।

सारणी 1.34: लेखों में गलत वर्गीकरण/लेखांकन का राजस्व आधिक्य पर प्रभाव

राजस्व आधिक्य पर प्रभाव (₹ करोड़ में)		विवरण
अधिकता	न्यूनता	
4.58	-	शासकीय लेखांकन के नियमों के अनुसार, सहायता अनुदान पर व्यय, पूंजीगत व्यय नहीं माना जा सकता और न ही पूंजीगत शीर्षों के नामे किया जाना चाहिए। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पूंजीगत शीर्षों से ₹ 4.58 करोड़ ''आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान'' लेखाशीर्ष 4047–अन्य वित्त सेवाएं तथा 4058–प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी के अन्तर्गत प्रदान किया गया तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत समायोजित किया गया। इस कारण इतनी ही धनराशि का राजस्व आधिक्य परिलक्षित हुआ।
55.30	7.71	शासकीय लेखांकन नियमों के अन्तर्गत, 'वृहद निर्माण कार्यों' पर व्यय को पूँजीगत मद में तथा 'लघु निर्माण कार्यों' पर व्यय को राजस्व मद में लेखांकित किया जाना चाहिए। परन्तु राज्य सरकार ने लघु निर्माण कार्य (₹ 55.30 करोड़) को पूँजीगत व्यय में लेखांकित किया, तदनुसार इतनी ही राशि का राजस्व आधिक्य प्रदर्शित हुआ। पुनः ₹ 7.71 करोड़ राशि के वृहद निर्माण कार्य को राजस्व व्यय के सापेक्ष समायोजित किया गया, इस कारण इतनी ही राशि का राजस्व आधिक्य में कमी भी प्रदर्शित हुआ।
22.35	-	वर्ष 2013–14 के दौरान, राज्य सरकार ने खाद्य भण्डारण एवं भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय –खाद्य (लेखाशीर्ष–4408–01) के अन्तर्गत ₹ 22.35 करोड़ की राशि पुस्तांकित किया। उपरोक्त व्यय में विभाग के स्थापना पर हुए व्यय ₹ 62.17 करोड़, खाद्य की खरीद एवं आपूर्ति पर हुए व्यय ₹ 242.09 करोड़ तथा खाद्य खरीद एवं आपूर्ति पर, ₹ 231.70 करोड़ भारतीय स्टेट बैंक से लिये गये ऋण पर दिये गये ब्याज की राशियाँ भी सम्मिलित थी। खाद्य शीर्ष के अन्तर्गत (लेखाशीर्ष 4408–01) मार्च, 2014 के बाद के प्रगामी पूंजीगत परिव्यय (निवल) ₹ 16,269.40 करोड़ {₹ 9,024.64 करोड़ (राज्य के पुनर्गठन के पूर्व के) तथा ₹ 7,244.76 करोड़ (राज्य के पुनर्गठन के उपरान्त के)} थी। इस प्रकार के व्यय प्रथमतः राजस्व प्रकृति के होते हैं। जहाँ पर पूंजीगत व्यय प्रवृत्ति के घटक भी सम्मिलित हो, सामान्य लेखांकन पद्धति के अनुसार समस्त व्यय को प्रथमतः राजस्व व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिए तदुपरान्त विशिष्ट व्यय से सम्बन्धित व्यय को पूँजीगत मद के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। परन्तु, राज्य सरकार के द्वारा समस्त व्यय ₹ 22.35 करोड़ को पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया तद्नुसार इतनी ही राशि से राजस्व आधिक्य तथा इनसे सम्बन्धित आस्तियों में अधिकता प्रदर्शित हुई।
207.23	-	राज्य सरकार के 31 मार्च 2005 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के ''पेंशन एवं अन्य सेवा–निवृत्ति लाभ'' पर वर्ष के दौरान ₹ 19,238.87 करोड़ (अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,006.13 करोड़ को सम्मिलित करते हुए जो सकल राजस्व व्यय का 12.17 *प्रतिशत* है) व्यय हुआ। 1 अप्रैल 2005 अथवा बाद में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेंशन योजना जो निर्धारित अंशदायी

		पेंशन योजना है, के योग्य हैं। योजना के शर्तों के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* का अंशदान करता है तथा समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती है। समस्त धनराशि राष्ट्रीय प्रत्याभूति जमा लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/नियामक बैंक के माध्यम से निर्धारित निधि प्रबन्धक को अन्तरित कर दी जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक धनराशि एवं सरकार का समतुल्य अंशदान का आकलन नहीं किया गया तथा कर्मचारियों के अंशदान की राशि ₹ 489.57 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा ₹ 282.34 करोड़ का ही अंशदान किया गया तथा समस्त राशि ₹ 771.91 करोड़ को लेखा शीर्ष '8342–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पेंशन अंशदायी योजना' के अन्तर्गत जमा कर दिया गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 889.59 करोड़ एन0एस0डी0एल0/नियामक बैंक में 31 मार्च 2014 को इस योजना के अन्तर्गत ₹ 495.35 करोड़ का अवशेष छोड़ते हुए, जमा किया। शासन द्वारा नई पेंशनर हितलाभ योजना के अंतर्गत ₹ 207.23 करोड़ का कम अंशदान, इतनी ही राशि से राजस्व आधिक्य को बढ़ाने में मददगार रहा।
4.75	-	राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित राशि ₹ 63.38 करोड़ पर ब्याज देय था। यह राशि ₹ 4.75 करोड़ आंकी गयी (2013–14 के अर्थोपाय अग्रिमों के औसत ब्याज दर 7.5 *प्रतिशत*) जो राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजस्व आधिक्य इतनी राशि के बराबर अधिक प्रदर्शित हुयी। पूर्ववर्ती वर्षों से ब्याज वाली रक्षित निधियों में जमा न किये जाने वाली ब्याज की राशि का आकलन नहीं किया गया है, परन्तु यह राज्य सरकार के सम्पूर्ण दायित्वों को प्रभावित करता है।
2,945.98	-	ऋण की परिपक्वता पर पुनर्भुगतानित धनराशि के समतुल्य राशि पुस्तक समायोजन के द्वारा लोक लेखे में निक्षेप निधि के नामें तथा राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत 0075–विविध सामान्य सेवाएं निक्षेप निधि से प्राप्ति को जमा (नामें के उलट), निक्षेप निधि से बिना किसी नगद प्रवाह के, किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये इस प्रकिया के कारण राजस्व आधिक्य में ₹ 2,945.98 करोड़ अधिक प्रदर्शित हुआ।
207.96	-	बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन करना था। परन्तु राज्य सरकार ने कोई भी प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया है। उपरोक्त संस्तुतियों में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार राज्य सरकार को न्यूनतम वार्षिक अंशदान के रूप में ₹ 207.96 करोड़ (वर्ष 2013–14 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिभूति ₹ 41,591.18 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) विमोचन निधि में स्थानान्तरित किया जाना था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य उपरोक्त राशि के समतुल्य अधिक प्रदर्शित हुआ।
24.92	-	वर्ष 2013–14 के प्रारम्भ में एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत ₹ 332.24 करोड़ अवशेष था। एस0डी0आर0एफ0 के मार्गदर्शन के अनुसार, अनिवेशित अवशेष की राशि पर अर्थोपाय अग्रिम पर देय ब्याज की दर से ब्याज की गणना की जानी थी। क्योंकि ब्याज की राशि (वर्ष 2013–14 पर अर्थोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर 7.5 *प्रतिशत*) राज्य सरकार द्वारा निधि को भुगतान नहीं किया गया, इस कारण से राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य ₹ 24.92 करोड़ से अधिक प्रदर्शित हुआ। यह तथ्य, कि राज्य सरकार द्वारा निधि का संचालन लगातार बिना ब्याज वाले आरक्षित निधियों के अन्तर्गत किया जा रहा है तथा निधि पर देय ब्याज को निधि में स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है, राज्य सरकार के सम्पूर्ण कार्पस को प्रभावित करता है। पुनः, चूंकि समस्त संचालन पुस्तक समायोजन के माध्यम से किया जाता है, अतः निधि के अन्तर्गत कोई वास्तविक रोकड़ अवशेष उपलब्ध नहीं है।
3,473.07	**7.71**	**योग**
₹ 3,473.07 करोड़ (–) ₹ 7.71 करोड़ = ₹ 3,465.36 करोड़		

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

1.10 ऋण प्रबन्धन

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का

विश्लेषण किया जाये जो राज्य सरकार की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवेदन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है।

वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में उपरोक्त सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संवहनीयता **सारणी 1.35** मे इंगित की गयी है।

सारणी 1.35: ऋण संवहनीयता–सूचकांक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता के सूचकांक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	**17,733**	**23,413**	**23,134**	**10,282**	**17,695**
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता (संसाधन अंतराल)	1,820	1,445	1,815	(-)3,805	(-)4,442
उधार निधि की निवल उपलब्धता	2,387	8,915	3,051	(-)463	4,741
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	12	13	12	12	10
संसाधन अंतरालःवर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के राजस्व प्राप्तियॉ एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों का अंतर (-) वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के कुल व्यय का अंतर					

(स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोकऋणों का स्तर असंवहनीय है। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा धनात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण संवहनीय स्तर का है।

सारणी 1.35 प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटे का योग धनात्मक रहा और ₹ 10,282 करोड़ एवं ₹ 23,413 करोड़ के बीच दोलायमान रहा। यह लोक ऋण के संवहनीय स्तर का सूचक है।

1.10.1 लिये गये ऋणों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2009–12[11] में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात् आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता ऋणात्मक 1.05 *प्रतिशत* से 16.14 *प्रतिशत* के मध्य रही। वर्ष 2013–14 में प्राप्तियॉ, राज्य सरकार द्वारा किये गये ₹ 6,701 करोड़ के आन्तरिक ऋण भुगतान से,

11

(₹ करोड में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अधीन प्राप्तियॉ	53,485	55,236	49,849	44,039	55,057
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अधीन भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	51,098	46,321	46,797	44,502	50,316
उपलब्ध निवल धनराशि	2,387	8,915	3,051	(-)463	4,741
उपलब्ध निवल धनराशि (प्राप्तियों के प्रतिशत में)	4.46	16.14	6.12	(-)1.05	8.61

भारत सरकार से ऋण ₹ 1,465 करोड़ तथा ₹ 17,412 करोड़ के ब्याज सहित, ₹ 24,802 करोड़ के अन्य दायित्वों के भुगतान से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप, लिये गये ऋणों की धनराशियों की उपलब्धता वर्ष 2012–13 में ऋणात्मक 1.05 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 8.61 *प्रतिशत* हो गयी। ऋण मोचन अनुपात की प्रवृत्तियाँ वर्ष 2009–14 की अवधि में 84 *प्रतिशत* से 91 *प्रतिशत* के मध्य रही।

1.10.2 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल

राज्य के बकाया ऋणों का 44.51 *प्रतिशत* सात वर्ष अथवा अधिक की परिपक्वता अवधि से संबंधित है। **सारणी 1.36** एवं **चार्ट 1.12** में राज्य सरकार के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल दी गयी है।

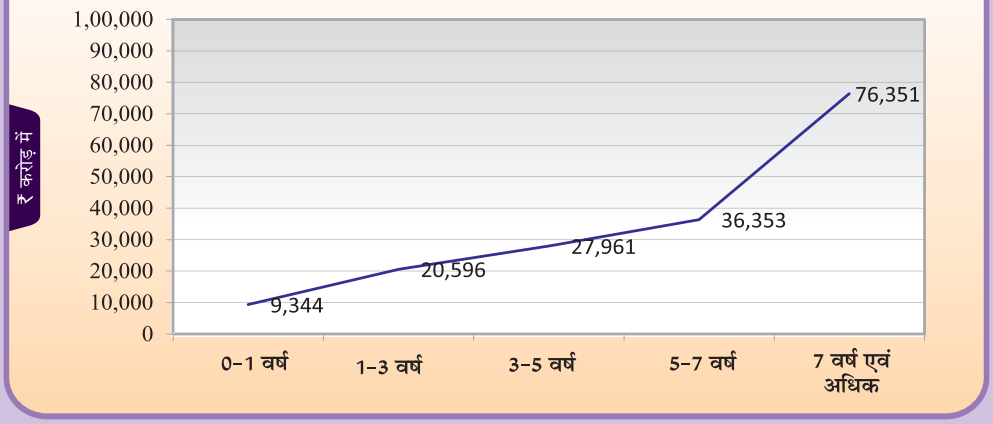
सारणी 1.36: राज्य के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता प्रोफाइल	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	योग	*प्रतिशत*
0 – 1 वर्ष	8,013	1,331	9,344	5.45
1 – 3 वर्ष	17,903	2,693	20,596	12.00
3 – 5 वर्ष	25,213	2,748	27,961	16.30
5 – 7 वर्ष	33,570	2,783	36,353	21.19
7 वर्ष और अधिक	70,570	5,781	76,351	44.51
राज्य सरकार से मिलान के अधीन	939	शून्य	939	0.55
योग	**1,56,208**	**15,336**	**1,71,544**	**100**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

चार्ट 1.12: राज्य के ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल



(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

चार्ट 1.12 से यह दर्शित होता है कि एक वर्ष एवं सात वर्षों के उपरांत ऋणों के पुनर्भुगतान का भार एकत्र होकर पुनर्भुगतान की स्थिति दयनीय बना देगी।

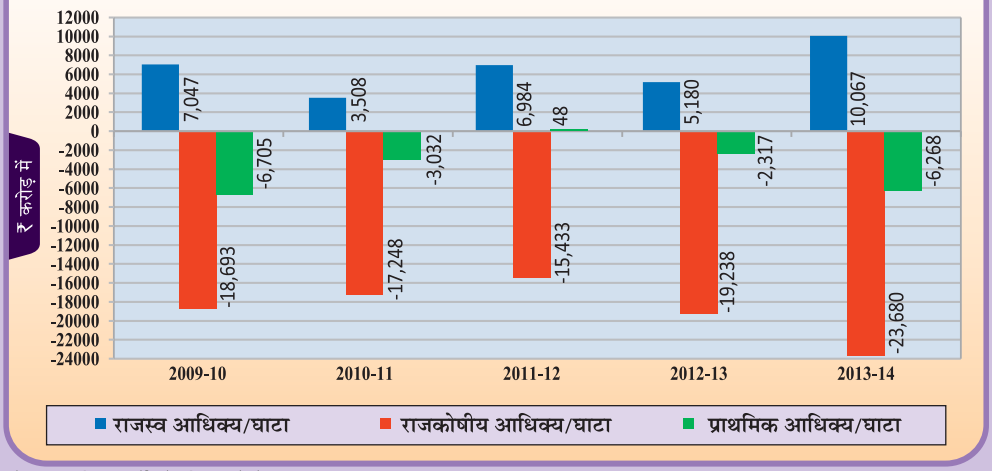
1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य प्राचलों–राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा–से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असंतुलन की सीमा प्रदर्शित होती है। राज्य सरकार के लेखों में प्राप्तियाँ और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। पुनः, जिस तरह से घाटे का वित्त–पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सृजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है वह राजकोषीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित्त–पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004/वित्तीय वर्ष 2013–14 के नियमों के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियां

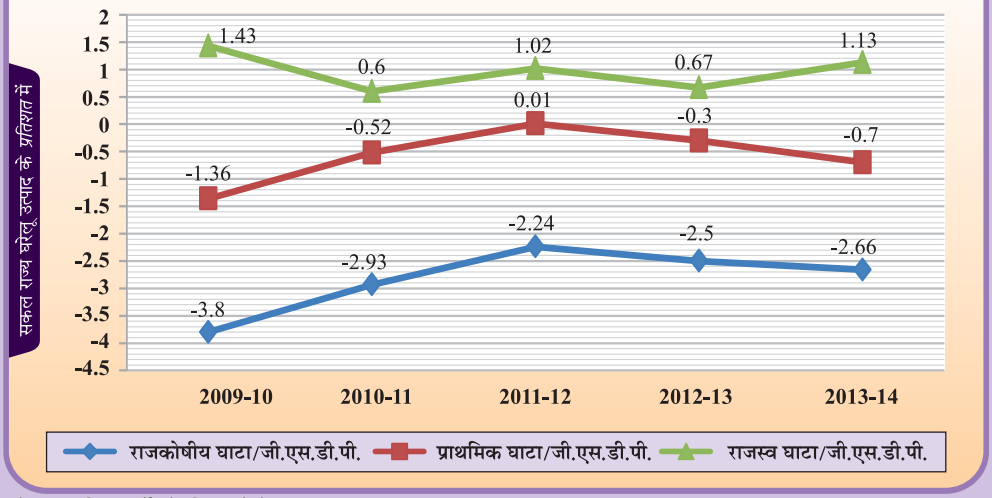
चार्ट 1.13 और **1.14** में वर्ष 2009–14 की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

चार्ट 1.13: आधिक्य/ घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.14: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए निश्चित किए गये राजकोषीय लक्ष्य में राजस्व घाटे को मार्च 2010 तक शून्य किया जाना था। यह अधिनियम वर्ष 2011 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2013–14 के अन्त तक राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य वर्ष 2006–07 में प्राप्त कर लिया था तथा वर्ष 2013–14 तक सतत राजस्व आधिक्य था। वर्ष 2013–14 के अंत तक राज्य के पास ₹ 10,067 करोड़ का राजस्व आधिक्य है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया, परन्तु पुनः बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाते हुए वर्ष 2013–14 में ₹ 23,680 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि दर (38 *प्रतिशत*) के कारण हुआ। वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 6,268 करोड़ था। यह विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में राजकोषीय घाटा ₹ 4,442 करोड़ तथा ब्याज भुगतान में ₹ 491 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप था (**चार्ट 1.13**)।

1.11.2 राजकोषीय घाटे और इसके वित्तीय प्रवृत्ति के संघटक

राज्य सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है एवं राजकोषीय घाटा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का राजस्व एवं गैर–ऋण पूंजी प्राप्तियों पर आधिक्य है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का राजस्व एवं गैर–ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक ऋण लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्त–पोषण की प्रवृत्ति को **सारणी 1.37** में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.37: राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्त–पोषण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटे का विघटन						
राजकोषीय घाटा (1 से 3 तक) एवं कोष्ठक में दी गयी संख्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत* है।		**18,693 (3.80)**	**17,248 (2.93)**	**15,433 (2.24)**	**19,238 (2.50)**	**23,680 (2.66)**
1	राजस्व घाटा/ आधिक्य (-)	(-) 7,047	(-) 3,508	(-) 6,984	(-) 5,180	(-) 10,067
2	निवल पूंजीगत व्यय	25,091	20,273	21,574	23,834	32,863
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	649	483	843	584	884
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति*						
1	बाजार उधार	11,421	10,074	12,834	6,263	5,054
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 917	(-) 937	(-) 999	(-) 1,099	(-) 1,075
3	एन. एस. एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	3,899	5,415	395	2,429	2,768
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	418	(-) 541	(-) 865	(-) 681	(-) 12

5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3,870	4,871	3,630	3,342	2,363
6	निक्षेप एवं अग्रिम	93	1,843	(-) 2,038	1,753	5,037
7	उचन्त एव विविध	(-) 1,365	757	608	3,540	(-) 9,637
8	प्रेषण	3	367	(-) 209	986	(-) 98
9	अन्य (जैसे आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लेन–देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष निवेश एवं रिजर्व बैंक के पास नकद अवशेष)	1,271	(-) 4,601	2,077	2,705	19,280
	राजकोषीय घाटा	**18,693**	**17,248**	**15,433**	**19,238**	**23,680**
*ये सभी आंकड़े वर्ष के अंतर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं।						

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 15,433 करोड़ (2011–12) और ₹ 23,680 करोड़ (2013–14) के मध्य था। राजकोषीय घाटा वर्ष 2012–13 में ₹ 19,238 करोड़ से बढ़कर (23 *प्रतिशत*) वर्ष 2013–14 में ₹ 23,680 करोड़ हो गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग किया गया। अग्रेतर, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक ऋण (राजकोषीय देयताओं) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (**सारणी 1.38**) में विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

सारणी1.38: प्राथमिक घाटा/आधिक्य–घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**
2009-10	96,714	77,386	25,091	942	1,03,419	(+) 19,328	(-) 6,705
2010-11	1,11,669	93,460	20,273	968	1,14,701	(+) 18,209	(-) 3,032
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+) 22,520	(-) 2,317
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+) 28,068	(-) 6,268

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2009–14 की अवधि में गैर–ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2009–10 में ₹ 96,714 करोड़ के स्तर से बढ़कर (75 *प्रतिशत*) वर्ष 2013–14 में ₹ 1,68,803 करोड़ तक हो गयी।

- सरकार का प्राथमिक घाटा वर्ष 2012–13 में ₹ 2,317 करोड़ से वर्ष 2009–10 में ₹ 6,705 करोड़ के मध्य रहा क्योंकि गैर–ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों की एक साथ पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं।

1.12 निष्कर्ष

• राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था, साथ ही वर्ष 2013–14 के अंत में राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से कम तथा कुल देयताएँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 43.4 *प्रतिशत* से कम बनाये रखा, जैसा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, 2004 और द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 में निहित है।

• बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

वर्ष 2013–14 में पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आकड़ों में व्यापक भिन्नता थी। राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,68,214 करोड़) एवं राजस्व व्यय (₹ 1,58,147 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान राजस्व प्राप्तियॉ (₹ 1,72,234 करोड़) एवं राजस्व व्यय (₹ 1,66,618 करोड़) से कम थे। ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएँ (₹ 25,777 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 25,378 करोड़) से अधिक थी।

• भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित की गयी धनराशि

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 12,282 करोड़ सीधे हस्तांतरित की गयी। यद्यपि, मौजूदा तंत्र राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधनों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है।

• राजस्व प्राप्तियाँ

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में 15 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जो मुख्यतः कर राजस्व (15 *प्रतिशत*) तथा केन्द्रीय करों में राज्य के अंश (नौ *प्रतिशत*) में वृद्धियों के फलस्वरूप थी। ₹ 1,68,214 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,72,234 करोड़) से कम थी। कर राजस्व, जो राजस्व प्राप्तियों का मुख्य घटक है, पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 2,518 करोड़ कम था।

• राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में 12 *प्रतिशत* बढ़ गया। विगत वर्ष के सापेक्ष आयोजनागत व्यय एवं आयोजनेत्तर व्यय में क्रमशः 10 *प्रतिशत* एवं 22 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अंतर्गत वृद्धि राज्य के अवसंरचना एवं

सेवाओं के नेटवर्क में बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। विगत पाँच वर्षों की अवधि में (2009–14) कुल व्यय में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।

- **लोक व्यय की पर्याप्तता**

वर्ष 2010–14 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी गयी क्योंकि विकास व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात अन्य सामान्य वर्ग के राज्यों से कम था।

2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2 वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रति वर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा–जोखा हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम, 2013 के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में विनियोग लेखे द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे एक नियन्त्रण अभिलेख हैं जो वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाते हैं। इसलिए यह वित्त लेखे के पूरक भी हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत थीं एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारित थीं। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.2 विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2013–14 की अवधि में 92 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.1** में दी गयी है।

सारणी 2.1: वास्तविक/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय का स्वरूप		मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)/बचत(-)
दत्तमत	I राजस्व	1,43,185.79	6,183.10	1,49,368.89	1,32,860.22	(-)16,508.67
	II पूंजीगत	44,927.85	4,394.60	49,322.45	41,894.04	(-)7,428.41
	III ऋण तथा अग्रिम	1,953.73	75.97	2,029.70	1,473.34	(-)556.36
योग दत्तमत		**1,90,067.37**	**10,653.67**	**2,00,721.04**	**1,76,227.60**	**(-)24,493.44**
भारित	IV राजस्व	26,326.27	70.99	26,397.26	26,041.56	(-)355.70
	V पूंजीगत	194.92	7.50	202.42	265.73	(+)63.31
	VI लोकऋण–पुनर्भुगतान	18,587.86	0	18,587.86	8,166.74	(-)10,421.12
योग भारित		**45,109.05**	**78.49**	**45,187.54**	**34,474.03**	**(-) 10,713.51**
कुल योग		**2,35,176.42**	**10,732.16**	**2,45,908.58**	**2,10,701.63**	**(-) 35,206.95**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़े जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 754.91 करोड़), दत्तमत पूँजीगत व्यय (₹ 9,221.22 करोड़) एवं भारित पूंजीगत व्यय (₹ 75.90 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग एवं वित्त लेखे 2013–14)

राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 126 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण पुनर्भुगतान) पूंजीगत मद के अन्तर्गत 75 प्रकरणों में ₹ 38,715.63 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.1)*** की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 35,206.95 करोड़ की कुल बचत थी जो राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के तीन प्रकरणों तथा पूंजीगत मद के पाँच प्रकरणों में ₹ 3,508.68 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त विभागों मे बजटीय नियंत्रण मजबूत हो, जिससे कि प्रावधान अनुपयोगी न रहे।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 144 प्रकरणों में प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधानों के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.2)***। ₹ 38,715.63 करोड़ की कुल बचत के सापेक्ष 33 अनुदानों एवं विनियोगों से सम्बंधित 48 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में ₹ 36,545.94 करोड़ (94 *प्रतिशत*) की बचत पायी गयी, जिनका विवरण **सारणी 2.2** में दिया गया है।

सारणी 2.2: ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान			वास्तविक व्यय	बचत
			मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान		
राजस्व –दत्तमत							
1.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,582.08	112.79	2,694.87	2,098.77	596.10
2.	12	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	308.59	0.00	308.59	186.60	121.99
3.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,571.20	0.10	1,571.30	1,370.20	201.10
4.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	4,926.35	899.44	5,825.79	5,363.58	462.21
5.	26	गृह विभाग (पुलिस)	10,156.90	192.00	10,348.90	9,366.02	982.88
6.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	3,485.91	0.00	3,485.91	3,014.60	471.31
7.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,540.90	4.34	2,545.24	2,375.29	169.95
8.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	484.86	0.00	484.86	372.25	112.61
9.	37	नगर विकास विभाग	3,229.92	586.92	3,816.84	3,162.15	654.69
10.	41	निर्वाचन विभाग	135.17	109.06	244.23	117.25	126.98
11.	42	न्याय विभाग	1,260.36	7.16	1,267.52	1,044.21	223.31
12.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,816.16	17.11	1,833.27	1,632.08	201.19

13.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,149.84	0.00	4,149.84	3,878.27	271.57
14.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	701.32	0.00	701.32	570.62	130.70
15.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध मे राहत)	472.37	218.23	690.60	455.12	235.48
16.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	2,285.23	100.08	2,385.31	2,182.74	202.57
17.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,616.70	0.00	1,616.70	575.43	1,041.27
18.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	19,830.46	0.00	19,830.46	17,996.99	1,833.47
19.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	317.01	8.13	325.14	218.27	106.87
20.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	20,958.70	230.14	21,188.84	18,621.61	2,567.23
21.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,816.86	0.00	8,816.86	7,942.75	874.11
22.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,536.38	3.40	2,539.78	2,191.50	348.28
23.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2,161.13	0.12	2,161.25	1,899.33	261.92
24.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	4,098.99	439.33	4,538.32	4,100.68	437.64
25.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	8,042.74	720.10	8,762.84	7,447.10	1,315.74
26.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	112.67	0.00	112.67	5.48	107.19
27.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,181.43	544.06	2,725.49	1,986.73	738.76
28.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,916.85	0.00	2,916.85	2,319.38	597.47
		योग	**1,13,697.08**	**4,192.51**	**1,17,889.59**	**1,02,495.00**	**15,394.59**
		राजस्व - भारित					
29.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	25,734.80	0.00	25,734.80	25,445.96	288.84
		योग	**25,734.80**	**0.00**	**25,734.80**	**25,445.96**	**288.84**

पूंजीगत - दत्तमत							
30.	9	ऊर्जा विभाग	5,516.17	900.00	6,416.17	6,060.57	355.60
31.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	965.80	4.94	970.74	500.21	470.53
32.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,532.78	100.00	2,632.78	2,487.02	145.76
33.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	9,626.01	61.69	9,687.70	5,022.88	4,664.82
34.	26	गृह विभाग (पुलिस)	646.30	25.00	671.30	544.79	126.51
35.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,037.75	73.55	1,111.30	917.89	193.41
36.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	627.94	0.00	627.94	344.11	283.83
37.	37	नगर विकास विभाग	1,645.13	8.11	1,653.24	1,283.33	369.91
38.	40	नियोजन विभाग	1,868.05	514.73	2,382.78	1,917.29	465.49
39.	42	न्याय विभाग	801.19	12.38	813.57	477.40	336.17
40.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	870.61	20.00	890.61	742.40	148.21
41.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	2,321.40	0.00	2,321.40	2,130.81	190.59
42.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
43.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	218.99	0.00	218.99	61.04	157.95
44.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	226.50	53.82	280.32	94.97	185.35
45.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	3,099.67	0.00	3,099.67	2,575.63	524.04
46.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4,829.57	290.27	5,119.84	3,363.50	1,756.34
		योग	**36,983.86**	**2,064.49**	**39,048.35**	**28,523.84**	**10,524.51**
पूंजीगत –भारित							
47.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	653.22	0.00	653.22	155.24	497.98
48.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	18,034.33	0.00	18,034.33	8,194.31	9,840.02
		योग	**18,687.55**	**0.00**	**18,687.55**	**8,349.55**	**10,338.00**
		महायोग	**1,95,103.29**	**6,257.00**	**2,01,360.29**	**1,64,814.35**	**36,545.94**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2013–14)

सारणी 2.2 यह दर्शाता है कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व दत्तमत के अंतर्गत (10 अनुदानों) अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि), 26–गृह विभाग (पुलिस), 37– नगर विकास विभाग, 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन), 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), 94– सिंचाई विभाग (निर्माण) एवं 95– सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में हुई। इसी प्रकार, ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत (तीन अनुदानों) अनुदान संख्या 21–खाद्य एवं रसद विभाग, 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) में भी रही। इसी प्रकार, ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत पूंजीगत भारित के अन्तर्गत अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) में रही।

पिछले वर्ष में हुई बचत से तुलना करने पर पाया गया कि बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) 12 अनुदानों[1] में से 11 अनुदानों में हुई जैसा **सारणी 2.3** में विवरण दिया गया गया है।

सारणी 2.3: बचत दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान की संख्या	अनुदान का नाम	वर्ष के दौरान हुई बचत	
			2012–13	2013–14
1.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) – राजस्व दत्तमत	644.92	596.10
2.	21	खाद्य एवं रसद विभाग – पूँजीगत दत्तमत	1,039.49	4,664.82
3.	26	गृह विभाग (पुलिस) – राजस्व दत्तमत	793.40	982.88
4.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) – राजस्व दत्तमत	681.45	1,041.27
5.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) – पूँजीगत भारित	9,934.16	9,840.02
6.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन) – राजस्व दत्तमत	677.76	1,833.47
7.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) – राजस्व दत्तमत	1,865.81	2,567.23
8.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) – राजस्व दत्तमत	1,276.78	874.11
9.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) – राजस्व दत्तमत	1,762.10	1,315.74
10.		समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) – पूँजीगत दत्तमत	588.84	524.04
11.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण) – पूँजीगत दत्तमत	805.77	1,756.34

(स्रोतः विनियोग लेखे 2012–13 एवं 2013–14)

2.3.2 अनवरत बचत

सोलह अनुदानों के अंतर्गत 21 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत हो रही थी। इसका विवरण **सारणी 2.4** में दिया गया है। वर्ष 2013–14 में यह बचत

[1] अनुदान सं0–11 (कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग–कृषि), 21 (खाद्य एवं रसद विभाग), 26 (गृह विभाग–पुलिस), 37 (नगर विकास विभाग), 54 (लोक निर्माण विभाग–अधिष्ठान), 61 (वित्त विभाग–ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय), 62 (वित्त विभाग–अधिवर्ष, भत्ते एवं पेंशन), 71 (शिक्षा विभाग–प्राथमिक शिक्षा), 72 (शिक्षा विभाग–माध्यमिक शिक्षा), 83 (समाज कल्याण विभाग–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), 94 (सिंचाई विभाग –निर्माण) एवं 95 (सिंचाई विभाग – अधिष्ठान)।

₹ 126.51 करोड़ (अनुदान संख्या 26– पूँजीगत दत्तमत) से ₹ 9,840.02 करोड़ (अनुदान संख्या 61– पूँजीगत भारित) के मध्य थी।

सारणी 2.4: अनवरत बचत वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की धनराशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व–दत्तमत						
1	11–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	720.33	217.67	766.36	644.92	596.10
2	13–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	33.08	148.94	134.32	103.79	201.09
3	14–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (*पंचायती राज*)	334.35	226.92	211.62	907.53	462.21
4	26–गृह विभाग (पुलिस)	101.09	149.67	54.74	793.40	982.88
5	32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	414.68	203.62	145.70	403.79	471.31
6	37–नगर विकास विभाग	54.47	711.79	625.51	238.51	654.69
7	42–न्याय विभाग	191.88	230.59	172.36	178.52	223.31
8	49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग	218.28	180.62	636.10	372.97	271.58
9	52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	64.65	104.39	69.90	353.02	202.58
10	54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	442.11	396.56	238.54	681.45	1,041.27
11	72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	258.35	785.84	582.87	1,276.77	874.11
12	73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	93.50	571.89	745.76	816.09	348.28
13	83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	291.56	110.33	792.46	1,762.10	1,315.74
14	95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	16.76	14.71	18.03	483.40	597.47
	योग	**3,202.01**	**3,904.60**	**5,059.95**	**8,912.47**	**8,242.62**
पूंजीगत–दत्तमत						
15	11–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	32.74	50.30	100.86	177.73	470.53
16	26–गृह विभाग (पुलिस)	145.34	356.13	488.36	363.24	126.51
17	37–नगर विकास विभाग	374.16	687.12	261.76	737.99	369.91
18	48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	134.62	165.56	373.36	164.73	148.22
19	61–वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	274.13	153.04	401.78	222.64	190.59
20	83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	724.30	103.62	415.46	588.84	524.04
	योग	**1,652.55**	**1,465.47**	**1,940.72**	**2,077.44**	**1,829.80**
पूंजीगत–भारित						
21	61–वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	9,219.96	9,288.06	9,999.25	9,934.16	9,840.02
	योग	**9,219.96**	**9,288.06**	**9,999.25**	**9,934.16**	**9,840.02**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष भर अनुदानों की पर्याप्त संख्या में अनवरत बचत, धन की आवश्यकता एवं प्रवाह की बिना उचित जाँच, राज्य सरकार द्वारा लगातार निधि की आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.3 व्ययाधिक्य

चार अनुदानों के पाँच प्रकरणों में ₹ 13,805.85 करोड़ के व्यय की धनराशि अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 3,502.07 करोड़ अधिक थी, जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक का व्यय था। इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

सारणी 2.5 के विवरणानुसार निम्नलिखित अनुदानों मे लगातार विगत पाँच वर्षों में 2013-14 के अंत तक व्ययाधिक्य पाया गया।

सारणी 2.5: अनवरत अधिक व्यय से सम्बन्धित अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की धनराशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व–दत्तमत						
1	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	132.39	121.37	106.77	166.12	204.95
पूंजीगत–दत्तमत						
2	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	362.12	144.20	54.55	71.97	70.68
3	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,140.84	1,152.14	1,068.66	2,152.37	3,131.34

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

लोक निर्माण विभाग अनुदान संख्या 58 के राजस्व प्रभाग एवं अनुदान संख्या 55 व 58 के पूंजीगत प्रभाग में वर्ष 2009–14 की अवधि में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय मांगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

2.3.4 विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल से नियमित कराये। ऐसा पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2004–05 तक अधिक हुए व्यय का विनियमितीकरण कर लिया है। फिर भी वर्ष 2005–13 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 17,743.99 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था। 82 अनुदानों एवं 32 विनियोगों के अधीन हुए वर्षवार व्ययाधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु लम्बित थे, का विवरण **सारणी 2.6** में दिया गया है।

सारणी 2.6: विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदानों/विनियोगों का विवरण	आधिक्य राशि
2005-06	25–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत–8,12,19,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत–15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40,55,56,57,58,73,75,96; राजस्व भारित–1,52; पूंजीगत भारित–52,55	1,026.78
2006-07	18–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत–9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत–3,16,31,37,55,57,58,89,96; राजस्व भारित–2,3,10,52,62,89	2,484.47
2007-08	12–अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत–51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत–13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित–51,66	3,610.65
2008-09	5–अनुदान 1– विनियोग	राजस्व दत्तमत–62,96; पूंजीगत दत्तमत–55,58,96; राजस्व भारित–52	3,399.42
2009-10	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–58; पूंजीगत दत्तमत–1,16,55,58,59; राजस्व भारित–3,10,16,48,52,66	1,250.16
2010-11	6–अनुदान 4– विनियोग	राजस्व दत्तमत–30,51,91; पूंजीगत दत्तमत–10,55,58; राजस्व भारित–10,23,61,82	1,702.62
2011-12	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–-21,62,91; पूँजीगत दत्तमत–1,55,58; राजस्व भारित–13,18,23,61,62,82	1,889.66
2012-13	4–अनुदान 3– विनियोग	राजस्व दत्तमत–-51,57; पूँजीगत दत्तमत–55,58; राजस्व भारित–55,62,89	2,380.23
		योग	**17,743.99**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.3.5 वर्ष 2013–14 में अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2013–14 में अनुदानों/विनियोगों के तीन प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्ययाधिक्य ₹ 2,608.18 करोड़[2] का सार **सारणी 2.7** में दिया गया है।

[2] विभिन्न अनुदानों में प्रोराटा/उचन्त समायोजन होने के कारण अवशेष आधिक्य धनराशि (₹ 3,508.68 करोड़ - ₹ 2,608.18 करोड़) के अलग से विनियमितीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सारणी 2.7: वर्ष 2013–14 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	व्ययाधिक्य	वर्ष के दौरान निधि का समायोजन	अपेक्षित व्ययाधिक्य का विनियमितीकरण
1	2	3	4	5	6	7
पूँजीगत दत्तमत						
1	55–लोक निर्माण विभाग (भवन)	50.42	121.10	70.68	4.86	65.82
2	58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5,953.90	9,085.24	3,131.34	589.95	2,541.39
	योग	**6,004.32**	**9,206.34**	**3,202.02**	**594.81**	**2,607.21**
पूंजीगत भारित						
3	52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	0.06	1.03	0.97	0.00	0.97
	योग	**0.06**	**1.03**	**0.97**	**0.00**	**0.97**
	महायोग	**6,004.38**	**9,207.37**	**3,202.99**	**594.81**	**2,608.18**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2013–14)

सारणी से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन मार्च 2014 का ₹ 2,608.18 करोड़ का विनियमितीकरण होना अपेक्षित था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन विनियमितीकरण के लिए लम्बित पड़े अधिक व्यय का नियमितीकरण किया जाये।

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2013–14 में 46 प्रकरणों में ₹ 3,687.52 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है। यद्यपि, अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (भवन), 57– लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) एवं 58– लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) में ₹ 1,232.20 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण ₹ 3,501.10 करोड़ का अधिक व्यय अनाच्छादित रहा ***(परिशिष्ट 2.5)***। अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि अनुपूरक बजट में बनाया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित नहीं था।

2.3.7 अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोग

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है[3]।

[3]बजट मैनुअल भाग–II

अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप, 41 अनुदानों के 120 उप–शीर्षो में ₹ 2,062.79 करोड़ की बचत तथा 30 अनुदानों के 60 उपशीर्षो में ₹ 1,166.16 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है।

2.3.8 अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

विभिन्न कारणों से 142 उपशीर्षों से संबंधित अत्यधिक धनराशियों ₹ 16,300.67 करोड़ का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) करना पड़ा। वर्ष 2013–14 के 142 योजनाओं/कार्यक्रमों में कुल प्रावधानित ₹ 21,091.99 करोड़ में से ₹ 16,300.67 करोड़ (77 *प्रतिशत*) की धनराशि अभ्यर्पित की गई, इनमें 62 योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु प्रावधानित ₹ 372.28 करोड़ का शत–प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण अनुदानों, लेखाशीर्षों, अभ्यर्पित धनराशि, अभ्यर्पण के कारणों (जैसा कि शासन द्वारा सूचित किया गया) के साथ ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है। अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित तैयारियाँ नहीं की गयी थी।

2.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वर्ष 2013–14 में 10 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 10,643.12 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 11,071.24 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 428.12 करोड़ का अत्यधिक अभ्यर्पण हुआ जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण रखने में असफल रहा।

2.3.10 अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। फिर भी, वर्ष 2013–14 के अन्त में 55 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 13,674.28 करोड़ की धनराशि निहित थी (***परिशिष्ट 2.9***)।

इसी प्रकार, 92 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में कुल बचत की धनराशि ₹ 23,764.13 करोड़ में से ₹ 15,120.81 करोड़ (64 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत ₹ 38,715.63 करोड़ का 39 *प्रतिशत* थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरूद्ध रहीं तथा इनका उपयोग अन्य विकास कार्यों हेतु नहीं किया जा सका।

2.3.11 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा ₹ 600 करोड़ की कॉर्पस धनराशि के साथ अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1962 के अधीन आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की जाती है जो राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकृत किये

जाने हेतु लम्बित होते हैं। समेकित निधि में सम्बन्धित कार्यदायी मुख्य शीर्ष में व्यय के नामे जमा (डेबिट) करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेन–देन वित्त लेखे के विवरण संख्या–18 में मुख्य शीर्ष 8000– आकस्मिकता निधि के अधीन दर्शाये जाते हैं। वर्ष 2013–14 में यह संज्ञान में आया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 86.55 करोड़ आहरित किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष नहीं की जा सकी एवं मार्च 2014 तक इस धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी।

2.3.12 बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

तेरहवें वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि लोक लेखा को राज्य के समेकित निधि के विकल्प के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और समेकित निधि से लोक लेखा में हस्तांतरण से बचते हुए सरकारी व्यय सीधे समेकित निधि से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–V, भाग–1 का नियम–162 कोषागार से धनराशि के आहरण का निषेध करता है जब तक कि इसके त्वरित वितरण के लिए आवश्यकता न हो।

यद्यपि, नमूना जांच में पाया गया कि ₹ 622.61 करोड़ की धनराशि राजकोष से आहरित की गई एवं प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए व्यक्तिगत लेजर खाते में जमा की गई, जिसका विवरण **सारणी 2.8** में दिया गया है।

सारणी 2.8: बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

क्र0 सं0	अनुदान संख्या, विभाग का नाम तथा मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	व्यक्तिगत लेजर खाते में जमा की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय प्रभावों पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष
1	अनुदान सं0 26 गृह विभाग (पुलिस) मुख्य लेखा शीर्ष 4055	659.30	9.00	अल्ट्रा माडर्न पुलिस कंट्रोल रूम, इलाहाबाद के लिये उपकरण क्रय करने हेतु जारी किये गये ₹ नौ करोड़ 31 मार्च 2014 को आहरित कर उ0प्र0 पुलिस आवास निगम के व्यक्तिगत लेजर खाते में जमा किया गया।
2	अनुदान सं0 37 नगर विकास मुख्य लेखा शीर्ष 2217	3,048.97	393.23	निम्नलिखित धनराशियाँ कोषागार से आहरित कर व्यक्तिगत लेजर खाते में जमा की गईः • रूपये 164 करोड़ छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास योजना (जे.एन.एन.यू. आर.एम. योजना) • रूपये 14.68 करोड़ आदर्श नगर विकास योजना के अंतर्गत • रूपये 4.13 करोड़ सैटेलाइट टाउन डेवलपमेन्ट के अंतर्गत • रूपये 210.42 करोड़ जे.एन.एन.यू. आर.एम. योजना के अंतर्गत

3	अनुदान सं0 49 महिला एवं बाल कल्याण मुख्य लेखा शीर्ष 2235 एवं 4235	4,313.95	220.38	• आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 30 मार्च 2014 को ₹ 160.60 करोड़ की स्वीकृति दी गई एवं कोषागार से 31 मार्च 2014 को आहरित कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण कारपोरेशन, लखनऊ के व्यक्तिगत लेजर खाते में जमा की गयी। • मशीनों/उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 46.54 करोड़ तथा सामग्री क्रय/आपूर्ति हेतु ₹ 13.24 करोड़ की स्वीकृति 31 मार्च 2014 को दी गई एवं 31 मार्च 2014 को ही कोषागार से आहरित कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण कारपोरेशन, लखनऊ के व्यक्तिगत लेजर खाते में जमा की गयी।
	योग	**8,022.22**	**622.61**	

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

अतः, वर्ष 2013–14 में कोषागार से निधियों को आहरित किया गया जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं की अवमानना थी एवं विभागों द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V भाग–1 के नियम के बजटीय नियम का उल्लंघन बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिये किया गया।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अनुपूरक प्रावधान एवं निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन से बचा जाये। विभागीय बजट वास्तविक आधार पर बनाना चाहिए तथा निधियों का अनवरत उपयोग न करना एवं निधियों के अत्यधिक प्रावधान से बचना चाहिए।

2.3.13 व्यय की अधिकता

बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(ई) के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में अधिक व्यय से बचना चाहिये।

वर्ष 2013–14 में कुल राजस्व व्यय का 23.37 *प्रतिशत* एवं कुल पूंजीगत व्यय का 50.11 *प्रतिशत* अकेले मार्च 2014 में ही व्यय किया गया। ऐसे व्यय विभागों के वर्ष के सम्पूर्ण बजट का महत्वपूर्ण भाग (24 *प्रतिशत*) दर्शाते हैं। विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में दिया गया है।

2.4 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की समेकित निधि से (क) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि होती है।

विनियोग अधिनियम, 2013 के कुल 92 अनुदानों में से एक अनुदान नामित अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), की माह सितम्बर 2014 में समीक्षा की गयी। वर्ष 2013–14 में अनुदान के बजट प्रावधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण ***परिशिष्ट 2.12*** में सारांशीकृत है। समीक्षा के परिणाम की चर्चा नीचे की गई है।

अनुदान संख्या 36

अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अधीन वर्ष 2013–14 में ₹ 492.46 करोड़ का प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 374.20 करोड़ व्यय किया गया एवं ₹ 118.26 करोड़ की बचत की गई। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

- सरकार द्वारा ₹ 422.43 करोड़ रोगों से बचाव एवं नियंत्रण हेतु दिया गया। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग के 199 रिक्तियों[4] के न भरे जाने के कारण ₹ 102.82 करोड़ की बचत हुई।

- पुनः भवन के निर्माण एवं उपकरणों के क्रय सहित गवर्नमेन्ट पब्लिक एनालिस्ट लैबोरेट्रीज के उच्चीकरण हेतु सरकार द्वारा ₹ 7.58 करोड़ दिये गये। इनमें से, ₹ 1.94 करोड़ लखनऊ, गोरखपुर एवं झांसी में लैबोरेट्रीज के निर्माण पर व्यय किये गये एवं ₹ 5.64 करोड़ की बचत अपूर्ण निविदा प्रक्रिया, मशीनों एवं उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

2.5 निष्कर्ष

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन

- ₹ 35,206.95 करोड़ की कुल बचत ₹ 38,715.63 करोड़ की बचत का शुद्ध परिणाम थी जो ₹ 3,508.68 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

- अनावश्यक, अपर्याप्त, आधिक्य व बचत आदि के प्रकरण थे।

व्ययाधिक्य

- वर्ष 2005–13 की अवधि में किए गये व्ययाधिक्य ₹ 17,743.99 करोड़ एवं वर्ष 2013–14 में किये गये ₹ 2,608.18 करोड़ के व्ययाधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

[4] सहायक निदेशक मलेरिया-09, जिला मलेरिया अधिकरी-21, फाइलेरिया नियंत्रण अधिकरी-01, कीट विज्ञान सहायक-03, सहायक मलेरिया अधिकारी-54, जीवविज्ञानी-10, सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर-56, मलेरिया इंस्पेक्टर-19, फाइलेरिया इंस्पेक्टर - 22, प्रशासनिक अधिकारी-01, मुख्य लिपिक-01, वरिष्ठ सहायक-02

3 वित्तीय रिपोर्टिंग

3 वित्तीय रिपोर्टिंग

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचनाओं के साथ एक मजबूत आंतरिक प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ इनकी अनुपालन स्थिति पर समयबद्ध एवं गुणात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार अच्छे प्रशासन की विशिष्टियों में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं परिचालन में है, तो यह राज्य सरकार को अपनी आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्वों, नीतिगत योजनाओं एवं निर्णय–प्रबंधन शामिल है, के निर्वहन में सहायता करता है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों के अनुपालन की स्थिति, प्रक्रिया एवं निर्देश का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न किया जाना

3.1.1 राज्य सरकार के नियमों में वर्णित है कि, जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सत्यापन के पश्चात महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिये। उपभोग प्रमाण–पत्रों का अप्रस्तुतीकरण, जारी किये गये सहायता अनुदानों को उनके विशिष्ट उद्देश्यों पर उपभोग हो चुका है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित किया जाना दुष्कर होता है। 31 मार्च 2014 तक अप्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति **सारणी 3.1** में दी गई है।

सारणी 3.1: अप्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति

अवधि	अप्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2011–12 की अवधि तक	3,76,875	80,438.16
2012–13	33,401	12,219.03
2013–14	26,538	18,691.62
योग	**4,36,814**	**1,11,348.81**[1]

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

सारणी से स्पष्ट है कि अधिक संख्या में उपभोग प्रमाण–पत्र जिसमें महत्वपूर्ण राशि भी थी, वर्ष 2013–14 के अंत में अवशेष के रूप में पड़े हुए थे।

अनुग्राही को उपलब्ध कराए गए अनुदान की समीक्षा कराये जाने की आवश्यकता है जिससे उपभोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करने वाले विभागों की पहचान की जा सके।

3.2 विस्तृत आकस्मिक बिल

आहरण एवं संवितरण अधिकारी[2] सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से धनराशियाँ आहरित किये जाने हेतु प्राधिकृत है। आहरण एवं वितरण

[1] इसमें वेतन वितरण हेतु सरकार द्वारा दिये गये ₹ 1,46,060.73 करोड (10,42,241 मदें) के अनुदान सम्मिलित नहीं है।
[2] शासनादेश संख्या–ए-1-सी (1) दस-10820/2001 दिनांक 24 जनवरी–2006।

अधिकारियों द्वारा आहरित ए0सी0 बिल के सापेक्ष समर्थित अभिलेखों सहित विस्तृत आकस्मिक बिल महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सार आकस्मिक देयकों के सापेक्ष लम्बे समय तक विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण सार आकस्मिक देयकों के अंतर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2014 तक, ₹ 115.96 करोड़ के 7,032 सार आकस्मिक देयक, विस्तृत आकस्मिक देयकों के अभाव में असमायोजित थे। वर्षवार विवरण **सारणी 3.2** में दी गई है।

सारणी 3.2: असमायोजित सार आकस्मिक बिल

वर्ष	आहरित ए0सी0 बिल		वर्ष 2013–14 में प्राप्त विस्तृत आकस्मिक बिल		31 मार्च 2014 को अवशेष सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2011-12 तक	33,329	674.69	26,613	596.33	6,716	78.36
2012-13	735	33.03	649	28.24	86	4.79
2013-14	499	38.56	269	5.75	230	32.81
योग	**34,563**	**746.28**	**27,531**	**630.32**	**7,032**	**115.96**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

वर्ष 2013–14 में, आहरित ₹ 38.56 करोड़ के 499 ए0सी0 बिलों के सापेक्ष 94 सार आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 13.86 करोड़ थी, मार्च 2014 में आहरित किये गये, जिनमें से 23 सार आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 5.52 करोड़ थी, दिनाँक 26 और 30 मार्च 2014 के मध्य आहरित किए गए। मार्च माह में तथा विशेष रूप से मार्च माह के अंतिम सप्ताह में सार आकस्मिक बिल के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय करना प्रथमतः बजट का उपभोग करना और अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है।

3.3 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय लेन–देन एवं व्यवसाय में दक्षता दर्शाते हुए प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखा बनाया जाता है। इन लेखों को लेखापरीक्षा हेतु लेखा–बन्दी माह के तीन माह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2014 तक इस प्रकार के नौ उपक्रम थे। इनमें से तीन उपक्रमों ने अद्यतन प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये थे। ऐसे विभागवार उपक्रम, जिनके प्रोफॉर्मा लेखे शेष थे, का विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन (बिना किसी सरकारी निवेश के) द्वारा अद्यतन उपलब्ध लेखों के आधार पर (वर्ष 2013–14 तक) अपने लेखे वर्ष 1990–91 से तैयार नहीं किये गये थे। इसी तरह, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य पशुधन सह कृषि फार्म जिसमें सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 6,230.69 करोड़ एवं ₹ 24.85 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक के लेखे तैयार नहीं किये गये थे।

फलस्वरूप, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम में शासन द्वारा निवेशित धनराशि की लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका से की जाने वाली जांच से परे थी।

3.4 लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार, हानि एवं गबन के प्रकरणों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी.एण्ड एस.एस.ए.), उ0प्र0, इलाहाबाद को, उन प्रकरणों सहित जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो, अविलम्ब प्रेषित किये जाने चाहिए।

वर्ष 2013–14 की अवधि तक, इस प्रकार के 142 प्रकरण लम्बित थे जिनमें ₹ 8.91 करोड़ की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण भी ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये अवधिवार लम्बित प्रकरणों को **सारणी 3.3** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.3: लम्बित प्रकरणों की स्थिति

अवधिवार लम्बित प्रकरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ लाख में)
0-5	22	358.15	चोरी	65	42.90
5-10	22	59.07			
10-15	07	19.43	दुर्विनियोग	10	64.89
15-20	43	66.81			
20-25	19	31.73	हानियां	24	171.74
25 और इससे अधिक	29	356.04	गबन	43	611.70
योग	**142**	**891.23**	**कुल**	**142**	**891.23**

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ₹ 8.94 करोड़, के 143 प्रकरणों (31 मार्च 2013 तक) में से ₹ 2.61 लाख का एक प्रकरण[3] निस्तारित/बट्टे खाते में डाल दिया गया था (वर्ष 2013–14), एवं अवशेष 142 प्रकरण जिसमें ₹ 8.91 करोड़ की धनराशि निहित थी, मार्च 2014 तक **सारणी 3.4** में दिये गये विभिन्न कारणों से लम्बित पड़े थे।

सारणी 3.4: लम्बित प्रकरणों के कारण

	विलम्ब/बकाया प्रकरणों का कारण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
i	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	27	189.67
ii	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	76	547.79
iii	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की प्रक्रिया के प्रकरण लम्बित हैं	2	4.58
iv	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	12	7.99
v	माननीय न्यायालयों में लम्बित	25	141.20
	योग	**142**	**891.23**

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

[3]

विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
राजस्व	उत्तर प्रदेश सरकार	लेखपाल द्वारा गबन, तहसील रसूलाबाद, कानपुर देहात	एक	2.61

चोरी, दुर्विनियोग, गबन, हानियों आदि के समस्त प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए।

3.5 लघु लेखा शीर्ष–'800' का परिचालन

लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय का लेखों में केवल तभी परिचालन किया जाना उचित है जब तक समुचित लघु शीर्षों की लेखे में उपलब्धता न हो। वर्ष 2013–14 के दौरान, व्यय संबंधी विभिन्न मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत ₹ 23,446.22 करोड़ के व्यय हुए जो राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के समस्त व्यय, ₹ 1,91,009.52 करोड़, के लगभग 12.27 *प्रतिशत* था, सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया था। इसी प्रकार, ₹ 23,345.53 करोड़ राजस्व के विभिन्न मुख्य शीर्षों के प्राप्ति पक्ष, कुल राजस्व प्राप्तियों, ₹ 1,68,213.75 करोड़ का लगभग 13.88 *प्रतिशत*, सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत अंकित किया गया। ऐसे उदाहरण जहाँ लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत धनराशि जिनका अनुपात सम्बन्धित शीर्षों के सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष अत्यधिक है (मुख्य शीर्षों के अधीन प्राप्तियों/व्यय के 50 प्रतिशत या अधिक) का विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** एवं ***3.5*** में दिया गया है एवं **सारणी 3.5** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.5: लघु लेखा शीर्ष–800 के अंतर्गत 'अन्य प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' का दर्शाया जाना

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष
100 *प्रतिशत*	1,206.58	0801, 0217, 0023, 1456, 0810, 0415, 0575, 0852, 0875, 0215, 0047	6,484.52	2801, 2040, 2245, 5053, 2705, 2407, 4047, 2885, 2041, 4853
75 *प्रतिशत* एवं 99 *प्रतिशत* के मध्य	5,145.90	0235,1452, 0075, 0700, 0406, 0056, 0211, 0071, 0029, 1054, 0230, 0059, 1055	1,533.30	4070,2425, 4575
50 *प्रतिशत* एवं 74 *प्रतिशत* के मध्य	12,622.40	0403, 0851, 0055, 0515, 1601, 0220	2,440.54	4235, 2700, 4401, 2501, 2405, 2230, 3454
योग	**18,974.88**		**10,458.36**	

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

परिणामस्वरूप, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अंतर्गत किये गये व्यय जो कि लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, वित्त लेखे 2013–14 में अलग से दर्शाये नहीं जा सके।

लघु शीर्ष–800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

3.6 धनराशियों को केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना

वर्ष 2013–14 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से ₹ 182.72 करोड़ निर्गत किया गया। निधि के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों

के अनुसार, केन्द्रीय अनुदान को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मुख्य लेखाशीर्ष '1601– केन्द्रीय सरकार से सहायता' में लेखाबद्ध कर समतुल्य धनराशि लोक लेखे के मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान' में स्थानान्तरित कर राजस्व व्यय शीर्ष '3054–सड़क तथा सेतु' के नामें डाली जानी चाहिये। किन्तु मुख्य शीर्ष–3054 के अंतर्गत कोई भी बजट प्रावधान न किये जाने के कारण लोक लेखे में कोई धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, राजस्व आधिक्य में ₹ 182.72 करोड़ की अधिकता दर्शाई गई।

3.7 नकद अवशेषों में भिन्नता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये राज्य सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 76.50 करोड़ (निवल नामे) में विसंगति का मुख्य कारण एजेन्सी बैंकों द्वारा आकड़ों का मिलान न किया जाना है, तथा इनका मिलान किया जा रहा है।

3.8 वैयक्तिक जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण

राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिये व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। नामांकित प्रशासकों को इन व्यक्तिगत निक्षेप खातों में निधियां, जो राज्य के समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) के सापेक्ष व्यय के रूप में अंकित किया जाता है, को स्थानान्तरित कर परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है। यद्यपि, इन व्यक्तिगत निक्षेप खातों को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को बन्द किये जाने एवं शेष धनराशि की सरकारी लेखे में वापसी आवश्यक है। तथापि, राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। विवरण **सारणी 3.6** में दिया गया है।

सारणी 3.6: वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष 2013–14 में खोले गये खातों की संख्या		वर्ष 2013–14 में बंद किये गये खातों की संख्या		अन्तिम अवशेष	
खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)
1,502	2,311.31	शून्य	3,099.19	08	शून्य	1,494[4]	5,410.50

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

पुनः, राज्य के 77 कोषागारों में से 47 ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान, उनके द्वारा रखरखाव किये गये 867 व्यक्तिगत निक्षेप खातों का मिलान किया गया है। शेष 30 कोषागारों के मिलान की स्थिति संबंधित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी।

3.9 दिये गए अनुदान/ऋण के विवरण का अप्रस्तुतीकरण

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 में यह प्रावधानित है कि सरकार एवं सहायक अनुदान स्वीकृत करने वाले विभागाध्यक्षों द्वारा ऐसी संस्थाओं/संगठनों, जिन्हें विगत

[4] राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1494 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में से 816 परिचालित और 678 अपरिचालित हैं। अपरिचालित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को बन्द कराने सम्बन्धी प्रक्रिया की जा रही है।

वित्तीय वर्ष में ₹ 10.00 लाख या अधिक की वित्तीय सहायता दी गयी थी, अनुदान की राशि प्रदर्शित करते हुए, जिस उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था एवं संस्थाओं/संगठनों के कुल व्यय का एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनकी पहचान की जा सके जिनकी लेखापरीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अधीन सम्पन्न की जाती है। यद्यपि, इस प्रकार का कोई विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

3.10 निष्कर्ष

उपभोग प्रमाण–पत्रों एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न किया जाना

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत तक उपभोग प्रमाण–पत्र एवं सार आकस्मिक बिल के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल लम्बित थे।

चोरी एवं दुर्विनियोग के प्रकरण

- प्रचुर मात्रा में चोरी, दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण या तो वसूली अथवा अपलेखन के अभाव में लम्बित थे, जिनमें ₹ 891.23 लाख की धनराशि सन्निहित थी।

4

वित्त विभाग
विविध आरक्षित निधियों का प्रबन्धन

4 वित्त विभाग
विविध आरक्षित निधियों का प्रबन्धन

4.1 प्रस्तावना

लेखों के मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षों की सूची में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सरकार राज्य की समेकित निधि से एक निश्चित धनराशि को अलग करके विशेष प्रयोजनों हेतु आरक्षित निधि का सृजन कर सकती है। इन आरक्षित निधियों की धनराशि विशेष प्रयोजनों हेतु होती है।

4.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्यों के माध्यम से यह आकलन करना था कि क्याः

- निधियों का सृजन एवं संचालन लागू नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप था; एवं
- लेखांकन प्रक्रिया सही थी।

4.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित थेः

- विविध आरक्षित निधियों के दिशानिर्देश;
- संबंधित वर्षों के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट आकलन;
- बजट मैनुअल, वित्तीय नियम एवं मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षों की सूची; एवं
- समय–समय पर निर्गत शासकीय/विभागीय आदेश, मैनुअल्स एवं परिपत्र।

4.4 कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग; राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अवधि 2009–14 से संबंधित अभिलेखों की जांच जून एवं जुलाई 2014 के मध्य की गई। उच्च धनराशि के आधार पर कुल 19 आरक्षित निधियों[1] में से तीन संचालित[2] एवं दो असंचालित[3] आरक्षित निधियों को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया।

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के साथ 1 दिसम्बर 2014 को लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। चर्चा एवं शासन द्वारा दिये गये उत्तर के परिणामों को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से संबंधित स्थानों पर उद्धृत किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :

4.5 वित्तीय स्थिति

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत 2009–14 की अवधि में 31 मार्च के अंतिम अवशेषों की स्थिति **सारणी 4.1** में तथा विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया हैः

[1] उत्तर प्रदेश के वित्त लेखों के अनुसार।
[2] सिंकिंग फण्ड, राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य सड़क निधि।
[3] जमींदारी उन्मूलन निधि एवं अकाल राहत निधि।

सारणी 4.1: वर्ष 2009–14 में आरक्षित निधियों के अन्तिम अवशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14[4]
कुल आरक्षित निधियां, जिसमें से	20	20	19	19	19
(1) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ					
कुल आरक्षित निधियों की संख्या	3	3	3	3	3
अंतिम अवशेष	1,650.30	714.17	64.17	64.17	64.17
निवेश लेखा	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42
(2) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ					
कुल आरक्षित निधियों की संख्या	17	17	16	16	16
अंतिम अवशेष	22,107.48	25,382.27	31,519.52	35,905.65	43,859.87
निवेश लेखा	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
कुल अंतिम अवशेष (1 एवं 2)	**23,757.78**	**26,096.44**	**31,583.69**	**35,969.82**	**43,924.04**
कुल निवेश लेखा (1 एवं 2)	**45.20**	**45.20**	**45.20**	**45.20**	**45.20**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

यह भी पाया गया कि 31 मार्च 2014 को कुल 19 आरक्षित निधियों में से 10 आरक्षित निधियां संचालित थी जिसमें अन्तिम अवशेष ₹ 43,865.49 करोड़ एवं निवेशित धनराशि ₹ 44.42 करोड़ थी तथा नौ आरक्षित निधियों का संचालन चार से 14 वर्षों[5] तक नहीं हुआ जिनमें अंतिम अवशेष ₹ 58.55 करोड़ तथा निवेशित धनराशि ₹ 0.78 करोड़ थी ***(परिशिष्ट 4.2 अ एवं 4.2 ब)***।

शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2014) कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से इस प्रकार की आरक्षित निधियों को बन्द करके इनकी धनराशियों को राजस्व में जमा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध (अक्टूबर 2014) किया गया है। वास्तविकता यह थी कि इन आरक्षित निधियों के सृजन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

4.6 चयनित आरक्षित निधियों के अन्तर्गत प्राप्तियां एवं संवितरण

शासन के वित्त लेखों के आधार पर वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रारम्भिक अवशेषों, अन्तिम अवशेषों तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों को नीचे दिये गये सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी 4.2: चयनित आरक्षित निधियों की प्राप्तियां एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सिंकिंग फण्ड	राज्य आपदा मोचन निधि[6]	राज्य सड़क निधि	जमींदारी उन्मूलन निधि[7]	अकाल राहत निधि में अवशेष/अकाल राहत निधि– निवेश लेखा	आरक्षित निधियों का कुल अवशेष/ आरक्षित निधियां – निवेश लेखा
प्रारम्भिक अवशेष (1 अप्रैल 2009)	24,846.59	35.48	998.41	37.92 *(डेबिट)*	9.31/0.78	25,851.87/ 0.78
प्राप्तियां (2009–14)	37,441.85	2,938.33	2,100.00	शून्य	शून्य	42,480.18
संवितरण (2009–14)	22,035.73	2,737.91	940.96	शून्य	शून्य	25,714.60
अंतिम अवशेष (31 मार्च 2014)	40,252.71	190.89	2,157.45	7.08	9.31/0.78	42,617.44/ 0.78

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

[4] ब्याज वाली आरक्षित निधियों का अविभाजित अवशेषः ₹ 979.74 करोड़ (क्रेडिट) एवं निवेश ₹ 44.42 करोड़ तथा बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों का अविभाजित अवशेष ₹ 7,006.92 करोड़ (क्रेडिट) एवं निवेश ₹ 0.78 करोड़; 19 आरक्षित निधियों के कुल अविभाजित अवशेष ₹ 7,986.66 करोड़ (क्रेडिट) एवं निवेश ₹ 45.20 करोड़।

[5] उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन 9 नवम्बर 2000 से असंचालन किया गया है।

[6] प्रोफार्मा करेक्शन के कारण प्रारम्भिक एवं अन्तिम अवशेष में ₹ 45 करोड़ का अन्तर।

[7] प्रोफार्मा करेक्शन के कारण प्रारम्भिक एवं अन्तिम अवशेष में ₹ 45 करोड़ का अन्तर।

सारणी से स्पष्ट है कि भारी मात्रा में धनराशियों को शासन द्वारा आरक्षित निधियों में रखा गया था तथा 2013–14 के अंत में तीन संचालित आरक्षित निधियों की धनराशि (₹ 42,601.05 करोड का *प्रतिशत* कुल आरक्षित निधियों की धनराशि (₹ 43,924.04 करोड़ एवं निवेश ₹ 45.20 करोड़; **सारणी–4.1**) का 97 *प्रतिशत* था।

चर्चा (दिसम्बर 2014) के दौरान प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

4.7 आरक्षित निधियों का सृजन

शासन सक्षम प्राधिकारी की सहमति से समेकित निधि से विशेष प्रयोजनों हेतु निश्चित धनराशि को अलग करके आरक्षित निधियों का सृजन कर सकती है। जब आरक्षित निधियों का सृजन संवैधानिक दायित्वों के अंतर्गत किया जाना हो, संबंधित लेखाशीर्ष की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित आरक्षित निधियों के सृजन से संबंधित अभिलेखों/सूचनाओं के मांगे जाने पर वित्त विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2014) कि विभाग का संबंध मात्र सिंकिंग फण्ड से है तथा सिंकिंग फण्ड हेतु न तो कोई नियम बनाया गया है और न ही इसके सृजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध है। अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि चयनित आरक्षित निधियों का सृजन सांविधिक दायित्वों के अंतर्गत अथवा इसके इतर किया गया तथा इसके सृजन हेतु सक्षम प्राधिकारी की सहमति ली गई थी।

4.7.1 गारण्टी रिडेम्शन निधि का सृजन नहीं करना

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार किसी नियम अथवा विधि के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक की गारण्टी नहीं दे सकती है। अग्रेतर, भारतीय रिजर्व बैंक ने गारंटी लागू होने से सृजित आकस्मिक देयताओं की सेवाओं हेतु गारण्टी रिडेम्शन निधि के सृजन को (मई 2006) प्रस्तावित किया। वर्ष 2009–14 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारण्टी की स्थिति निम्नवत थी:

सारणी 4.3: राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गारण्टी की अधिकतम धनराशि	29,311	29,778	29,629	50,459	69,752
गारण्टी की बकाया धनराशि (ब्याज सहित)	20,038	20,162	21,752	43,337	62,822

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 के अंत तक दी गई गारण्टी की अधिकतम धनराशि के फलस्वरूप सृजित आकस्मिक देयताओं की धनराशि ₹ 69,752 करोड़ थी। यह देखा गया कि वर्ष 2009–10 के दौरान ₹ 55.50 करोड़ की गारण्टी लागू हुई थी। फिर भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार द्वारा दी जाने वाली गारण्टी की सीमा हेतु न तो कोई कानून अथवा नियम बनाया और न ही आकस्मिक देयताओं की पूर्ति हेतु गारण्टी रिडेम्शन निधि का सृजन ही किया गया।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) कि उत्तर प्रदेश ने गारण्टी रिडेम्शन निधि का सृजन नहीं किया है।

4.8 आरक्षित निधियों का संचालन

4.8.1 संचालित आरक्षित निधियाँ

4.8.1.1 सिंकिंग फण्ड का संचालन

उत्तर प्रदेश सरकार बाजार ऋणों के परिशोधन हेतु मुख्य लेखाशीर्ष 8222–सिंकिंग फण्ड–01–101–सिंकिंग फण्ड, जो मुख्य लेखाशीर्ष 2048 से पुस्तकीय समायोजन के माध्यम से होता है, का संचालन करती है। यह पाया गया कि आवश्यकताओं का निर्धारण किये बिना ही भारी धनराशियों को सिंकिंग फण्ड में अंतरित किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 4.4: वर्ष 2009–14 में सिंकिंग फण्ड की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मुख्य लेखाशीर्ष: 2048 से सिंकिंग फण्ड में अंतरित	वर्ष के दौरान परिपक्व बाजार श्रृण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किये गये बाजार श्रृण	आवश्यकता से अधिक अंतरण (कॉलम 2–कॉलम 4)
1	2	3	4	5
2009-10	4,866.62	2,633.82	2,643.24	2,223.38
2010-11	7,322.69	1,925.37	1,928.46	5,394.23
2011-12	8,626.61	2,996.24	2,997.05	5,629.56
2012-13	8,261.69	3,236.91	3,237.08	5,024.61
2013-14	8,364.24	2,945.98	2,946.09	5,418.15
योग	**37,441.85**	**13,738.22**	**13,751.92**	**23,689.93**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार)

सारणी से स्पष्ट है कि सिंकिंग फण्ड में आवश्यकता से अत्यधिक अंतरण के फलस्वरूप अंतिम अवशेषों में वृद्धि हुई **(सारणी 4.2)**। फिर भी यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंकिंग फण्ड से कोई निवेश नहीं किया।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि बाजार ऋणों की परिपक्वता के आधार पर सिंकिंग फण्ड में धनराशियों का अंतरण किया गया। वास्तविकता यह थी कि सिंकिंग फण्ड में अधिक धनराशियों का अंतरण किया गया।

सरकार को आवश्यकताओं के आधार पर सिंकिंग फण्ड में धनराशियों का अंतरण तथा इसके संचालन हेतु तुरन्त नियम बनाने चाहिये।

4.8.1.2 समेकित सिंकिंग फण्ड के सृजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुतियों का अनुपालन नहीं करना

बारहवें वित्त आयोग (2005–10) एवं विभिन्न समितियों[8] की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने समेकित सिंकिंग फण्ड के सृजन की योजना का प्रस्ताव (मई 2006) दिया जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जाना था। योजना के अनुसार, समेकित सिंकिंग फण्ड का उपयोग अवशेष देयताओं (आंतरिक ऋण एवं लोक लेखा की देयतायें) के विमोचन हेतु एक परिशोधन निधि के रूप में किया जाना था। विगत वर्ष के अंत में अवशेष देयतायें, जो वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ होनी थी, का वार्षिक

[8] राज्यों द्वारा उधार लिये जाने पर तकनीकी समूह (अध्यक्षः श्रीमती एस. गोपीनाथ) तथा राज्यों के अर्थोपाय अग्रिमों पर परामर्श समिति (अध्यक्षः श्री एम.पी. बेजबरूआ)।

न्यूनतम योगदान 0.5 *प्रतिशत* था तथा निधि का उपयोग पांच वर्षों की निश्चित अवरुद्धता अवधि के पश्चात् वर्ष 2011–12 से किया जाना था। निधि में हो रही वृद्धि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना था तथा इस पर मिलने वाला ब्याज, जो निधि में एकत्रित होना था, से सरकार की बकाया देयताओं के विमोचन हेतु उपयोग किया जाना था। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने समेकित सिंकिंग फण्ड का सृजन नहीं किया।

वित्त विभाग ने स्वीकार किया (जुलाई 2014) कि समेकित सिंकिंग फण्ड का सृजन नहीं किया गया है।

सरकार को समेकित सिंकिंग फण्ड का सृजन एवं बकाया देयताओं के विमोचन हेतु निवेश करना चाहिये।

4.9 राज्य आपदा मोचन निधि का संचालन

4.9.1 निधियों को शासकीय लेखे से बाहर रखना

राज्य आपदा मोचन निधि दिशानिर्देशों (सितम्बर 2010) के अनुसार इस निधि को राज्य सरकार के लेखों में लोक लेखा के अंतर्गत आरक्षित निधि में ''राज्य आपदा मोचन निधि'' के नाम से सृजित किया जाना था तथा आपदा राहत निधि में 31 मार्च 2010 के अवशेषों को राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण किया जाना था तथा आपदा राहत निधि बन्द हो जायेगी। अग्रेतर, जब भी आरक्षित निधियों अथवा उसके भाग का निवेश किया जायेगा, निवेश लेखा को निधि के उपशीर्ष के नीचे अलग एक उपशीर्ष में प्रदर्शित किया जायेगा। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने आपदा राहत निधि से संबंधित ₹ 136.57 करोड़, जिसका परिपक्वता मूल्य ₹ 154.58 करोड़ (30 मार्च 2018 तक परिपक्व) था एवं जो विभिन्न बैंक खातों में सावधि जमा के रूप में रखी गई थी, को राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरित नहीं किया तथा यह सरकारी लेखों में निधि के उपशीर्ष के नीचे, एक अलग उपशीर्ष के रूप में प्रदर्शित नहीं हो रहा था।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि यदि आवश्यक हुआ तो शासन राज्य आपदा मोचन निधि में निवेशित धनराशि के अंतरण हेतु निर्णय लेगा। तथ्य यह था कि राज्य सरकार द्वारा ₹ 136.57 करोड़, जिसकी परिपक्वता मूल्य ₹ 154.58 करोड़ था, को शासकीय लेखों से बाहर रखा गया।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शासन को आपदा राहत निधि की धनराशि को राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण करना चाहिये।

4.9.2 राज्य आपदा मोचन निधि से अनियमित व्यय

राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 17 के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि प्राकृतिक आपदाओं से तुरन्त राहत हेतु है तथा आपदा से तैयारी, पुनः स्थापन, पुनर्निर्माण एवं शमन राज्य आपदा मोचन निधि का भाग नहीं होना चाहिये। इस प्रकार के व्यय को राज्य आयोजनागत निधियों से किया जाना आवश्यक है। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–14 की अवधि में सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनः स्थापन पर व्यय किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 4.5: राज्य आपदा मोचन निधि से पुनः स्थापन के कार्यों पर किये गये व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनः स्थापन पर व्यय	प्रतिशत
2010-11	618.33	320.07	52
2011-12	690.15	544.04	79
2012-13	510.88	367.98	72
2013-14	656.46	368.49	56
योग	**2,475.82**	**1,600.58**	

(स्रोतः राजस्व विभाग)

उपर दी गई सारणी यह प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2010–14 के मध्य कुल व्यय के सापेक्ष पुनः स्थापन पर किया गया व्यय ₹ 320.07 करोड़ (52 प्रतिशत) एवं ₹ 544.04 करोड़ (79 प्रतिशत) के मध्य था।

शासन ने बताया (जून 2014) कि राज्य की वृहद भौगोलिक स्थिति एवं आपदा से हुई हानियों के कारण पुनः स्थापन पर व्यय किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय प्राकृतिक आपदाओं से तुरन्त राहत प्रदान करने हेतु था तथा आपदा से तैयारी, पुनः स्थापन, पुनर्निर्माण एवं शमन राज्य आपदा मोचन निधि का भाग नहीं होना चाहिये।

सरकार को राज्य आपदा मोचन निधि से पुनः स्थापन कार्यों पर व्यय किये जाने से बचना चाहिये।

4.9.3 राज्य आपदा मोचन निधि का निवेश नहीं करना

राज्य आपदा मोचन निधि दिशानिर्देशों के प्रस्तर 19 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निधि की एक या अधिक साधनों[9] में निवेश करना था तथा इससे प्राप्त ब्याज को राज्य आपदा मोचन निधि में जमा करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–14 की अवधि में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 1,661.07 करोड़[10] का अंशदान किया गया परन्तु धनराशि को निवेशित नहीं किया गया। निधि का निवेश नहीं करने के फलस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुये बताया (जुलाई 2014) कि राज्य आपदा मोचन निधि का निवेश नहीं किया गया है।

शासन को राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देशों में बताये गये साधनों में निधि का निवेश करना चाहिये।

4.9.4 राज्य आपदा मोचन निधि का लेखांकन

राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को निधि का संचालन मुख्य लेखाशीर्ष – 8121 (ब्याज सहित) में करना होगा तथा राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत दिये जाने वाले ब्याज दर से इस पर ब्याज देना होगा। परन्तु अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य सरकार निर्धारित मुख्य लेखाशीर्ष 8121 के स्थान पर मुख्य लेखाशीर्ष 8235 (ब्याज रहित) के अंतर्गत निधि का संचालन कर रही है।

[9] केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रत्याभूतियां, नीलामी वाली ट्रेजरी बिल्स एवं ब्याज सहित निक्षेप तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा प्रमाणपत्र।

[10] 2010–11: ₹ 385.39 करोड़; 2011–12: ₹ 404.66 करोड़; 2012–13: ₹ 424.89 करोड़ एवं 2013–14: ₹ 446.13 करोड़।

शासन ने बताया (जुलाई 2014) कि वित्त विभाग ने राज्य आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु मुख्य लेखाशीर्ष 8235 आवंटित किया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देश के अनुसार निधि का संचालन मुख्य लेखाशीर्ष 8121 (ब्याज सहित आरक्षित निधियां) के अंतर्गत करने की अनुमति देता है।

शासन को राज्य आपदा मोचन निधि का संचालन अनुमन्य मुख्य लेखाशीर्ष (ब्याज सहित आरक्षित निधियां) के अंतर्गत करना चाहिये।

4.9.5 राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुस्तांकित व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत कटौतियों के रूप में नहीं दर्शाया जाना

राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार राहत कार्यों पर किये गये वास्तविक व्यय को मुख्य लेखाशीर्ष 2245 में संबंधित लघु लेखाशीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना था तथा राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय को मुख्य लेखाशीर्ष "2245– 05–901–कटौतियां–राज्य आपदा मोचन निधि" से कार्यों पर किये गये व्यय, के अंतर्गत ऋणात्मक प्रविष्टि दर्शाया जाना था। आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचन निधि की वर्ष 2009–14 की अवधि में स्थिति निम्नानुसार थी:

सारणी 4.6: आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचन निधि की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	सहायता अनुदान (75 *प्रतिशत* केन्द्रांश)	केन्द्रांश +राज्यांश (100 प्रतिशत)	मुख्य लेखाशीर्ष 2245–05–101	मुख्य लेखाशीर्ष 8235–00–111–प्राप्तियां	मुख्य लेखाशीर्ष 8235–00–111–संवितरण	मुख्य लेखाशीर्ष 2245 के अंतर्गत कटौतियां
2009-10	39,851.00[11]	53,134.67	33,268.59	33,273.34	47,587.83	0.00
2010-11	55,426.50	73,902.00	38,539.00	38,539.00	53,021.37	0.00
2011-12	30,350.00	40,466.67	1,10,783.33	1,10.789.94	63,232.97	0.00
2012-13	32,367.00	43,156.00	61,458.00	62,458.00	47,041.57	0.00
2013-14	33,460.00	44,613.33	44,613.25	48,772.63	62,907.36	62,907.36

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2009–13 की अवधि में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुस्तांकित व्यय को मुख्य लेखाशीर्ष 2245–05–901 के अंतर्गत ऋणात्मक प्रदर्शित नहीं किया गया, यद्यपि यह आवश्यक था।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2014) कि लेखों में इस प्रक्रिया को वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ कर दिया गया है। वास्तविकता यह थी कि इसका प्रारम्भ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात किया गया।

4.10 राज्य सड़क निधि का संचालन

4.10.1 राज्य सड़क निधि हेतु बढ़े हुये दर पर लगाये गये कर को निधि में अंतरण नहीं करना

राज्य सरकार ने जनवरी 2000 में राज्य सड़क निधि के नियमों को अधिसूचित किया तथा इसके वित्त साधन हेतु डीजल पर बिक्री कर 16 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 20 *प्रतिशत*

[11] आपदा राहत निधि के लिये अंशदानः ₹ 24,951.44 लाख एवं प्राकृतिक आपदा के कारण राहतः ₹ 14,899.56 लाख कुल = ₹ 39,851.00 लाख।

तथा पेट्रोल पर 14 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 20 *प्रतिशत* कर दिया। तद्नुसार, राज्य सरकार ने मुख्य लेखाशीर्ष 8225 के अंतर्गत जनवरी 2000 में राज्य सड़क निधि का सृजन किया।

वर्ष 2009–14 की अवधि में कुल बिक्री कर के सापेक्ष डीजल एवं पेट्रोल पर क्रमशः चार एवं छः *प्रतिशत* के बढ़े हुये दर से बिक्री कर की स्थिति निम्नवत थीः

सारणी 4.7: राज्य सड़क निधि के लिये बढ़े दर से कर प्रावधान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीजल एवं पेट्रोल पर कुल बिक्री कर	राज्य सड़क निधि में बढ़े दर से अन्तरित की जाने वाली कर की राशि	राज्य सड़क निधि में अन्तरित की गई राशि	अवशेष राशि (क्रमिक)
2009-10	4,739.36	1,105.20	0.00	1,105.20
2010-11	5,956.97	1,405.21	0.00	2,510.41
2011-12	7,032.54	1,676.64	0.00	4,197.05
2012-13	8,088.44	1,922.35	0.00	6,119.40
2013-14	9,480.37	2,252.13	2,100.00	6271.53
योग	**35,297.68**	**8,361.53**	**2,100.00**	

(स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग एवं लोक निर्माण विभाग)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–14 की अवधि में राज्य सरकार ने बढ़े हुये दर पर कर के रूप में ₹ 8,361.53 करोड़ एकत्रित किया परन्तु इसी अवधि में ₹ 2,100.00 करोड़ ही राज्य सड़क निधि में अंतरित किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2013–14 में राज्य सड़क निधि का पुनः संचालन किया तथा बढ़े हुये दर से कर के रूप में प्राप्त ₹ 2,252.13 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2,100 करोड़ का अंतरण राज्य सड़क निधि में किया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 6,271.53 करोड़ की धनराशि को निधि में जमा नहीं किया गया।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव वित्त विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (दिसम्बर 2014) कि इस निधि का संचालन वर्ष 2013–14 से पुनः आरम्भ कर दिया गया है।

निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष डीजल एवं पेट्रोल पर बढ़े हुये दर से प्राप्त कर को राज्य सड़क निधि में अंतरित करना चाहिये।

4.10.2 राज्य सड़क निधि से अनुचित व्यय

राज्य सड़क निधि से किया जाने वाला व्यय सड़कों की मरम्मत एवं सुधार हेतु मुख्य लेखाशीर्ष "3054–सड़क एवं सेतु" के अंतर्गत ही किया जाना था। राज्य सड़क निधि नियमावली के अनुसार निधि के उपयोग हेतु मदों एवं मानदण्डों के निर्धारण हेतु राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति उत्तरदायी थी। निधि के नियमों में जनवरी 2013 में बदलाव करके शासन द्वारा राज्य सड़क निधि से मुख्य लेखाशीर्ष 5054 के अंतर्गत पूंजीगत व्यय को भी अनुमन्य कर दिया गया।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों की जांच (जून एवं जुलाई 2014) में पाया गया कि राज्य सड़क निधि नियमावली के विपरीत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–12 की अवधि में मुख्य लेखाशीर्ष "5054" के अंतर्गत ₹ 1,434.06 करोड़ का व्यय पूंजीगत कार्यों पर किया गया।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2014) कि राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति की संस्तुतियों को आधार पर पूंजीगत व्यय किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पूंजीगत व्यय (मुख्य लेखाशीर्ष 5054) जनवरी 2013 के उपरान्त ही अनुमन्य था।

4.11 असंचालित आरक्षित निधियाँ

4.11.1 अकाल राहत निधि

उत्तर प्रदेश अकाल राहत निधि अधिनियम 1936 के अंतर्गत सृजित उत्तर प्रदेश अकाल राहत निधि, का वित्त पोषण मुख्य लेखाशीर्ष 2245–प्राकृतिक आपदाओं से राहत से किया जाता है। अग्रेतर, वर्ष 1990–91 में आपदा राहत निधि के सृजन के फलस्वरूप अकाल राहत निधि के अवशेषों को नये सृजित निधि में अंतरित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने मार्च 2014 तक के अकाल राहत निधि में उपलब्ध अवशेष ₹ 9.31 करोड़ एवं निवेश ₹ 0.78 करोड़[12] की धनराशि को आपदा राहत निधि में अंतरित नहीं किया।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (दिसम्बर 2014) कि राज्य आपदा मोचन निधि में अवशेषों को स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

4.11.2 जमींदारी उन्मूलन निधि

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन निधि का सृजन 1949 में किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि काश्तकार (विशेषाधिकारों का अधिग्रहण) अधिनियम 1949 के अंतर्गत भूमिधारी अधिकारों के अधिग्रहण हेतु काश्तकारों द्वारा किये गये जमा निक्षेप की निधि में जमा किया गया। जमींदारी के उन्मूलन के पश्चात, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अंतर्गत भूमिधर अधिकारों के अधिग्रहण हेतु सरदारों द्वारा जमा निक्षेप की निधि में जमा किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जमींदारी उन्मूलन निधि जिसमें मार्च 2014 तक ₹ 7.08 करोड़ की धनराशि अवशेष के रूप में थी, नवम्बर 2000 में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व तक असंचालित थी।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि इस निधि को समाप्त करने हेतु मार्च 2009 में आदेश जारी किये गये थे परन्तु उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अवशेषों के अंतिम विभाजन नहीं होने के फलस्वरूप इसे समाप्त नहीं किया जा सका।

4.12 उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अविभाजित अवशेषों का समाधान नहीं होना

उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 47 के अनुसार, आरक्षित निधियों के अवशेष जो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि से विनियोजित करके सृजित किये गये हैं तथा उनके अवशेषों को शासकीय लेखों से इतर निवेशित नहीं किया गया है, को परवर्ती राज्यों के लोक लेखा में उसी प्रकार की आरक्षित निधियों में आगे नहीं ले जाया जायेगा।

[12] वर्ष 1998–99 से पूर्व ₹ 0.38 करोड़ एवं वर्ष 1998–99 में ₹ 0.40 करोड़।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 31 मार्च 2014 को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अविभाजित अवशेषों का समाधान नहीं होने के कारण ₹ 8,031.86 करोड़ (निवेश की गई धनराशि ₹ 45.20 करोड़ शामिल) बिना विभाजन के पड़ी थी यद्यपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ जुलाई 2013 में हुई एक राज्य स्तरीय बैठक में राज्य सरकार ने बताया कि आरक्षित निधियों के अंतर्गत अविभाजित अवशेषों के समाधान हेतु उत्तराखण्ड सरकार के सहमति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2014 को राज्य के पुनर्गठन के 13 वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी 19 आरक्षित निधियों में ₹ 8,031.86 करोड़ की धनराशि बिना उपयोग के पड़ी थी।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि आरक्षित निधियों के अवशेषों का विभाजन नहीं किया जाना था तथा इस संदर्भ में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से अक्टूबर 2014 में अनुरोध किया गया है। तथ्य यह था कि कोई कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप बड़ी धनराशि नवम्बर 2000 से निष्प्रयोज्य पड़ी थी।

शासन को नवम्बर 2000 से पड़े अविभाजित अवशेषों के समाधान हेतु कार्यवाही में तीव्रता लानी चाहिये।

4.13 निष्कर्ष

वित्तीय स्थिति

- कुल 19 आरक्षित निधियों में से नौ आरक्षित निधियां चार से 14 वर्षों तक असंचालित थी।
- कुल आरक्षित निधियों में से तीन संचालित आरक्षित निधियों का भाग ही 97 *प्रतिशत* था।

गारण्टी रिडेम्शन निधि का सृजन नहीं किया जाना

- भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुतियों के बावजूद शासन ने गारण्टी रिडेम्शन निधि का सृजन नहीं किया यद्यपि वर्ष 2009–10 में गारण्टी लागू हुई थी।

सिंकिंग फण्ड का संचालन

- शासन द्वारा सिंकिंग फण्ड के संचालन हेतु नियम नहीं बनाये गये थे जिसके परिणामस्वरूप शासन सिंकिंग फण्ड में आवश्यकता से अधिक धनराशियों का अन्तरण कर रहा है।
- बारहवें वित्त आयोग एवं भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुतियों के बावजूद शासन ने समेकित सिंकिंग फण्ड का सृजन नहीं किया था।

राज्य आपदा मोचन निधि का संचालन

- आपदा राहत निधि की धनराशि को राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरित नहीं किया गया था।
- राज्य आपदा मोचन निधि से पुनः स्थापन कार्यों पर अधिकतर व्यय किया गया था।
- राज्य आपदा मोचन निधि का निवेश नहीं किया गया था।

राज्य सड़क निधि का संचालन

- वर्ष 2009–13 की अवधि में राज्य सड़क निधि हेतु एकत्रित बढ़े हुये दर पर कर को निधि में अंतरित नहीं किया गया था।
- राज्य सड़क निधि से पूंजीगत कार्यों पर अनियमित व्यय किया गया।

असंचालित आरक्षित निधियाँ

- वर्ष 1990–91 में आपदा राहत निधि के सृजन के बावजूद अकाल राहत निधि के अवशेषों का इसमें अंतरण नहीं किया गया। अग्रेतर, जमींदारी उन्मूलन निधि विगत 13 वर्षों से असंचालित थी।

अविभाजित अवशेषों का समाधान नहीं होना

- उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के 13 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी आरक्षित निधियों के अवशेष उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अविभाजित थे।

(मुकेश पी सिंह)

इलाहाबाद — प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)

दिनांक 17 जनवरी 2015 — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक 19 जनवरी 2015

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1.1

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

(संदर्भः राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आँकड़े			
क्र0 सं0	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी0
2	जनसंख्या		
	अ. 2001 की जनगणना के अनुसार		16.62 करोड़
	ब. 2013-14 (पुनरीक्षित अग्रिम आगणन के अनुसार)		20.98 करोड़
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)		690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
	ब. जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)		828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या[1] (अखिल भारतीय औसत=21.92 *प्रतिशत*)		29.43 *प्रतिशत*
5	अ. साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत=64.8 *प्रतिशत*)		56.27 *प्रतिशत*
	ब. साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 74.04 *प्रतिशत*)		69.72 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्युदर[2] (प्रति 1,000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत=42 प्रति 1,000 जन्म पर)		53 प्रति 1,000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा[3] (अखिल भारतीय औसत=65.8 वर्ष)		62.7 वर्ष
8	गिनी गुणांक[4]		
	अ. ग्रामीण (सम्पूर्ण भारत=0.29)		0.36
	ब. शहरी (सम्पूर्ण भारत=0.38)		0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2013-14 चालू मूल्यों पर		₹ 890,265 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)	उत्तर प्रदेश	12.45
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य[5]	14.88
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)	उत्तर प्रदेश	14.53
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	15.49
12	जनसंख्या वृद्धि[6] (2004-05 से 2013-14)	उत्तर प्रदेश	17.94
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	12.94

[1] प्रेस नोट जुलाई 2013, नियोजन विभाग बी.पी.एल. 2011–12 तेंदुलकर क्रियाविधि द्वारा।
[2] एस.आर.एस. बुलेटिन, सितम्बर 2013।
[3] इकोनोमिक सर्वे सूचकांक 2010–11 के लिये, इकोनोमिक सर्वे 2012–13 में दर्शित।
[4] गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी।
[5] अखिल भारतीय औसत सामान्य श्रेणी के 16 राज्यों के आँकड़ों के आधार पर आगणित (दिल्ली, गोवा एवं पुडुचेरी को छोड़कर)।
[6] जनगणना विभाग द्वारा अनुमानित कुल जनसंख्या 2001–26।

ब. वित्तीय आंकडे					
क्र0 सं0	विवरण		आंकड़े (*प्रतिशत* में)		
13	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर		2004-05 से 2012-13		2003-04 से 2012-13
			सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
	क.	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	18.46	18.11
	ख.	स्वयं का कर राजस्व	16.42	17.78	17.42
	ग.	करेतर राजस्व	12.49	21.56	22.14
	घ.	कुल व्यय	15.37	12.87	13.25
	ड.	पूंजीगत व्यय	17.01	19.71	21.60
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.44	19.07	17.66
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.50	17.73	16.41
	ज.	वेतन एवं मजदूरी	14.73	17.98	16.34
	झ.	पेंशन	18.34	22.38	20.81

(स्रोतः वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे 2013–14 पर आधारित है)

परिशिष्ट 1.2

(अ) शासकीय लेखों का रूप एवं ढाँचा
(ब) वित्त लेखे का प्रारूप

(संदर्भः प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 2)

भाग–अः राज्य सरकार के लेखे का रूप एवं संरचना

शासकीय लेखे का ढाँचा: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग-1 समेकित निधिः राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग-2 आकस्मिकता निधिः संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय के पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग-3 लोक लेखाः प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा जाता हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

भाग–बः वित्त लेखे का प्रारूप

विवरण सं0	प्रारूप
वित्त लेखा दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रुप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। **भाग एक में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र, चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।**	
खण्ड–I	
1	वित्तीय वर्ष के अन्त में पूंजी एवं देयताओं की प्रगामी वित्तीय स्थिति।
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों के तीन भागों का विवरण।
3	संचित निधि में प्राप्तियों का विवरण जिसमें राजस्व, पूंजीगत और उधार से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
4	संचित निधि से व्यय का विवरण जिसमें व्यय की प्रकृति तथा कार्य से सम्बन्धित है।
परिशिष्ट1–क	आवधिक/ अन्य समायोजनों का विवरण
परिशिष्ट1–ख	लघु शीर्ष '800– अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण
परिशिष्ट1–ग	लघु शीर्ष '800– अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण
परिशिष्ट1–घ	कोषागारों की सूची, जिन्होंने व्यक्तिगत निक्षेप लेखा की शेष राशि के मिलान की सूचना प्रेषित नहीं की
परिशिष्ट1–ड़	विगत तीन वर्षों के उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अवशेष की स्थिति
परिशिष्ट1–च	व्यय का अतिरेक दर्शाने वाला विवरण (राजस्व)
परिशिष्ट 1–छ	व्यय का अतिरेक दर्शाने वाला विवरण (पूंजीगत)
परिशिष्ट 1–ज	अप्रयुक्त अनुपूरक बजट का विवरण
परिशिष्ट 1–झ	प्रदेश में पूर्ण/क्रियान्वयनाधीन पी0पी0पी0 मोड पर आधारित परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट 1–ञ	26 मार्च 2014 से 30 मार्च 2014 के दौरान आहरित आकस्मिक देयकों का विवरण

खण्ड–II	
भाग–I	
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण विस्तृत प्रगामी पूंजीगत व्यय को विवरण संख्या 1 में दिखाया गया है।
6	उधार और अन्य दायित्व जैसे बाजार ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
7	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम और उनकी वसूली का विवरण।
8	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदान का विवरण।
9	वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी का विवरण।
10	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण। विस्तृत विवरण दत्तमत और प्रभारित व्यय।
भाग–II	
11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार विवरण।
12	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
13	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आँकड़ों का विस्तृत विवरण।
14	सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों, समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
15	उधार एवं अन्य दायित्वों और परिपक्वता और भुगतान का विवरण।
16	सरकार द्वारा दिए गये अग्रिमों, ऋण शेष में परिवर्तन, ऋण माफी और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां इत्यादि का विस्तृत विवरण।
17	राजस्व लेखा से भिन्न व्ययों के लिए स्रोत एवं निधियों के प्रयोग का विस्तृत विवरण।
18	आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के लेन–देनों का विस्तृत विवरण।
19	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण।
भाग–III (परिशिष्ट)	
परिशिष्ट–II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–III	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–IV	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट–V	वाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का विवरण
परिशिष्ट–VI	आयोजनागत योजना व्यय
परिशिष्ट–VII	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों को लागू करने वाली एजेन्सियों को सीधे हस्तान्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट–VIII	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे की शेष राशियों का सारांश
परिशिष्ट–IX	सिंचाई निर्माण कार्य के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट–X	अपूर्ण लोकनिर्माण कार्य संविदाओं पर वचनबद्धताओं का विवरण
परिशिष्ट–XI	राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण
परिशिष्ट–XII	वर्ष के दौरान प्रमुख नीतिगत निर्णयों अथवा भावी रोकड़ प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं के प्रभावों का विवरण।
परिशिष्ट–XIII	राज्य सरकार द्वारा भविष्य में वचनबद्ध दायित्वों का विवरण
परिशिष्ट–XIV	राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरुप ऐसी मदों का विवरण, जिनके शेषों का विभाजन अंतिम रुप से नहीं हुआ

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2012-13			2013-14	2012-13			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	2013-14
भाग 'अ'									
1,45,903.98	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**1,68,213.75**	**1,40,723.64**	**I**	**राजस्व व्यय**	**1,26,489.47**	**31,657.40**	**1,58,146.87**
58,098.36		-कर राजस्व	**66,582.08**	**59,906.72**		**सामान्य सेवाएँ**	**61,900.65**	**82.84**	**61,983.49**
				53,300.32		**सामाजिक सेवाएँ**	**33,753.38**	**27,002.90**	**60,756.28**
12,969.98		-करेतर राजस्व	16,449.80	29,382.62		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	22,539.87	8,885.30	31,425.17
				7,518.85		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,110.27	2,887.36	7,997.63
57,497.85		-संघीय करों में राज्यांश	62,776.70	960.24		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,191.76	1,524.04	2,715.80
				58.24		-सूचना एवं प्रसारण	65.53	0.95	66.48
4,341.00		-आयोजनेत्तर अनुदान	7,933.79	4,468.38		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,277.74	3,268.79	5,546.53
5,518.39		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	6,595.22	1,102.67		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	503.45	1,480.00	1,983.45
				9,744.67		-समाज कल्याण तथा पोषण	1,997.98	8,956.46	10,954.44
7,478.40		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	7,876.16	64.65		-अन्य	66.78	-	66.78
00.00		-वाह्य अनुदान सहायता	0.00	**21,337.36**		**आर्थिक सेवाएँ**	**21,139.06**	**4,571.66**	**25,710.72**
				4,598.43		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	3,189.91	1,414.88	4,604.79
				4,625.29		-ग्राम्य विकास	4,630.16	1,965.78	6,595.94
				27.38		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	282.89	282.89

				4,674.07		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,105.89	652.23	4,758.12
				4,650.24		-ऊर्जा	5,215.21	41.48	5,256.69
				368.68		-उद्योग एवं खनिज	365.30	121.31	486.61
				2,122.93		-परिवहन	3,371.93	3.20	3,375.13
				32.66		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	16.51	19.15	35.66
				237.68		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	244.15	70.74	314.89
				6,179.24		**सहायक अनुदान एवं अंशदान**	**9,696.38**	**-**	**9,696.38**
1,45,903.98		**योग**	**1,68,213.75**	**1,40,723.64**		**योग**	**1,26,489.47**	**31,657.40**	**1,58,146.87**
शून्य	**II**	**राजस्व घाटा भाग'ब' को अग्रेषित**	**शून्य**	**5,180.34**	**II**	**राजस्व अधिशेष खंड 'ब' को अग्रेषित**	**-**	**-**	**10,066.88**
1,45,903.98		**योग**	**1,68,213.75**	**1,45,903.98**		**योग**	**1,26,489.47**	**31,657.40**	**1,68,213.75**
					भाग 'ब'				
13,446.70	**III**	**प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित**	**15,172.42**	**-**	**III**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट**	**-**	**-**	**-**
–	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**-**	**23,834.29**	**IV**	**पूंजीगत परिव्यय**	**2,254.53**	**30,608.12**	**32,862.65**
				1,404.95		**सामान्य सेवाएं**	**742.18**	**2,721.17**	**3,463.35**
				7,594.51		**सामाजिक सेवाएं**	**61.13**	**6,698.37**	**6,759.50**
				707.08		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.72	738.33	739.05
				1,115.62		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.60	1,302.57	1,318.17
				5,023.11		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	43.22	3,430.52	3,473.74
				-		-सूचना एवं प्रसारण	00	00	00
				57.97		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	00	39.53	39.53
				608.74		-समाज कल्याण तथा पोषण	0.22	950.70	950.92
				81.99		-अन्य	1.37	236.72	238.09

				14,834.83		**आर्थिक सेवाएं**	**1,451.22**	**21,188.58**	**22,639.80**
				888.49		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	32.22	486.43	518.65
				1,051.70		-ग्राम्य विकास	(-)0.98	1,601.05	1,600.07
				840.31		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	(-)2.53	781.60	779.07
				1,896.69		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	00	2,955.28	2,955.28
				3,625.88		-ऊर्जा	1,422.25	5,227.92	6,650.17
				6.55		-उद्योग एवं खनिज	0.21	3.48	3.69
				6,454.52		-परिवहन	0.05	10,051.69	10,051.74
				70.69		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	00	81.13	81.13
				-		-विज्ञान,तकनीकी एवं पर्यावरण	00	00	00
418.80	**V**	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली**	**589.57**	**1,003.24**	**V**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिम-**	**650.62**	**822.72**	**1,473.34**
-		-विद्युत परियोजनाओं से	422.25	-		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	00	00	00
83.10		-सरकारी कर्मचारियों से	90.22	106.76		-सरकारी कर्मचारियों को	107.12	00	107.12
335.70		-अन्य से	77.10	896.48		-अन्य को	543.50	822.72	1,366.22
5,180.34	**VI**	**अधोनीत राजस्व अधिशेष**	**10,066.88**	**-**	**VI**	**अधोनीत राजस्व घाटा**	**-**	**-**	**-**
15,819.95	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**14,900.45**	**8,909.04**	**VII**	**लोक ऋण की अदायगी**	**8,166.74**	**-**	**8,166.74**
-		-वाह्य ऋण	**-**			-वाह्य ऋण	-	-	-
15,493.30		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	14,502.48	7,513.87		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	-	-	6,693.35
30.69		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	8.07	-		-अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन	-	-	8.07
-		-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन देन	-	-		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन	-	-	
295.96		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	389.90	1,395.17		-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	-	-	1,465.32
-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि से विनियोग**	-	**-**	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	-	-	**-**

309.65	**IX**	**आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि**	**262.32**	**262.45**	**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**	-	-	**86.55**
1,43,477.51	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियां**	**2,26,077.56**	**1,29,471.51**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**	-	-	**2,20,459.29**
10,096.34		-अल्पबचतें एवं भविष्य निधियां	9,659.91	6,754.83		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	-	-	7,297.12
9,638.28		-आरक्षित निधियां	12,975.36	5,252.14		-आरक्षित निधियां	-	-	5,021.15
99,159.77		-उचन्त एवं विविध	1,62,144.85	95,620.37		-उचन्त एवं विविध	-	-	1,71,782.91
15,954.43		-प्रेषण	23,520.11	14,968.51		-प्रेषण	-	-	23,617.81
8,628.69		-जमा तथा अग्रिम	17,777.33	6,875.66		-जमा तथा अग्रिम	-	-	12,740.30
-	**XI**	**भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष**	**-**	**15,172.42**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**	**-**	**-**	**4,020.63**
				#		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	#
				(-) 39.52		-रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-)1,156.31
				13.21		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-	-	12.48
				15,198.73		-रोकड़ शेष निवेश लेखा	-	-	5,164.46
3,24,556.93		**योग**	**2,67,069.20**	**3,24,556.93**		**योग**			**2,67,069.20**

(#) 'रु एक लाख से कम धनराशि'

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की पुनरीक्षित अनुमान से तुलना

(संदर्भः प्रस्तर 1.1.3; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि(+)/ घाटा (-)	वृद्धि(+)/ घाटा (-) *प्रतिशत* में
1	2	3	4	5 (4-3)	6
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	**1,77,748.21**	**1,72,234.34**	**1,68,213.75**	**-4,020.59**	***-2.33***
कर राजस्व	**72,193.00**	**69,100.00**	**66,582.08**	**-2,517.92**	***-3.64***
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	43,936.00	41,899.17	39,645.45	-2,253.72	***-5.38***
राज्य आबकारी	12,084.00	11,523.30	11,643.84	120.54	***1.05***
वाहनों पर कर	3,713.00	3,540.72	3,441.42	-99.30	***-2.80***
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	10,555.00	10,065..25	9,520.92	-544.33	***-5.41***
माल भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	00	00	0.60	0.60	***100.00***
भू–राजस्व	798.00	760.97	772.00	***11.03***	***1.45***
अन्य कर	1,107.00	1,310.59	1,557.85	247.26	***18.87***
करेतर राजस्व	**13,182.48**	**15,324.64**	**16,449.80**	**1,125.16**	***7.34***
ब्याज प्राप्तियाँ	858.36	1,395.69	1,619.35	223.66	***16.03***
विविध सामान्य सेवाएँ	2,970.98	2,970.98	3,194.28	223.30	***7.52***
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,000.00	1,000.00	912.52	-87.48	***-8.75***
अन्य करेतर राजस्व	8,353.14	9,957.97	10,723.65	765.68	***7.69***
केन्द्रीय कर एवं शुल्कों का अंश	**68,458.00**	**63,458.00**	**62,776.70**	**-681.30**	***-1.07***
भारत सरकार से सहायता अनुदान	**23,914.73**	**24,351.70**	**22,405.17**	**-1,946.53**	***-7.99***
राजस्व व्यय जिसमें	**1,67,892.20**	**1,66,617.59**	**1,58,146.87**	**-8,470.72**	***-5.08***
सामान्य सेवाएँ	**66,342.70**	**64,697.36**	**61,983.49**	**-2,713.87**	***-4.19***
प्रशासनिक सेवाएँ	14,649.14	14,010.40	12,409.41	-1,600.99	***-11.43***
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	20,893.52	20,699.30	19,552.51	-1,146.79	***-5.54***
ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	26,037.34	25,377.83	25,776.68	398.85	***1.57***
राजकोषीय सेवाएँ	2,882.82	2,748.36	2,625.63	-122.73	***-4.47***
सरकार के अंग	1,879.88	1,861.47	1,619.26	-242.21	***-13.01***
सामाजिक सेवाएँ	**66,219.05**	**65,749.29**	**60,756.28**	**-4,993.01**	***-7.59***
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	35,307.69	33,365.02	31,425.17	-1,939.85	***-5.81***
समाज कल्याण एवं पोषण	11,645.26	11,855.39	10,954.44	-900.95	***-7.60***
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,161.29	6,310.35	5,546.53	-763.82	***-12.10***
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,935.56	8,631.99	7,997.63	-634.36	***-7.35***
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	2,703.97	2,582.46	2,715.80	133.34	***5.16***
सूचना एवं प्रसारण	150.81	148.90	66.48	-82.42	***-55.35***

श्रम एवं श्रमिक कल्याण	2,222.33	2,765.89	1,983.45	-782.44	***-28.29***
अन्य	92.14	89.29	66.78	-22.51	***-25.21***
आर्थिक सेवाएं	**25,552.71**	**26,393.20**	**25,710.72**	**-682.48**	***-2.59***
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	5,286.97	5,286.91	4,604.79	-682.12	***-12.90***
ग्राम्य विकास	6,043.95	6,377.86	6,595.94	218.08	***3.42***
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	718.03	361.65	282.89	-78.76	***-21.78***
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,741.48	5,790.18	4,758.12	-1,032.06	***-17.82***
ऊर्जा	4,666.85	5,265.83	5,256.69	-9.14	***-0.17***
उद्योग एवं खनिज	491.29	612.81	486.61	-126.20	***-20.59***
परिवहन	2,153.22	2,249.72	3,375.13	1,125.41	***50.02***
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	36.25	36.13	35.66	-0.47	***-1.3***
सामान्य आर्थिक सेवाएं	414.67	412.11	314.89	-97.22	***-23.59***
सहायक अनुदान एवं अंशदान	**9,777.74**	**9,777.74**	**9,696.38**	**-81.36**	***-0.83***
पूंजीगत व्यय जिसमें	**32,767.40**	**30,052.82**	**32,862.65**	**2,809.83**	***9.35***
सामान्य सेवाएं	**3,915.56**	**3,798.10**	**3,463.35**	**-334.75**	***-8.81***
सामाजिक सेवाएं	**8,346.38**	**7,121.60**	**6,759.50**	**-362.10**	***-5.08***
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,112.11	1,041.75	739.05	-302.70	***-29.06***
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,817.03	1,576.56	1,318.17	-258.39	***-16.39***
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,928.89	3,273.37	3,473.74	200.37	***6.12***
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	124.43	101.11	39.53	-61.58	***-60.90***
समाज कल्याण एवं पोषण	1,057.35	864.32	950.92	86.60	***10.02***
अन्य सामाजिक सेवाएं	306.57	264.49	238.09	-26.40	***-9.98***
आर्थिक सेवाएं	**20,505.46**	**19,133.12**	**22,639.80**	**3,506.68**	***18.33***
कृषि तथा सम्बद्ध कियाकलाप	809.32	768.10	518.66	-249.44	***-32.47***
ग्राम्य विकास	1,519.07	1,606.45	1,600.07	-6.38	***-0.4***
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,229.55	1,099.05	779.07	-319.98	***-29.11***
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,060.20	4,290.18	2,955.28	-1,334.90	***-31.12***
ऊर्जा	5,485.78	4,619.29	6,650.17	2,030.88	***43.97***
उद्योग एवं खनिज	17.50	15.40	3.68	-11.72	***-76.10***
परिवहन	6,285.54	6,640.67	10,051.74	3,411.07	***51.37***
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	00	00	00	00	***00***
सामान्य आर्थिक सेवाएं	98.50	93.98	81.13	-12.85	***-13.67***
राजस्व वृद्धि (+)/कमी (–)	**(+) 9,856.01**	**(+) 5,616.75**	**(+)10,066.88**	**(+) 4,450.13**	***79.23***
राजकोषीय घाटा (–)	**(-) 23,913.29**	**(-)25,382.26**	**(-) 23,679.54**	**1,702.72**	***-7.19***
प्राथमिक वृद्धि (+)/कमी (–)	**(-) 6,858.75**	**(-) 8,368.67**	**(-)6,267.56[7]**	**2,101.11**	***-33.52***

[7] पूर्णांक किये जाने के कारण

परिशिष्ट 1.5

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(संदर्भः प्रस्तर 1.3; पृष्ठ 11)

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियां	**96,421**	**1,11,184**	**1,30,869**	**1,45,904**	**1,68,214**
(i) स्वयं के कर राजस्व	33,878(35)	41,110(37)	52,613 (40)	58,098(40)	66,582(40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20,825 (62)	24,837(60)	33,107 (63)	34,870 (60)	39,645(60)
राज्य आबकारी	5,666 (17)	6,723(16)	8,139 (15)	9,782 (17)	11,644(18)
वाहनों पर कर	1,404 (4)	1,817(4)	2,376 (4)	2,993 (5)	3,441(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,562 (13)	5,975(15)	7,694 (15)	8,742 (15)	9,521(14)
भू–राजस्व	663 (2)	1,134(3)	491 (1)	805 (1)	772(1)
माल भाड़ा तथा यात्री कर	271 (1)	242(1)	5 (0)	1 (0)	1(0)
अन्य कर	487 (1)	382(1)	801 (2)	905 (2)	1,558(2)
(ii) करेतर राजस्व	13,601(14)	11,176(10)	10,145 (8)	12,970 (9)	16,450(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	31,797 (33)	43,464(39)	50,351 (38)	57,498 (39)	62,777(37)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	17,146 (18)	15,434(14)	17,760 (14)	17,338 (12)	22,405(13)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**293**	**485**	**133**	**419**	**589**
4. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**96,714**	**1,11,669**	**1,31,002**	**1,46,323**	**1,68,803**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**22,489**	**21,394**	**19,652**	**15,820**	**14,900**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	22,206 (99)	20,317 (95)	19,336 (98)	15,493 (98)	14,502(97)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन–देन	-	714(3)	-	31 (0)	8(0)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	283 (1)	363(2)	316 (2)	296 (2)	390(3)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**1,19,203**	**1,33,063**	**1,50,654**	**1,62,143**	**1,83,703**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**83**	शून्य	**40**	**310**	**262**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**99,908**	**1,27,649**	**1,38,449**	**1,43,478**	**2,26,078**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**2,19,194**	**2,60,712**	**2,89,143**	**3,05,931**	**4,10,043**
भाग ब. व्यय/वितरण					
10. राजस्व व्यय	**89,374 (77)**	**1,07,676(83)**	**1,23,885 (84)**	**1,40,724 (85)**	**1,58,147(82)**
आयोजनागत	15,701(18)	21,040(20)	22,616 (18)	25,878 (18)	31,657(20)
आयोजनेत्तर	73,673 (82)	86,636(80)	1,01,269 (82)	1,14,846 (82)	1,26,490(80)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	40,641(45)	48,019(45)	52,947 (43)	59,907 (43)	61,983(39)
सामाजिक सेवाएं	32,064 (36)	39,567(37)	47,391 (38)	53,300 (38)	60,756(39)
आर्थिक सेवाएं	13,308 (15)	15,725(15)	18,292 (15)	21,338 (15)	25,711(16)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,360 (4)	4,365(4)	5,255 (4)	6,179 (4)	9,696(6)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
11. पूंजीगत व्यय	**25,091 (22)**	**20,273(16)**	**21,574 (15)**	**23,834 (14)**	**32,863(17)**
आयोजनागत	19,224 (77)	19,581(97)	20,735 (96)	22,608 (95)	30,608(93)
आयोजनेत्तर	5,867 (23)	692(3)	839 (4)	1,226 (5)	2,255(7)
सामान्य सेवाएं	611 (2)	1,002(5)	1,144 (5)	1,405 (6)	3,463(10)
सामाजिक सेवाएं	4,702 (19)	4,796(24)	5,187 (24)	7,594 (32)	6,760(21)
आर्थिक सेवाएं	19,778 (79)	14,475(71)	15,243 (71)	14,835 (62)	22,640(69)
12. ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान	**942 (1)**	**968(1)**	**976 (1)**	**1,003 (1)**	**1,473(1)**
13. कुल व्यय (10+11+12)	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**	**1,65,561**	**1,92,483**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**7,669**	**7,383**	**8,288**	**8,909**	**8,167**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,469 (84)	5,369(73)	6,973 (84)	7,514 (84)	6,694(82)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन–देन	-	714(10)	-	-	8(0)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,200 (16)	1,300(17)	1,315 (16)	1,395 (16)	1,465(18)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोग	**-**	**-**	**-**		**-**
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	**1,23,076**	**1,36,300**	**1,54,723**	**1,74,470**	**2,00,650**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**40**	**310**	**262**	**87**
18. लोक लेखा संवितरण	**1,01,780**	**1,17,473**	**1,30,971**	**1,29,472**	**2,20,459**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**2,24,856**	**2,53,813**	**2,86,004**	**3,04,204**	**4,21,196**
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+)(1–10)	**(+) 7,047**	**(+)3,508**	**(+)6,984**	**(+)5,180**	**(+)10,067**
21. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+)(4–13)	**(-)18,693**	**(-)17,248**	**(-) 15,433**	**(-)19,238**	**(-)23,680**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 6,705**	**(-)3,032**	**(+) 48**	**(-)2,317**	**(-)6,268**
भाग द. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**11,988**	**14,216**	**15,481**	**16,921**	**17,412**
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	**18,120**	**30,683**	**39,214**	**43,212**	**45,576**
25.अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिनों में)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	**4,91,302[8]**	**5,88,467[9]**	**6,87,836[10]**	**7,69,729[11]**	**8,90,265**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	**2,01,720**	**2,24,785**	**2,43,229**	**2,59,621**	**2,81,709**

[8] 2009–10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम आंकड़े है।
[9] 2010–11 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्विक आंकड़े हैं।
[10] 2011–12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अग्रिम आंकड़े है।
[11] 2012–13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पुनरीक्षित अग्रिम आंकड़े हैं।

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
29. बकाया गारन्टियां (वर्षान्त) ब्याज सहित	**20,038**	**20,162**	**21,752**	**43,337**	**62,822**
30. दी गयी गारन्टी की अधिकतम धनराशि (वर्षान्त)	**29,311**	**29,778**	**29,629**	**50,459**	**69,752**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**126**	**119**	**183**	**383**	**412**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	**880.85**	**2,735**	**2,453**	**3,393**	**3,032**
भाग य. राजकोषीय स्थिति के सूचक					
I. संसाधनों का संग्रहण					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.90	6.99	7.65	7.55	7.48
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.77	1.90	1.47	1.69	1.85
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.47	7.39	7.32	7.47	7.05
II. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.49	21.91	21.29	21.51	21.62
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	119.69	115.95	111.89	113.47	114.43
राजस्व व्यय/कुल व्यय	77.44	83.52	84.60	85.00	82.16
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	32	34	36	37	35
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	29	23	23	22	25
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	22	16	15	14	17
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	21	15	14	14	15
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-	-	-	-	-
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)3.80	(-)2.93	(-) 2.24	(-)2.50	(-)2.66
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)1.36	(-)0.52	(+) 0.007	(-)0.30	(-)0.70
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	-	-	-	-
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.01	(-)1.82	(-) 1.24	(-)1.53	(-)0.83
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	41	38	35	34	32
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	209	202	186	178	167
प्राथमिक घाटा के सापेक्ष प्रमात्रा विस्तार	(+)17,733	(+)23,413	(+) 23,134	(+)10,282	(+)17,695
ऋण मोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	96	84	94	101	91
V. अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.84	26.81	38.17	62.70	5.23
चालू राजस्व से अवशेष	14,422	19,530	24,864	26,323	35,617
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.72	0.77	0.81	0.85	0.89

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से *प्रतिशत* (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।
@शासन द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के आंकड़ों को अपनाया गया है।

परिशिष्ट 1.6

(अ) 2009-14 के लिए स्वयं का कर राजस्व
(ब) 2009-14 के लिए करेतर राजस्व

(सन्दर्भ :प्रस्तर 1.3.1; पृष्ठ 13)

(अ) 2009-14 के लिए स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20,825	24,837	33,107	34,870	41,899	39,645
राज्य आबकारी	5,666	6,723	8,139	9,782	11,523	11,644
वाहनों पर कर	1,404	1,817	2,376	2,993	3,541	3,441
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,562	5,975	7,694	8,742	10,065	9,521
भू–राजस्व	663	1,134	491	805	761	772
माल–भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	271	242	5	1	00	1
अन्य कर	487	382	801	905	1,311	1,558
योग (अ)	**33,878**	**41,110**	**52,613**	**58,098**	**69,100**	**66,582**

(ब) 2009-14 के लिए करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	631	716	827	1,249	1,403	1,624
सामान्य सेवायें	8,482	5,807	4,907	5,069	3,574	3,907
सामाजिक सेवायें	2,622	3,019	2,662	4,670	6,630	7,159
आर्थिक सेवायें	1,866	1,634	1,749	1,982	3,718	3,760
योग (ब)	**13,601**	**11,176**	**10,145**	**12,970**	**15,325**	**16,450**
कुल योग (अ+ब)	**47,479**	**52,286**	**62,758**	**71,068**	**84,425**	**83,032**

परिशिष्ट 1.7

31 मार्च 2014 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.9.1; पृष्ठ 32)

(₹ करोड़ में)

31.03.2013 को			31.03.2014 को
	देयताएं		
1,48,398.74	**आंतरिक ऋण**		**1,56,207.87**
84,100.69	ब्याज भारित बाजार ऋण	89,154.71	
2.85	ब्याज भार रहित बाजार ऋण	2.79	
13.99	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	9.81	
64,281.21	अन्य संस्थानों से ऋण	67,040.56	
00	अर्थोपाय अग्रिम	00	
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	00	
16,411.66	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**15,336.24**
9.96	1984–85 से पहले का ऋण	9.94	
93.85	आयोजनेतर ऋण	86.55	
16,198.90	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	15,228.14	
0.80	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0	
106.72	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	10.18	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	**आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)**		**600.00**
41,071.76	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**		**43,434.55**
17,768.76	**जमा**		**22,806.25**
35,969.82	**आरक्षित निधियां**		**43,924.04**
1,419.49	**प्रेषण शेष**		**1,321.78**
2,61,640.23	**योग**		**2,83,630.73**
	परिसम्पत्तियां		
2,02,273.63	**अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**	-	**2,35,136.28**
46,227.91	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	52,466.73	
1,56,045.72	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,82,669.55	
262.45	**आकस्मिकता निधि (असमायोजित)**		**86.69**
11,572.44	**ऋण एवं अग्रिम**		**12,456.20**
2,462.40	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	2,040.15	
8,914.01	अन्य विकास ऋण	10,203.12	
196.03	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	212.93	
45.20	**आरक्षित निधियों में निवेश**		**45.20**
9.10	**अग्रिम**		**9.57**

(-) 8,094.63	**उचन्त एवं विविध शेष**		**1,543.43**
15,172.42	**रोकड़**		**4,020.63**
00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	
(-)39.52	रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,156.31	
12.79	विभागीय रोकड़ शेष	12.05	
0.42	स्थाई अग्रिम	0.43	
15,198.73	रोकड़ शेष निवेश	5,164.46	
40,399.62	**सरकारी लेखों में घाटा**		**30,332.73**
45,579.96	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	40,399.61*	
5,180.34	(ii) **घटाना:** वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	10,066.88	
2,61,640.23	**योग**		**2,83,630.73**

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते है, सरकारी लेखे में घाटे जैसा कि **परिशिष्ट 1.7** में प्रदर्शित है रोकड़ की स्थिति अंकित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लंबित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अर्न्तगत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच **₹ 76.50 करोड़ (निवल डेविट)** का अन्तर था।

* पूर्णांक किये जाने के कारण

परिशिष्ट 2.1

बचत के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरण

(संदर्भः प्रस्तर 2.2; पृष्ठ 44)

(₹ हजार में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत
		राजस्व			
	1	आबकारी विभाग			
1		दत्तमत	1,24,18,03	1,19,41,59	4,76,44
2		*भारित*	*20,00*	*1,24*	*18,76*
	2	आवास विभाग			
3		दत्तमत	1,63,70,16	1,14,12,69	49,57,47
4		*भारित*	*3,65,88*	*2,90,74*	*75,14*
	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)			
5		दत्तमत	1,47,26,31	1,21,06,25	26,20,06
6		*भारित*	*6,00*	*3,58*	*2,42*
	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)			
7		दत्तमत	25,05,70	19,61,46	5,44,24
	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग)			
8		दत्तमत	92,76,58	92,56,00	20,58
	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)			
9		दत्तमत	87,24,05	28,63,69	58,60,36
	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)			
10		दत्तमत	90,66,90	31,36,01	59,30,89
	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)			
11		दत्तमत	1,45,07,75	1,25,67,35	19,40,40
	9	उर्जा विभाग			
12		दत्तमत	67,13,25,53	67,12,41,24	84,29
	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)			
13		दत्तमत	2,14,44,10	1,82,95,82	31,48,28
14		*भारित*	*1,25,23*	*1,20,43*	*4,80*
	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)			
15		दत्तमत	26,94,86,80	20,98,76,60	5,96,10,20
16		*भारित*	*15,20*	*7,91*	*7,29*
	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)			
17		दत्तमत	3,08,59,22	1,86,59,56	1,21,99,66
	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)			

18		दत्तमत	15,71,29,67	13,70,20,20	2,01,09,47
19		*भारित*	*15,50*	*1,19*	*14,31*
	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (*पंचायती राज*)			
20		दत्तमत	58,25,79,03	53,63,58,32	4,62,20,71
	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)			
21		दत्तमत	5,37,56,11	5,12,53,98	25,02,13
22		*भारित*	*13,79*	*6,83*	*6,96*
	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)			
23		दत्तमत	99,11,12	92,24,05	6,87,07
	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)			
24		दत्तमत	78,49,75	54,89,80	23,59,95
	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)			
25		दत्तमत	10,13,13,32	9,72,18,01	40,95,31
26		*भारित*	*7,62,96*	*3,17,57*	*4,45,39*
	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)			
27		दत्तमत	9,98,38	4,93,40	5,04,98
	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)			
28		दत्तमत	2,01,87	2,01,53	34
29		*भारित*	*45,38,94*	*45,16,90*	*22,04*
	21	खाद्य एवं रसद विभाग			
30		दत्तमत	62,92,72	59,96,63	2,96,09
	22	खेल विभाग			
31		दत्तमत	60,14,64	56,48,10	3,66,54
	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)			
32		दत्तमत	1,59,10,46	1,27,79,15	31,31,31
33		*भारित*	*2,00*	..	*2,00*
	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)			
34		दत्तमत	1,75,98,14	1,70,46,83	5,51,31
	25	गृह विभाग (कारागार)			
35		दत्तमत	4,45,82,70	4,45,09,80	72,90
36		*भारित*	*10,00*	*1,14*	*8,86*
	26	गृह विभाग (पुलिस)			
37		दत्तमत	1,03,48,90,38	93,66,02,26	9,82,88,12
38		*भारित*	*75,00*	*19,29*	*55,71*
	27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)			
39		दत्तमत	5,01,74,69	4,89,03,10	12,71,59
	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)			
40		दत्तमत	1,48,98,26	1,12,28,38	36,69,88

	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)			
41		*भारित*	*10,96,78*	*9,27,80*	*1,68,98*
	30	गोपन विभाग (राजस्व विशेष गुप्तचर निदेशालय एवं अन्य व्यय)			
42		दत्तमत	4,04,45	4,02,84	1,61
	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)			
43		दत्तमत	13,12,97,48	12,37,32,43	75,65,05
	32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)			
44		दत्तमत	34,85,91,25	30,14,59,92	4,71,31,33
45		*भारित*	*20,00*	*2,06*	*17,94*
	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)			
46		दत्तमत	5,34,92,52	4,50,73,86	84,18,66
	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)			
47		दत्तमत	2,40,95,77	2,29,79,51	11,16,26
	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)			
48		दत्तमत	25,45,24,57	23,75,29,20	1,69,95,37
49		*भारित*	*16,00*	*3,23*	*12,77*
	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)			
50		दत्तमत	4,84,85,78	3,72,25,20	1,12,60,58
51		*भारित*	*2,00*	*10*	*1,90*
	37	नगर विकास विभाग			
52		दत्तमत	38,16,84,17	31,62,15,40	6,54,68,77
	38	नागरिक उड्डयन विभाग			
53		दत्तमत	27,58,70	25,35,58	2,23,12
	39	भाषा विभाग			
54		दत्तमत	13,46,86	11,93,27	1,53,59
	40	नियोजन विभाग			
55		दत्तमत	2,59,74,94	1,74,53,15	85,21,79
	41	निर्वाचन विभाग			
56		दत्तमत	2,44,22,63	1,17,24,89	1,26,97,74
	42	न्याय विभाग			
57		दत्तमत	12,67,52,48	10,44,21,02	2,23,31,46
58		*भारित*	*2,52,54,31*	*1,99,89,29*	*52,65,02*
	43	परिवहन विभाग			
59		दत्तमत	1,36,02,99	1,16,95,01	19,07,98
	44	पर्यटन विभाग			
60		दत्तमत	29,26,57	19,69,33	9,57,24
	45	पर्यावरण विभाग			
61		दत्तमत	4,75,68	4,16,57	59,11

	46	प्रशासनिक सुधार विभाग			
62		दत्तमत	10,78,76	6,82,70	3,96,06
	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग			
63		दत्तमत	2,31,26,04	1,88,51,61	42,74,43
64		*भारित*	*2*	..	*2*
	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
65		दत्तमत	18,33,27,43	16,32,08,48	2,01,18,95
	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
66		दत्तमत	41,49,84,46	38,78,26,76	2,71,57,70
67		*भारित*	*1,00*	*10*	*90*
	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)			
68		दत्तमत	7,01,32,28	5,70,61,91	1,30,70,37
69		*भारित*	*17,00*	*14,15*	*2,85*
	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)			
70		दत्तमत	6,90,59,92	4,55,12,42	2,35,47,50
	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)			
71		दत्तमत	23,85,31,49	21,82,73,83	2,02,57,66
72		*भारित*	*1,21,67*	*1,93*	*1,19,74*
	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग			
73		दत्तमत	1,35,52	59,06	76,46
	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)			
74		दत्तमत	16,16,70,05	5,75,43,41	10,41,26,64
75		*भारित*	*4,00*	*42*	*3,58*
	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)			
76		*भारित*	*2,95,72*	*2,95,65*	*7*
	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)			
77		*भारित*	*5,00*	..	*5,00*
	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)			
78		दत्तमत	1,39,08,07	1,38,02,64	1,05,43
	60	वन विभाग			
79		दत्तमत	4,85,89,19	4,66,17,19	19,72,00
80		*भारित*	*13,70*	*13,33*	*37*
	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)			
81		दत्तमत	97,82,70,80	97,00,13,52	82,57,28
82		*भारित*	*2,57,34,80,37*	*2,54,45,96,36*	*2,88,84,01*
	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)			
83		दत्तमत	1,98,30,45,94	1,79,96,98,66	18,33,47,28
84		*भारित*	*36,09,83*	*34,47,38*	*1,62,45*

	63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)			
85		दत्तमत	2,20,89,08	1,76,69,91	44,19,17
	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)			
86		दत्तमत	1,99,16,85	1,65,73,50	33,43,35
	66	वित्त विभाग (समूह बीमा)			
87		दत्तमत	33,06,84	32,74,26	32,58
88		*भारित*	*1,92,36,84*	*1,92,28,71*	*8,13*
	67	विधान परिषद सचिवालय			
89		दत्तमत	31,03,50	26,25,53	4,77,97
90		*भारित*	*53,60*	*30,12*	*23,48*
	68	विधान सभा सचिवालय			
91		दत्तमत	99,46,38	87,37,28	12,09,10
92		*भारित*	*1,24,89*	*43,95*	*80,94*
	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग			
93		दत्तमत	3,25,14,41	2,18,27,24	1,06,87,17
	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
94		दत्तमत	95,07,24	89,68,06	5,39,18
	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)			
95		दत्तमत	2,11,88,84,51	1,86,21,61,14	25,67,23,37
	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)			
96		दत्तमत	88,16,86,48	79,42,75,73	8,74,10,75
97		*भारित*	*2,70*	..	*2,70*
	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)			
98		दत्तमत	25,39,78,09	21,91,49,89	3,48,28,20
99		*भारित*	*25*	..	*25*
	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)			
100		दत्तमत	95,61,51	80,28,24	15,33,27
	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)			
101		दत्तमत	4,21,69,10	3,87,35,50	34,33,60
102		*भारित*	*10*	..	*10*
	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)			
103		दत्तमत	12,45,30,25	12,28,68,06	16,62,19
	78	सचिवालय प्रशासन विभाग			
104		दत्तमत	5,36,08,48	4,56,16,70	79,91,78
	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)			
105		दत्तमत	21,61,25,55	18,99,33,34	2,61,92,21
	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)			
106		दत्तमत	45,38,32,71	41,00,67,98	4,37,64,73

	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)			
107		दत्तमत	59,11,21	46,72,92	12,38,29
108		*भारित*	*10*	..	*10*
	82	सतर्कता विभाग			
109		दत्तमत	34,02,84	31,09,73	2,93,11
110		*भारित*	*5,08,00*	*4,01,97*	*1,06,03*
	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
111		दत्तमत	87,62,84,22	74,47,10,55	13,15,73,67
	84	सामान्य प्रशासन विभाग			
112		दत्तमत	1,12,67,38	5,48,37	1,07,19,01
	85	सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग			
113		दत्तमत	4,64,65	4,15,86	48,79
	86	सूचना विभाग			
114		दत्तमत	1,49,81,37	64,84,73	84,96,64
	87	सैनिक कल्याण विभाग			
115		दत्तमत	48,85,36	38,47,36	10,38,00
	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)			
116		दत्तमत	5,66,50	4,90,00	76,50
	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)			
117		दत्तमत	5,04,19,91	4,65,38,06	38,81,85
118		*भारित*	*65,45,02*	*65,38,08*	*6,94*
	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजी कर)			
119		दत्तमत	72,88,35	56,99,37	15,88,98
	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)			
120		दत्तमत	2,25,73,34	2,13,08,49	12,64,85
121		*भारित*	*4*	..	*4*
	92	संस्कृति विभाग			
122		दत्तमत	46,15,43	37,35,76	8,79,67
123		*भारित*	*5*	..	*5*
	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)			
124		दत्तमत	27,25,49,50	19,86,73,42	7,38,76,08
	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)			
125		दत्तमत	29,16,84,91	23,19,38,32	5,97,46,59
126		*भारित*	*50,00*	*17,99*	*32,01*
		योग दत्तमत	**14,63,31,65,11**	**12,96,11,56,47**	**1,67,20,08,64**
		योग *भारित*	**2,63,64,09,49**	**2,60,08,39,44**	**3,55,70,05**
		योग राजस्व	**17,26,95,74,60**	**15,56,19,95,91**	**1,70,75,78,69**

पूँजीगत					
	1.	आबकारी विभाग			
1		दत्तमत	1,99,06	76,63	1,22,43
	2.	आवास विभाग			
2		*भारित*	*7,08,69*	*6,35,43*	*73,26*
	3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)			
3		दत्तमत	6,70,00	69,20	6,00,80
	4.	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)			
4		दत्तमत	7,00,00	23,58	6,76,42
	6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)			
5		दत्तमत	5,00,00	4,90,00	10,00
	7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)			
6		दत्तमत	6,42,20,62	6,26,97,87	15,22,75
	8.	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)			
7		दत्तमत	5,00,00	3,03,77	1,96,23
	9.	उर्जा विभाग			
8		दत्तमत	64,16,17,42	60,60,57,71	3,55,59,71
	10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)			
9		दत्तमत	8,98,92	6,12,02	2,86,90
	11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)			
10		दत्तमत	9,70,74,45	5,00,20,97	4,70,53,48
	13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)			
11		दत्तमत	26,32,78,61	24,87,02,34	1,45,76,27
	15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)			
12		दत्तमत	72,87,68	62,29,19	10,58,49
	18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)			
13		दत्तमत	23,39,65	23,04,65	35,00
14		*भारित*	*11,92,63*	*9,11,04*	*2,81,59*
	19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)			
15		दत्तमत	9,00,01	1,00,00	8,00,01
	21.	खाद्य एवं रसद विभाग			
16		दत्तमत	96,87,69,77	50,22,87,87	46,64,81,90
17		*भारित*	*6,53,21,90*	*1,55,23,72*	*4,97,98,18*
	22.	खेल विभाग			
18		दत्तमत	1,45,06,20	1,44,09,09	97,11
	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)			
19		दत्तमत	57,50,00	57,43,51	6,49
	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)			

20		दत्तमत	4,95,00,00	4,94,88,08	11,92
	25.	गृह विभाग (कारागार)			
21		दत्तमत	1,62,90,90	1,61,07,61	1,83,29
	26.	गृह विभाग (पुलिस)			
22		दत्तमत	6,71,30,01	5,44,79,41	1,26,50,60
	27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)			
23		दत्तमत	11,87,04	10,39,54	1,47,50
	28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)			
24		दत्तमत	30,00	..	30,00
	31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)			
25		दत्तमत	11,11,30,08	9,17,89,20	1,93,40,88
	32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)			
26		दत्तमत	6,27,94,00	3,44,10,84	2,83,83,16
	33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)			
27		दत्तमत	34,41,00	12,39,12	22,01,88
	34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)			
28		दत्तमत	15,76,79	7,80,65	7,96,14
	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)			
29		दत्तमत	41,73,54	9,85,75	31,87,79
	36.	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)			
30		दत्तमत	7,58,35	1,94,42	5,63,93
	37.	नगर विकास विभाग			
31		दत्तमत	16,53,23,50	12,83,32,53	3,69,90,97
	38.	नागरिक उड्डयन विभाग			
32		दत्तमत	2,82,00,00	1,90,00,00	92,00,00
	40.	नियोजन विभाग			
33		दत्तमत	23,82,77,56	19,17,28,61	4,65,48,95
	42.	न्याय विभाग			
34		दत्तमत	8,13,57,59	4,77,40,12	3,36,17,47
35		*भारित*	*22,60,62*	*11,18,30*	*11,42,32*
	43.	परिवहन विभाग			
36		दत्तमत	41,86,02	14,62,58	27,23,44
	44.	पर्यटन विभाग			
37		दत्तमत	1,17,35,10	82,42,24	34,92,86
	46	प्रशासनिक सुधार विभाग			
38		दत्तमत	5,00,00	1,25,00	3,75,00
	47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग			
39		दत्तमत	3,38,30,52	2,39,09,18	99,21,34

	48.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
40		दत्तमत	8,90,61,42	7,42,39,83	1,48,21,59
	49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
41		दत्तमत	1,64,10,00	1,62,10,00	2,00,00
	50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)			
42		दत्तमत	1,45,87,12	91,33,39	54,53,73
	51.	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)			
43		दत्तमत	25,00,00	1,73,26	23,26,74
	52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)			
44		दत्तमत	16,98,02	13,63,99	3,34,03
	53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग			
45		दत्तमत	1,00	..	1,00
	55.	लोक निर्माण विभाग (भवन)			
46		*भारित*	*1,05,00*	*1,04,54*	*46*
	56.	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)			
47		दत्तमत	3,45,00,00	3,41,06,21	3,93,79
	58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)			
48		*भारित*	*5,50,00*	*4,70,41*	*79,59*
	59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)			
49		दत्तमत	2,09,87,00	2,08,04,99	1,82,01
	60.	वन विभाग			
50		दत्तमत	2,23,83,55	2,07,86,22	15,97,33
	61.	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)			
51		दत्तमत	23,21,40,05	21,30,80,82	1,90,59,23
52		*भारित*	*1,80,34,33,38*	*81,94,30,94*	*98,40,02,44*
	62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)			
53		दत्तमत	1,50,00,00	..	1,50,00,00
	63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)			
54		दत्तमत	8,91,78	7,00,00	1,91,78
	65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)			
55		दत्तमत	26,00	3,01	22,99
	67.	विधान परिषद सचिवालय			
56		दत्तमत	4,01	..	4,01
	68.	विधान सभा सचिवालय			
57		दत्तमत	12,01	..	12,01
	69.	व्यवसायिक शिक्षा विभाग			
58		दत्तमत	1,66,82,55	1,40,79,93	26,02,62
	70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			

59		दत्तमत	92,00,00	..	92,00,00
	71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)			
60		दत्तमत	10,82,00	5,00,00	5,82,00
	72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)			
61		दत्तमत	2,18,98,59	61,03,69	1,57,94,90
	73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)			
62		दत्तमत	2,80,31,64	94,97,14	1,85,34,50
	75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)			
63		दत्तमत	24,19,43	1	24,19,42
	77.	श्रम विभाग (रोजगार)			
64		दत्तमत	33,50	31,26	2,24
	78.	सचिवालय प्रशासन विभाग			
65		दत्तमत	2,00,00	..	2,00,00
	79.	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)			
66		दत्तमत	1,27,85,19	76,38,89	51,46,30
	81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)			
67		दत्तमत	18,09,16	1,54,55	16,54,61
	82.	सतर्कता विभाग			
68		दत्तमत	4,21,63	2,91,56	1,30,07
	83.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
69		दत्तमत	30,99,67,14	25,75,63,18	5,24,03,96
	87.	सैनिक कल्याण विभाग			
70		दत्तमत	1,64,00	1,62,87	1,13
	89.	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)			
71		दत्तमत	8,61,71	6,80,64	1,81,07
	91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)			
72		दत्तमत	10,00,00	..	10,00,00
	92.	संस्कृति विभाग			
73		दत्तमत	42,29,00	6,61,21	35,67,79
	94.	सिंचाई विभाग (निर्माण)			
74		दत्तमत	51,19,83,91	33,63,50,28	17,56,33,63
75		*भारित*	*20,00,00*	*14,98,92*	*5,01,08*
		योग दत्तमत	**4,32,36,05,80**	**3,19,55,00,21**	**1,12,81,05,59**
		योग भारित	***1,87,55,72,22***	***83,96,93,30***	***1,03,58,78,92***
		योग पूँजीगत	**6,19,91,78,02**	**4,03,51,93,51**	**2,16,39,84,51**
		महायोग (राजस्व एवं पूँजीगत)	**23,46,87,52,62**	**19,59,71,89,42**	**3,87,15,63,20**

परिशिष्ट 2.2

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	*प्रतिशत*
		राजस्व –दत्तमत			
1	2	आवास विभाग	163.70	49.57	30
2	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	147.26	26.20	18
3	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	87.24	58.60	67
4	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	90.67	59.31	65
5	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	145.08	19.40	13
6	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	214.44	31.48	15
7	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	308.59	122.00	40
8	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,571.30	201.09	13
9	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (*पंचायती राज*)	5,825.79	462.21	8
10	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	537.56	25.02	5
11	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	78.50	23.60	30
12	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1,013.13	40.95	4
13	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	9.98	5.05	51
14	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	159.10	31.31	20
15	26	गृह विभाग (पुलिस)	10,348.90	982.88	10
16	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	501.75	12.72	3
17	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	148.98	36.70	25
18	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,312.97	75.65	6
19	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	3,485.91	471.31	14
20	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	534.93	84.19	16
21	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	240.96	11.16	5
22	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,545.25	169.95	7
23	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	484.86	112.61	23
24	37	नगर विकास विभाग	3,816.84	654.69	17
25	40	नियोजन विभाग	259.75	85.22	33
26	41	निर्वाचन विभाग	244.23	126.98	52
27	42	न्याय विभाग	1,267.52	223.31	18
28	43	परिवहन विभाग	136.03	19.08	14
29	44	पर्यटन विभाग	29.27	9.57	33
30	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	10.79	3.96	37
31	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	231.26	42.74	18
32	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,833.27	201.19	11
33	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,149.84	271.58	7

34	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	701.32	130.70	19
35	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	690.60	235.48	34
36	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,385.31	202.58	8
37	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.36	0.76	56
38	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,616.70	1,041.27	64
39	60	वन विभाग	485.89	19.72	4
40	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	9,782.71	82.57	0.84
41	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	19,830.46	1,833.47	9
42	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	220.89	44.19	20
43	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत)	199.17	33.43	17
44	68	विधान सभा सचिवालय	99.46	12.09	12
45	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	325.14	106.87	33
46	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	21,188.85	2,567.23	12
47	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,816.86	874.11	10
48	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,539.78	348.28	14
49	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	95.62	15.33	16
50	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	421.69	34.34	8
51	77	श्रम विभाग (रोजगार)	1,245.30	16.62	1
52	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	536.08	79.92	15
53	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2,161.26	261.92	12
54	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	4,538.33	437.65	10
55	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	59.11	12.38	21
56	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	8,762.84	1,315.74	15
57	84	सामान्य प्रशासन विभाग	112.67	107.19	95
58	86	सूचना विभाग	149.81	84.97	57
59	87	सैनिक कल्याण विभाग	48.85	10.38	21
60	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	504.20	38.82	8
61	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजी कर)	72.88	15.89	22
62	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	225.73	12.65	6
63	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,725.50	738.76	27
64	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,916.85	597.47	20
		निवल योग	**1,35,396.87**	**16,064.06**	**-**
		राजस्व –भारित			
65	1	आबकारी विभाग	0.20	0.19	95
66	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.06	0.02	33
67	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	0.07	47
68	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.16	0.14	88
69	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	0.07	50
70	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	7.63	4.45	58
71	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.02	100

72	25	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.09	90
73	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.75	0.56	75
74	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	0.18	90
75	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.16	0.13	81
76	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.02	100
77	42	न्याय विभाग	252.54	52.65	21
78	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.01	0.009	90
79	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1.22	1.20	98
80	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.04	100
81	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	0.05	0.05	100
82	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	25,734.80	288.84	1
83	67	विधान परिषद सचिवालय	0.54	0.23	43
84	68	विधान सभा सचिवालय	1.25	0.81	65
85	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.03	100
86	82	सतर्कता विभाग	5.08	1.06	21
87	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.32	64
		निवल योग	**26,005.65**	**351.18**	
		पूंजीगत –दत्तमत			
88	1	आबकारी विभाग	1.99	1.22	61
89	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	6.70	6.01	90
90	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	7.00	6.76	97
91	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	642.21	15.23	2
92	9	ऊर्जा विभाग	6,416.17	355.60	6
93	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	8.99	2.87	32
94	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	970.74	470.53	48
95	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,632.79	145.76	6
96	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	72.88	10.58	15
97	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	9.00	8.00	89
98	21	खाद्य एवं रसद विभाग	9,687.70	4,664.82	48
99	26	गृह विभाग (पुलिस)	671.30	126.51	19
100	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	0.30	0.30	100
101	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,111.30	193.41	17
102	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	627.94	283.83	45
103	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	34.41	22.02	64
104	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	15.77	7.96	50
105	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	7.58	5.64	74
106	37	नगर विकास विभाग	1,653.24	369.91	22
107	38	नागरिक उड्डयन विभाग	282.00	92.00	33
108	40	नियोजन विभाग	2,382.78	465.49	20
109	42	न्याय विभाग	813.58	336.17	41
110	43	परिवहन विभाग	41.86	27.23	65
111	44	पर्यटन विभाग	117.35	34.93	30

112	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	5.00	3.75	75
113	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	338.31	99.21	29
114	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	890.61	148.22	17
115	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	145.87	54.54	37
116	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	25.00	23.27	93
117	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	16.98	3.34	20
118	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.01	100
119	60	वन विभाग	223.84	15.97	7
120	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2,321.40	190.59	8
121	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	150.00	150.00	100
122	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	0.26	0.23	88
123	67	विधान परिषद सचिवालय	0.04	0.04	100
124	68	विधान सभा सचिवालय	0.12	0.12	100
125	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	166.83	26.03	16
126	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	92.00	92.00	100
127	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	10.82	5.82	54
128	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	218.99	157.95	72
129	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	280.32	185.35	66
130	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	24.19	24.19	100
131	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2.00	2.00	100
132	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	127.85	51.46	40
133	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	18.09	16.55	91
134	82	सतर्कता विभाग	4.22	1.30	31
135	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	3,099.67	524.04	17
136	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	8.62	1.81	21
137	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	10.00	10.00	100
138	92	संस्कृति विभाग	42.29	35.68	84
139	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	5,119.84	1,756.34	34
		निवल योग	**41,558.75**	**11,232.59**	
		पूँजीगत – भारित			
140	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	11.93	2.82	24
141	21	खाद्य एवं रसद विभाग	653.22	497.98	76
142	42	न्याय विभाग	22.61	11.42	51
143	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	18,034.33	9,840.02	55
144	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	20.00	5.01	25
		निवल योग	**18,742.09**	**10,357.25**	
		महायोग	**2,21,703.36**	**38,005.08**	

परिशिष्ट 2.3

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 49)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	कुल व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
		राजस्व–दत्तमत			
1	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2,956.11	3,161.06	7
		योग	**2,956.11**	**3,161.06**	
		पूँजीगत–दत्तमत			
2	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	50.42	121.10	140
3	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	1,343.29	1,437.42	7
4	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5,953.90	9,085.24	53
		योग	**7,347.61**	**10,643.76**	
		पूँजीगत–भारित			
5	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.06	1.03	1,617
		योग	**0.06**	**1.03**	
		महायोग	**10,303.78**	**13,805.85**	

परिशिष्ट 2.4

प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के विरूद्ध बचत
		राजस्व –दत्तमत				
1	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	146.13	121.06	1.13	25.07
2	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	85.56	28.64	1.69	56.92
3	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	199.33	182.96	15.11	16.37
4	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,582.08	2,098.77	112.79	483.31
5	22	खेल विभाग	59.15	56.48	1.00	2.67
6	26	गृह विभाग (पुलिस)	10,156.90	9,366.02	192.00	790.88
7	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,308.97	1,237.32	4.00	71.65
8	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,540.91	2,375.29	4.34	165.62
9	37	नगर विकास विभाग	3,229.92	3,162.15	586.93	67.77
10	41	निर्वाचन विभाग	135.17	117.25	109.06	17.92
11	42	न्याय विभाग	1,260.36	1,044.21	7.17	216.15
12	43	परिवहन विभाग	134.63	116.95	1.40	17.68
13	44	पर्यटन विभाग	23.99	19.69	5.28	4.30
14	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,816.16	1,632.08	17.11	184.08
15	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	472.37	455.12	218.23	17.25
16	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,285.23	2,182.74	100.08	102.49
17	60	वन विभाग	484.69	466.17	1.20	18.52
18	68	विधान सभा सचिवालय	93.36	87.37	6.10	5.99
19	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	317.01	218.27	8.13	98.74
20	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	20,958.71	18,621.61	230.14	2,337.10
21	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,536.38	2,191.50	3.40	344.88
22	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	511.08	456.17	25.00	54.91
23	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	8,042.74	7,447.11	720.10	595.63
24	87	सैनिक कल्याण विभाग	40.29	38.47	8.56	1.82
25	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	501.04	465.38	3.16	35.66
26	92	संस्कृति विभाग	43.89	37.36	2.26	6.53
27	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,181.43	1,986.73	544.07	194.70
		योग	**62,147.48**	**56,212.87**	**2,929.44**	**5,934.61**

राजस्व –भारित						
28	42	न्याय विभाग	226.57	199.89	25.98	26.68
		योग	**226.57**	**199.89**	**25.98**	**26.68**
पूँजीगत–दत्तमत						
29	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	965.80	500.21	4.95	465.59
30	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,532.79	2,487.02	100.00	45.77
31	21	खाद्य एवं रसद विभाग	9,626.01	5,022.88	61.69	4,603.13
32	26	गृह विभाग (पुलिस)	646.30	544.79	25.00	101.51
33	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,037.75	917.89	73.55	119.86
34	37	नगर विकास विभाग	1,645.13	1,283.33	8.11	361.80
35	42	न्याय विभाग	801.19	477.40	12.39	323.79
36	44	पर्यटन विभाग	98.50	82.42	18.85	16.08
37	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	325.08	239.09	13.23	85.99
38	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	870.61	742.40	20.00	128.21
39	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	144.87	91.33	1.00	53.54
40	60	वन विभाग	216.84	207.86	7.00	8.98
41	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	5.82	5.00	5.00	0.82
42	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	226.50	94.97	53.82	131.53
43	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	0.10	0.00	24.09	0.10
44	92	संस्कृति विभाग	36.64	6.61	5.65	30.03
45	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4,829.57	3,363.50	290.27	1,466.07
		योग	**24,009.50**	**16,066.70**	**724.60**	**7,942.80**
पूँजीगत–भारित						
46	42	न्याय विभाग	15.11	11.18	7.50	3.93
		योग	**15.11**	**11.18**	**7.50**	**3.93**
		महायोग	**86,398.66**	**72,490.64**	**3,687.52**	**13,908.02**

परिशिष्ट 2.5

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान / विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	आधिक्य
राजस्व–दत्तमत							
1	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2,856.11	100.00	2,956.11	3,161.06	204.95
योग			**2,856.11**	**100.00**	**2,956.11**	**3,161.06**	**204.95**
पूंजीगत–दत्तमत							
2	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	45.92	4.50	50.42	121.10	70.68
3	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	1,093.29	250.00	1,343.29	1,437.42	94.13
4	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5,076.20	877.70	5,953.90	9,085.24	3,131.34
योग			**6,215.41**	**1,132.20**	**7,347.61**	**10,643.76**	**3,296.15**
महायोग			**9,071.52**	**1,232.20**	**10,303.72**	**13,804.82**	**3,501.10**

परिशिष्ट 2.6

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत
1	01	आबकारी विभाग	2039-001-05	355.00	00	8.53
2	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2852-001-03	11.80	00	46.97
3	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	5054-337-03	5,000.00	00	1,129.08
4	08	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	2058-104-03	8.00	00	5.85
5	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-103-03	1,400.00	00	87.77
6			2402-001-03	12.50	00	0.03
7			4401-107-03	1,500.00	2.54	00
8			4415-277-27	686.28	300.00	00
9	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-102-06	43.00	00	327.94
10			2515-001-03	83.37	00	14.23
11			2515-001-04	122.75	00	50.03
12			2515-800-04	73.75	16.97	00
13	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (*पंचायती राज*)	2070-800-03	30.01	3.72	00
14			2515-101-04	5.00	1.65	00
15	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-001-03	241.01	10.38	00
16			2403-101-06	100.00	00	11.52
17			2403-106-03	127.25	00	8.29
18	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-001-04	10.37	00	1.96
19	21	खाद्य तथा रसद विभाग	3475-106-03	245.10	00	29.87
20			4059-051-06	93.47	00	93.47
21			4408-001-03	18.81	00	1,577.23
22			4408-800-03	15,365.00	00	9,505.44
23	22	खेल विभाग	2204-001-03	118.00	8.76	00
24	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-001-03	10.50	00	11.62
25			2401-111-03	6.27	00	1.83
26	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	7.42	7.20	00
27			2056-101-03	922.94	00	71.32
28			4059-051-03	308.72	00	0.01
29			4059-051-04	213.48	00	0.01
30			4070-800-16	1,189.07	00	181.94

31	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-003-04	2.19	00	1,539.93
32			2055-101-03	15.80	00	1,928.23
33			2055-101-04	27.63	00	1,210.72
34			2055-104-03	2,961.40	00	5,867.34
35			2055-104-06	90.00	00	224.06
36			2055-108-03	7.74	00	265.04
37			2055-109-03	5,136.32	00	73,450.48
38			2055-109-04	19.64	00	20.99
39			2055-110-03	103.00	00	789.53
40			2055-111-03	170.91	00	1,242.17
41			2070-105-03	59.37	00	65.08
42			2070-108-03	50.00	00	2,446.12
43			2235-200-11	700.00	00	8,881.58
44			2055-109-07	250.00	242.65	00
45			2055-800-07	6.03	00	0.14
46			2055-800-14	2,716.04	184.98	00
47			2070-108-01	835.50	00	777.55
48	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-106-03	3.71	00	40.30
49			2070-107-03	5.00	39.55	00
50			2070-107-04	81.65	10.03	00
51			2070-107-06	14.15	00	11.36
52			2070-107-09	32.35	2.24	00
53	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-105-03	74.00	00	1,102.63
54			2210-110-15	70.00	1,304.73	00
55			4210-105-21	5,000.00	00	250.00
56	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-110-04	2,717.76	00	15,089.42
57			2210-110-10	2,436.96	00	18,109.67
58	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-101-03	75.65	00	61.40
59			2210-103-03	46.32	00	27.79
60	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-102-03	90.00	00	660.99
61	37	नगर विकास विभाग	2053-094-03	2,000.00	41.94	00
62			2053-094-04	37.20	00	37.20
63			2215-01-192-04	1,000.00	00	198.61
64			2215-02-192-04	3,800.00	00	101.86
65	40	नियोजन विभाग	2575-800-04	168.14	74.79	00
66			4575-800-04	25,540.55	00	598.99
67			4215-101-03	4,920.51	00	2,443.80
68			4215-02-101-03	1,214.83	642.05	00
69			4575-102-03	838.00	3,000.00	00
70			4801-800-03	1,354.11	5,407.14	00

71	41	निर्वाचन विभाग	2015-103-03	191.10	00	181.10
72			2015-103-05	74.66	11.84	00
73			2015-106-04	118.06	0.27	00
74	42	न्याय विभाग	2235-200-04	25.00	00	248.98
75			2014-114-03	22.30	110.06	00
76			2014-800-05	53.02	5.50	00
77			4059-051-05	150.00	00	2.49
78			4070-800-03	700.00	00	316.54
79			4216-700-03	100.00	00	0.02
80	44	पर्यटन विभाग	3452-001-03	27.50	00	215.67
81			3452-800-03	15.00	00	316.72
82			5452-104-14	1,055.01	00	469.27
83	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-001-03	5.00	0.01	00
84			2203-105-03	300.00	106.78	00
85			2203-001-05	59.00	00	0.02
86			2203-112-04	342.17	00	0.02
87			2203-112-06	95.86	0.69	00
88			4202-105-04	20.00	00	0.01
89			4202-105-14	2,000.00	00	0.01
90	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-03	1.82	0.36	00
91			2225-800-01	4,125.16	653.27	00
92	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-001-03	2.00	28.64	00
93			2029-800-04	85.96	11.78	00
94			2235-110-04	1,000.00	13,439.00	00
95	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-001-03	50.00	00	855.03
96			2059-001-04	100.00	00	8,119.39
97	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-21	200.50	108.05	00
98			4216-700-05	50.00	44.92	00
99			4059-051-23	50.00	00	53.20
100			4216-106-03	150.00	106.99	00
101	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	5054-101-04	4,500.00	8,233.61	00
102			5054-101-36	3,000.00	920.83	00
103	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-337-03	2,072.85	3,797.12	00
104			5054-04-337-01	1,700.00	1,864.69	00
105			5054-04-337-58	12,600.00	53,629.17	00
106			5054-04-337-64	2,739.00	3,588.02	00
107			5054-04-337-81	1,300.00	650.00	00
108			5054-04-337-85	26,000.00	1,489.77	00
109			5054-800-04	3,000.00	226.21	00
110			5054-337-06	4,000.00	00	3,035.11
111			5054-337-13	4,839.31	8,153.60	00

112	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2052-090-03	101.00	0.81	00
113			2059-053-09	100.50	00	0.01
114			2059-60-053-03	149.96	00	1.72
115			2059-60-053-04	24.05	00	14.28
116			2059-60-053-05	104.00	00	0.04
117			2216-700-09	154.58	00	0.01
118	60	वन विभाग	4406-800-01	22.84	00	37.34
119			4406-102-05	24.98	00	2.32
120	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	6004-101-03	462.07	5,045.07	00
121	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-095-03	9.10	23.50	00
122	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	2052-091-05	6.00	00	22.27
123	68	विधान सभा सचिवालय	2011-101-03	640.00	39.84	00
124	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-101-97	22.80	00	21.31
125			4250-203-07	179.77	00	59.80
126	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-101-03	67.10	00	481.71
127			2202-108-04	8.49	00	647.77
128			2202-109-03	1,918.37	00	7,404.36
129			2202-110-01	500.00	00	14,762.04
130			2202-107-11	6.49	00	2.46
131			2202-108-03	403.49	00	104.31
132			2202-109-08	2,590.00	00	1,248.53
133			2202-800-20	18.00	00	14.95
134	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-001-03	8.00	00	31.65
135			2202-001-04	3.00	14.67	00
136			2202-102-24	11.85	00	0.01
137	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-003-03	51.49	1.08	00
138			2202-003-07	46.00	00	0.80
139			2202-800-05	30.00	00	0.01
140	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-102-05	180.00	19.93	00
141			2230-001-03	15.44	00	133.81
142			2230-101-03	1.80	00	284.31
143			2230-101-04	11.00	00	442.16
144			2230-102-03	2.51	00	79.42
145			2230-101-05	39.10	00	23.63
146	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	2230-800-07	600.00	00	1,207.58
147	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-108-03	300.00	00	100.50
148			2013-800-03	101.31	00	0.75
149			2052-090-03	198.68	100.91	00

150			2052-090-07	2.53	00	2.53
151			2052-090-11	65.47	2.53	00
152			2220-800-03	53.00	1.94	00
153	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-101-14	47.53	2.74	00
154			2235-101-03	53.12	0.13	00
155	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-001-03	20.00	10.54	00
156			2225-277-03	32.00	00	3.58
157	81	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजातियों का कल्याण)	2225-796-15	6.66	00	1.05
158			2225-796-17	10.27	00	5.20
159	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2225-789-05	78.87	00	107.67
160			2225-789-10	80.00	00	105.79
161			4225-789-10	691.80	00	50.01
162			4515-789-03	528.25	00	24.75
163	86	सूचना विभाग	2220-105-03	3.00	00	10.30
164			2220-001-03	70.87	00	167.26
165			2220-102-03	2.84	00	121.91
166			2220-106-03	10.00	00	58.63
167			2220-111-03	0.50	00	10.63
168			2220-800-03	9.00	00	3.00
169	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2700-800-06	383.70	00	666.00
170			2701-800-14	100.00	00	208.73
171			4700-07-051-10	100.00	00	971.19
172			4700-09-051-10	200.00	00	11,202.40
173			4700-14-051-10	100.00	00	1,000.02
174			4700-04-050-10	84.46	8.58	00
175			4700-051-07	94.93	00	0.01
176			4700-13-051-07	52.75	00	0.02
177			4700-19-050-10	34.10	00	6.86
178			4701-78-051-10	1,000.00	00	0.01
179			4711-103-08	654.84	1,633.77	00
180			4711-103-09	100.00	1,227.64	00
			योग	**1,83,685.87 अथवा 1,836.86 करोड़**	**1,16,616.18 अथवा 1,166.16 करोड़**	**2,06,278.91 अथवा 2,062.79 करोड़**

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2013-14 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (*प्रतिशत* में)	अभ्यर्पण का कारण
1	1	आबकारी विभाग	2039-001-06 कम्प्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना	18.00	16.72	93	मितव्ययिता तथा नए कम्प्यूटरों के क्रय की मांग प्राप्त न होने के कारण
2			2216-700-03 आबकारी विभाग के आवासीय भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव	10.00	8.50	85	इलाहाबाद में आबकारी विभाग की कॉलोनी में मरम्मत न होने के कारण
3			2039-001-04 जिला कार्यकारी अधिष्ठान	20.00	18.76	94	भुगतान हेतु देयकों के लंबित होने के कारण।
4			4059-051-03 आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	199.06	122.11	61	कारण नहीं बताया गया
5	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	494.70	440.84	89	संभागीय स्तर पर आवंटित धनराशि व्यय न होने के कारण एवं आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
6			2851-102-22 हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना	300.00	210.40	70	महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वास्तविक देय राशि के भुगतान के कारण
7	6	उद्योग विभाग (हथकरधा उद्योग)	2851-103-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	6,559.42	5,631.62	86	स्वीकृत राशि का केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण

8	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2406-112-04 लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	180.00	152.59	85	कारण नहीं बताया गया
9			4406-112-03 लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	270.00	225.30	83	कारण नहीं बताया गया
10	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-102-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	11,842.90	7,996.73	68	वास्तविक मांग के आधार पर
11			2401-103-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	1,212.48	821.92	68	भारत सरकार द्वारा कम राशि जारी होने के कारण
12			2401-103-07 ग्रीष्मकालीन मूंगफली के उत्पादन की प्रोत्साहन योजना	250.00	193.17	77	उचित बीज और कृषि निवेशों की अनुपलब्धता के कारण
13			2401-108-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	96.95	71.51	74	भारत सरकार द्वारा अनुमोदन की तुलना में अत्यधिक प्रावधान करने के कारण
14			2401-109-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	1,700.00	1,123.52	66	किसान मित्र योजना की प्रशासकीय स्वीकृति न मिलने के कारण
15			2401-109-08 कृषि विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	2,329.61	2,218.13	95	निविदा प्रक्रिया की देर से स्वीकृति एवं निष्पादन न होने के कारण
16			2401-110-04 फसल बीमा हेतु भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड को प्रीमियम का भुगतान	5,500.00	5,169.81	94	मुवावजे के दावे की कम प्राप्ति के कारण
17			2401-111-01 केन्द्रीय योजना/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	1,054.20	641.60	61	पदों के रिक्त होने के कारण
18			2401-111-05 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	1,975.19	1,975.19	100	कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
19			2401-112-04 अंतः फसली दलहन/ तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु खेती की योजना	1,447.68	1,371.00	95	योजना के अलोकप्रिय होने के कारण समर्पण

20			2401-800-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	118.44	118.44	100	भारत सरकार द्वारा धनराशि के निर्गत न होने के कारण
21			4401-103-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	2,040.25	2,040.25	100	भारत सरकार द्वारा निधि निर्गत न होने के कारण
22			4401-190-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4,000.00	3,801.86	95	परियोजनाओं के अनुमोदन न होने एवं मांग न होने के कारण
23			4401-800-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	26,659.97	19,458.06	73	आवश्यकता न होने के कारण
24	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (*पंचायती राज*)	2515-198-01 केन्द्रीय योजना/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	192.00	192.00	100	कारण नहीं बताया गया
25			2575-192-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा पोषित कार्यक्रम	13,343.80	7,836.46	59	कारण नहीं बताया गया
26			2575-800-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	3,500.00	2,500.00	71	कारण नहीं बताया गया
27	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2049-200-03 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋणों पर प्राप्त ब्याज	754.24	442.12	59	एनसीडीसी से ऋण की कम प्राप्ति के कारण
28			4425-107-03 निर्बल सहकारी क्रय –विक्रय समितियों के गोदामों का सुदृढ़ीकरण	35.00	35.00	100	अनुदान प्राप्त न होने के कारण
29	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	2070-003-08 भारतीय (प्रशासनिक) सेवा के परिवीक्षाधीनों का प्रशिक्षण	89.05	53.15	60	निधि की कम मांग के कारण
30			2070-003-11 उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ	836.12	429.46	51	प्रशिक्षुओं की कम संख्या के कारण
31			4070-003-03 उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ	900.00	800.01	89	कारण नहीं बताया गया

32	21	खाद्य तथा रसद विभाग	4408-101-03 अन्न पूर्ति योजना	9,01,020.33	4,59,018.23	51	तय लक्ष्य से कम खरीद की के कारण
33			4408-800-04 अन्य व्यय	0.50	0.50	100	दावों के प्रस्तुत न होने के कारण
34	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-102-03 राज्यपाल का विवेकाधीन अनुदान	30.00	17.46	58	आवश्यकता न होने के कारण
35	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-105-39 गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर	1,639.35	1,179.35	72	कारण नहीं बताया गया
36			4210-105-47 राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर	1,000.00	1,000.00	100	कारण नहीं बताया गया
37			4210-105-52 राजकीय मेडिकल कालेजों में इन्टरनेट की सुविधा	200.00	200.00	100	कारण नहीं बताया गया
38			4210-105-63 पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ़	500.01	500.01	100	कारण नहीं बताया गया
39			6075-800-03 एस.जी.पी.जी.आई. में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रिवाल्विंग फण्ड	500.00	500.00	100	कारण नहीं बताया गया
40	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-101-07 राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजो में योगा एवं नेचुरोपैथी यूनिट्स की स्थापना	36.31	36.31	100	सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण
41			4210-800-06 यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल	1,041.00	1,041.00	100	योजना की स्वीकृति न होने के कारण
42			4210-800-04 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/यूनानी कालेजों के भवनों/छात्रावासों का निर्माण (चालू कार्य)	800.00	800.00	100	सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण
43	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	2210-102-06 होम्योपैथिक औषधि निर्माण/परीक्षण	29.65	29.65	100	पदो के सृजन न होने के कारण
44			4210-800-03 राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज, लखनऊ,	100.00	100.00	100	पुनरीक्षित अनुमान के अनुमोदन न होने के कारण

			राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कालेज, कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के भवनों का निर्माण				स्वीकृत जारी न होना
45	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-001-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	10.00	10.00	100	पदो के रिक्त होने के कारण
46	37	नगर विकास विभाग	2217-800-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	750.00	750.00	100	भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
47			2230-101-03 मोटर/सोलर रिक्शों के वितरण हेतु ''रिक्शा योजना''	20,000.00	18,000.00	90	योजना के अन्तर्गत निविदा की प्रक्रिया अपूर्ण रहने के कारण
48			4216-800-03 आसरा योजना (आवासीय भवन)	20,000.00	15,213.96	76	सूडा/डूडा से परियोजनओं /प्रस्तावों के स्वीकृत न होने के कारण
49			4217-800-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	25.00	25.00	100	भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
50			4250-203-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	100.00	100.00	100	भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
51	38	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-800-04 हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत	1,200.00	1,200.00	100	पुराने हवाई जहाजों की मरम्मत न होने के कारण
52	40	नियोजन विभाग	2575-800-04 बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	796.05	676.78	85	भारत सरकार द्वारा नई परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के कारण
53			2575-06-800-04 समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था	40.00	40.00	100	धनराधि के उपयोग न होने के कारण
54			2810-800-03 बायो इनर्जी मिशन सेल	8.40	5.19	62	कारण नहीं बताया गया

55			3451-092-07 राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था	50.00	42.84	86	कारण नहीं बताया गया
56			3454-001-05 तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान	2,607.00	2,079.73	80	कारण नहीं बताया गया
57			3454-001-06 जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति)	18.00	9.16	51	कारण नहीं बताया गया
58			4575-101-03 पशु चिकित्सालय/ पशु सेवा केन्द्रों का निर्माण एवं विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था	30.00	24.66	82	स्वीकृति जारी न होने के कारण
59			4575-106-03 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एकमुश्त व्यवस्था	50.00	39.85	80	समिति द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अनुमोदन न होने के कारण
60			4575-207-03 भारत–नेपाल सीमा पर स्थित जनपदों में बैरक, सीमा चौकी आदि के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	10.00	10.00	100	राज्य स्तर के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा योजना के प्रस्ताव न होने के कारण
61			4575-800-06 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	60.00	60.00	100	समिति द्वारा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण
62			4575-800-07 सामुदायिक भवनों का निर्माण	200.00	159.04	80	दूसरी किस्त के प्रस्ताव की उपलब्धता न होने के कारण
63			4575-800-08 आयुर्वेदिक औषधालयों का भवन निर्माण	50.00	50.00	100	समिति द्वारा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण

64			4575-800-11 मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	50.00	100	समिति द्वारा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण
65			4575-102-03 जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	200.00	101.27	51	जिलों द्वारा दूसरी किस्त के प्रस्ताव की अनुपलब्धता के कारण
66	41	निर्वाचन विभाग	2015-105-04 उपनिर्वाचन	162.00	114.47	71	उप–चुनाव न होने के कारण
67	43	परिवहन विभाग	3055-190-03 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	29.00	22.48	78	आवश्यकता न होने के कारण
68			3055-800-04 सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय	500.00	500.00	100	सड़क सुरक्षा निधि के गठन हेतु अनुमोदन न होने के कारण
69			4047-800-04 वे–इन–मोशन पायलट प्रोजेक्ट	100.00	100.00	100	योजना के क्रियाशील न होने के कारण
70			4047-800-05 वाहनों के फिटनेस चेक हेतु फिटनेस पिट की स्थापना	300.00	175.72	59	दूसरी किस्त की धनराशि निर्गत न होने के कारण
71			4059-051-03 संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण	2,000.00	1,140.73	57	धनराशि निर्गत न होने के कारण
72			5055-190-03 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन	1,000.00	657.29	66	मॉडल आचार संहिता लागू होने तथा नवीन कार्य के कारण
73			5055-800-03 सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय	700.00	700.00	100	सड़क सुरक्षा निधि के गठन हेतु अनुमोदन न होने के कारण
74			7055-190-03 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बहेड़ी–बरेली में बस स्टेशन निर्माण के लिए ब्याज रहित ऋण	25.00	25.00	100	मॉडल आचार संहिता लागू होने तथा नवीन कार्य के कारण

75	45	पर्यावरण विभाग	3435-001-05 पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना	5.55	5.55	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
76	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-103-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	605.00	337.82	56	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
77			2203-104-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	220.00	128.27	58	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
78			2203-105-19 आई.टी. पॉलिटेक्निक	10.01	10.01	100	सृजित पदों पर नियुक्ति न होने के कारण
79	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-105-04 अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान	137.90	79.01	57	आयोग के क्रियाशील न होने के कारण
80			2225-190-03 अल्पसंख्यकों का कल्याण	158.65	150.25	95	भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण
81			2235-800-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	283.00	231.61	82	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण
82			2250-800-03 राज्य हज समिति को अनुदान	371.50	288.50	78	हाजियों की सेवा हेतु परिचरों को न भेजने के कारण
83			4202-800-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	1,100.00	976.18	89	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण
84			4202-800-04 अखिल भारतीय प्रशासनिक/ प्रादेशिक सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान	185.29	150.00	81	वास्तविक गणना के आधार पर व्यय होने के कारण
85			4202-800-05 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना	3,411.00	3,411.00	100	कार्य की तैयारी न होने के कारण
86			4225-190-04 उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के अंशको का क्रय	100.00	100.00	100	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण

87			4225-190-05 उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के अंशको का क्रय	100.00	100.00	100	भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण
88	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	3053-102-03 हवाई पट्टियों का रख–रखाव तथा प्रबन्धन	228.19	176.21	77	वास्तविक व्यय के आधार पर
89			4059-051-48 तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन	3,500.00	3,500.00	100	जनपदों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
90			4059-051-50 कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों का निर्माण/पुनर्निमाण	275.40	144.98	53	प्रस्ताव परिपक्व न होने तथा वास्तविक व्यय के कारण
91			4216-106-04 तहसीलों के आवासीय भवन	94.59	94.59	100	धनराशि के निर्गत न होने के कारण
92			4216-106-08 मण्डलायुक्त के आवासीय भवन	119.48	119.48	100	धनराशि के निर्गत न होने के कारण
93	51	राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	2245-800-06 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	252.97	252.97	100	प्रबन्धन प्राधिकरण में कर्मियों की नियुक्ति न होने के कारण
94			2245-800-07 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	300.00	254.55	85	डी.डी.एम.ए. का गठन न होने के कारण
95			2245-800-08 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी. पोषित)	25.00	25.00	100	यू.एन.डी.पी. द्वारा कार्यक्रम का संचालन न होने के कारण
96			4250-101-05 स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	500.00	500.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण
97			4250-101-06 डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	500.00	500.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण
98			4250-101-07 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	500.00	500.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण

99			4250-101-08 प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय	1,000.00	826.74	83	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण
100	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-001-03 भूमि अध्याप्ति–सामान्य राजस्व व्यय	5.00	5.00	100	कारण नहीं बताया गया
101			2029-101-03 भू–राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	10.50	8.51	81	वास्तविक व्यय के आधार पर
102	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01 केन्द्रीय योजना / केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	30.00	26.70	89	निधि का उपयोग न किये जाने के कारण
103			2070-800-08 महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन	26.25	14.06	54	जनपदों द्वारा धनराशि उपयोग न किये जाने के कारण
104			2070-800-14 राज्य एकीकरण परिषद के अध्यक्ष को सुविधायें	12.95	11.42	88	अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण
105	60	वन विभाग	2235-110-03 वन विभाग के श्रमिको के लिए सामूहिक बीमा की योजना	2.35	2.35	100	मांग प्राप्त न होने के कारण
106			4406-102-12 वानिकी सम्बन्धित परियोजना (सी.सी.एल. प्रणाली)	200.00	200.00	100	वित्तीय व्यय समिति द्वारा परियोजना का अनुमोदन न होने के कारण
107			4406-800-10 लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज एवं नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में ईको पर्यटन विकास	507.13	295.17	58	धनराशि अवशेष होने के कारण
108			4406-800-15 ताजगंज वन विश्राम गृह आगरा का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण	112.58	103.37	92	ताज महल के 500 मीटर की सीमा के अन्दर मा0 उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त न होने के कारण

109			4406-800-10 जनपद एटा के ग्राम अमृतपुर में वन्यजीव संरक्षण (सी.सी.एल. प्रणाली)	14.50	14.50	100	राजस्व विभाग द्वारा सर्वे न कराये जाने के कारण
110			4406-111-08 जैव विविधता केन्द्र, कुकरैल वन खण्ड, लखनऊ (सी.सी.एल. प्रणाली)	100.00	60.00	60	भारत सरकार द्वारा पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान न करने के कारण
111	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2235-200-03 मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता	100.00	59.59	60	विभिन्न प्रशासनिक विभागों से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
112			6075-800-03 सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिए ऋण सहायता	20,000.00	17,631.04	88	कारण नही बताया गया
113			7610-201-03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन क्रय/निर्माण/ मरम्मत या विस्तार के लिए अग्रिम	60.00	40.50	68	विभागाध्यक्षों /सचिवालय के विभिन्न अनुभागों से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण
114			7610-203-03 राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय के लिए अग्रिम	0.05	0.05	100	विभागाध्यक्षों /सचिवालय के विभिन्न अनुभागों से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण
115			6003-110-03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	10,00,000.00	9,98,731.31	99	धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण
116	68	विधान सभा सचिवालय	2011-101-03 विधान सभा	124.89	80.94	65	आर्थिक मितव्ययिता, आवश्यकता न होने और मा0 उप सभापति का पद रिक्त रहने के कारण
117			7610-201-03 राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को आवास हेतु ऋण	6.00	6.00	100	कारण नही बताया गया

118			7610-202-03 राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए ऋण	6.00	6.00	100	कारण नही बताया गया
119	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4810-102-03 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्र, कन्नौज	200.00	200.00	100	वित्तीय वर्ष में व्यय की सम्भावना न होने के कारण
120			4810-102-04 सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन की योजना	9,000.00	9,000.00	100	विद्युत परियोजना आवंटन के सौर उर्जा डेवलपर्स की प्री बिड बिलम्ब से खोले जाने के कारण
121	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-053-04 प्राइमरी तथा जू0 हा0 स्कूलों के भवनों का रख–रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	346.97	69	कारण नही बताया गया
122			2202-102-31 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा	788.50	785.92	99	कारण नही बताया गया
123			4202-201-03 जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण (जिला योजना)	222.00	222.00	100	कारण नही बताया गया
124			4202-201-06 अभिनव विद्यालयों की स्थापना	360.00	360.00	100	कारण नही बताया गया
125	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-101-04 भारत सरकार को देय आयकर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी	25.00	13.04	52	वास्तविक व्यय के कारण
126			2052-090-04 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार	10.00	5.45	55	वास्तविक व्यय के कारण
127	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	4225-277-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	2,425.92	2,425.92	100	केन्द्रांश प्राप्त न होने/प्रस्तावित योजना का आकलन न होने से स्वीकृति निर्गत न होने के कारण

128			4235-101-01 केन्द्रीय योजना/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	2,500.00	2,500.00	100	कारण नही बताया गया
129			4235-101-21 ममता राजकीय विद्यालय, इलाहाबाद के भवन का निर्माण	204.40	204.40	100	कारण नही बताया गया
130	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-800-07 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग	334.07	216.90	65	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण
131			2225-102-03 डा0 अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन की स्थापना	14.80	11.16	75	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण
132			2235-200-08 आई.ए.एस./पी.सी. एस. मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	55.00	54.60	99	आवश्यकतानुसार व्यय तथा चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण
133			2235-200-10 मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता	50.00	50.00	100	आवश्यकता न होने के कारण
1344	84	सामान्य प्रशासन विभाग	2070-800-04 उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद	11.53	7.07	61	उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद के मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का नामांकन न होने के कारण
135			2070-800-05 जनगणना कार्य 2011	11,000.00	10,370.50	94	निदेशक, जनगणना उ0प्र0 द्वारा अवशेष धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण
136			2075-104-05 प्रादेशिक सेना डेकोरेशन तथा मेडल प्राप्त व्यक्तियों को नकद पुरस्कार	3.00	3.00	100	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
137			2250-101-04 कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अनुदान	50.00	48.50	97	पिछले वर्ष उत्तराखण्ड राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के स्थगित होने के कारण

138			2250-800-03 कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के निवासी तीर्थयात्री की मृत्यु की दशा में आश्रितों को अनुदान	1.00	1.00	100	उत्तर प्रदेश के किसी तीर्थयात्री की मृत्यु न होने के कारण
139	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-10 प्रदेश के व्यापारियों को ऑनलाइन सुविधायें एवं करापवंचन रोकने के लिए आई.टी. विजन डाक्यूमेंट तैयार करने की योजना	20.65	20.65	100	व्यय न होने के कारण
140			4059-051-13 क्षेत्रीय कार्यालय	279.21	181.96	65	कारण नही बताया गया
141	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-001-01 केन्द्रीय योजना/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	500.00	500.00	100	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
142			2030-001-05 पुराने अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए उनका डिजिटाइजेशन	200.00	200.00	100	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
			योग	**21,09,199.23 अथवा 21,091.99 करोड़**	**16,30,067.16 अथवा 16,300.67 करोड़**		

परिशिष्ट 2.8

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
राजस्व–दत्तमत						
1	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,312.97	75.65	77.51	1.86
2	41	निर्वाचन विभाग	244.23	126.98	127.77	0.79
3	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	701.32	130.70	132.40	1.70
4	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	220.89	44.19	48.80	4.61
5	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	536.08	79.92	82.67	2.75
6	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	225.73	12.65	29.99	17.34
निवल योग			**3,241.22**	**470.09**	**499.14**	**29.05**
राजस्व–भारित						
7	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	25,734.80	288.84	535.09	246.25
निवल योग			25,734.80	288.84	535.09	246.25
पूंजीगत–दत्तमत						
8	22	खेल विभाग	145.06	0.97	3.39	2.42
9	43	परिवहन विभाग	41.86	27.23	28.30	1.07
10	60	वन विभाग	223.84	15.97	18.01	2.04
निवल योग			**410.76**	**44.17**	**49.70**	**5.53**
पूंजीगत–भारित						
11	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	18,034.33	9,840.02	9,987.31	147.29
निवल योग			**18,034.33**	**9,840.02**	**9,987.31**	**147.29**
महायोग			**47,421.11**	**10,643.12**	**11,071.24**	**428.12**

परिशिष्ट 2.9

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 52)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत (₹ करोड़ में)	
			राजस्व	पूँजीगत
		I – अनुदान		
1	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.00	6.01
2	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	5.44	6.76
3	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	59.31	15.23
4	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	19.40	1.96
5	9	ऊर्जा विभाग	0.84	355.60
6	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	201.09	0.00
7	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (*पंचायती राज*)	0.00	0.14
8	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.00	10.58
9	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	6.87	0.00
10	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	23.60	0.00
11	21	खाद्य एंव रसद विभाग	2.96	0.00
12	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.00	0.06
13	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	0.00	0.12
14	25	गृह विभाग (कारागार)	0.73	1.83
15	26	गृह विभाग (पुलिस)	982.88	126.51
16	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	36.70	0.30
17	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	471.31	283.83
18	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.00	31.88
19	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	112.61	5.64
20	39	भाषा विभाग	1.54	0.00
21	42	न्याय विभाग	223.31	336.17
22	44	पर्यटन विभाग	9.57	34.93
23	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	0.00	3.75
24	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	0.00	99.21
25	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	271.58	2.00
26	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,041.27	0.00
27	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम)	0.00	3.94
28	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	1,833.47	150.00
29	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	0.00	0.23
30	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	106.87	26.03

31	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	874.11	157.95
32	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	348.28	185.35
33	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	16.62	0.02
34	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	12.38	16.55
35	82	सतर्कता विभाग	0.00	1.30
36	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,315.74	524.04
37	86	सूचना विभाग	84.97	0.00
38	87	सैनिक कल्याण विभाग	10.38	0.01
39	92	संस्कृति विभाग	8.80	35.68
40	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	738.76	1,756.34
41	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	597.47	0.00
		योग	**9,418.86**	**4,179.95**
		II – विनियोग		
42	2	आवास विभाग	0.75	0.73
43	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.14	0.00
44	25	गृह विभाग (कारागार)	0.09	0.00
45	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.56	0.00
46	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.18	0.00
47	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.00
48	42	न्याय विभाग	52.65	11.42
49	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.00
50	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	0.05	0.80
51	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	1.62	0.00
52	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.00
53	82	सतर्कता विभाग	1.06	0.00
54	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	0.00	5.01
55	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.32	0.00
		योग	**57.51**	**17.96**
		महायोग	**9,476.37**	**4,197.91**
		राजस्व और पूँजी का योग	**13,674.28**	

परिशिष्ट 2.10

अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत, जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया
		राजस्व –दत्तमत			
1	2	आवास विभाग	49.57	3.62	45.95
2	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)	26.20	8.15	18.05
3	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	5.44	00	5.44
4	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	58.60	56.32	2.28
5	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	59.31	00	59.31
6	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	19.40	00	19.40
7	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	596.10	581.92	14.18
8	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	122.00	113.53	8.47
9	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	201.09	0.00	201.09
10	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (*पंचायती राज*)	462.21	398.55	63.66
11	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	25.02	0.55	24.47
12	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	6.87	0.00	6.87
13	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	23.60	0.00	23.60
14	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2.96	0.00	2.96
15	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	31.31	29.70	1.61
16	26	गृह विभाग (पुलिस)	982.88	0.00	982.88
17	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	12.72	6.45	6.27
18	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	36.70	0.00	36.70
19	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	471.31	0.00	471.31
20	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	84.19	82.79	1.40
21	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	11.16	0.30	10.86
22	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	169.95	123.13	46.82
23	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	112.61	0.00	112.61
24	37	नगर विकास विभाग	654.69	191.19	463.50
25	39	भाषा विभाग	1.54	0.00	1.54
26	40	नियोजन विभाग	85.22	80.33	4.89
27	42	न्याय विभाग	223.31	0.00	223.31
28	44	पर्यटन विभाग	9.57	0.00	9.57
29	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	42.74	26.66	16.08
30	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	201.19	199.44	1.75

31	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	271.58	0.00	271.58
32	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	235.48	58.61	176.87
33	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	202.58	195.58	7.00
34	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,041.27	0.00	1,041.27
35	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	82.57	78.90	3.67
36	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	1,833.47	0.00	1,833.47
37	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	33.43	16.46	16.97
38	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	106.87	0.00	106.87
39	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	874.11	0.00	874.11
40	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	348.28	0.00	348.28
41	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	15.33	13.89	1.44
42	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	34.34	4.64	29.70
43	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	16.62	0.00	16.62
44	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	437.65	432.56	5.09
45	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	12.38	0.00	12.38
46	82	सतर्कता विभाग	2.93	0.74	2.19
47	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,315.74	0.00	1,315.74
48	84	सामान्य प्रशासन विभाग	107.19	104.36	2.83
49	86	सूचना विभाग	84.97	0.00	84.97
50	87	सैनिक कल्याण विभाग	10.38	0.00	10.38
51	92	संस्कृति विभाग	8.80	0.00	8.80
52	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	738.76	0.00	738.76
53	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	597.47	0.00	597.47
		योग	**13,201.66**	**2,808.37**	**10,393.29**
		पूंजीगत–दत्तमत			
54	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)	6.01	0.00	6.01
55	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	6.76	0.00	6.76
56	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	15.23	0.00	15.23
57	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	1.96	0.00	1.96
58	9	ऊर्जा विभाग	355.60	0.00	355.60
59	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	470.53	351.34	119.19
60	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	145.76	2.41	143.35
61	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	10.58	0.00	10.58
62	21	खाद्य एंव रसद विभाग	4,664.82	4,657.28	7.54
63	25	गृह विभाग (कारागार)	1.83	0.00	1.83
64	26	गृह विभाग (पुलिस)	126.51	0.00	126.51
65	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	283.83	0.00	283.83

66	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	31.88	0.00	31.88
67	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	5.64	0.00	5.64
68	37	नगर विकास विभाग	369.91	175.04	194.87
69	40	नियोजन विभाग	465.49	462.78	2.71
70	42	न्याय विभाग	336.17	0.00	336.17
71	44	पर्यटन विभाग	34.93	0.00	34.93
72	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	3.75	0.00	3.75
73	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	99.21	0.00	99.21
74	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2.00	0.00	2.00
75	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	3.34	0.00	3.34
76	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	3.94	0.00	3.94
77	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	190.59	185.93	4.66
78	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	150.00	0.00	150.00
79	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	26.03	0.00	26.03
80	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	157.95	0.00	157.95
81	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	185.35	0.00	185.35
82	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	16.55	0.00	16.55
83	82	सतर्कता विभाग	1.30	0.00	1.30
84	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	524.04	0.00	524.04
85	92	संस्कृति विभाग	35.68	0.00	35.68
86	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	1,756.34	0.00	1,756.34
योग			**10,489.51**	**5,834.78**	**4,654.73**
राजस्व–भारित					
87	42	न्याय विभाग	52.65	0.00	52.65
88	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1.20	0.17	1.03
89	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	1.62	0.00	1.62
90	82	सतर्कता विभाग	1.06	0.00	1.06
योग			**56.53**	**0.17**	**56.36**
पूंजीगत–भारित					
91	42	न्याय विभाग	11.42	0.00	11.42
92	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	5.01	0.00	5.01
योग			**16.43**	**0.00**	**16.43**
महायोग			**23,764.13**	**8,643.32**	**15,120.81**

परिशिष्ट 2.11

व्यय की अधिकता

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.13; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल बजट	मार्च 2014 में कुल व्यय	*प्रतिशत*
	राजस्व			
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	8,982.80	8,364.25	93.11
2202	सामान्य शिक्षा	35,090.43	6,141.16	17.50
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,318.48	2,745.46	43.45
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	11,388.99	2,422.44	21.27
2049	ब्याज अदायगियाँ	17,089.12	2,416.87	14.14
3604	स्थानीय निकायों तथा *पंचायती राज* संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	9,777.74	2,131.57	21.80
2055	पुलिस	9,956.49	1,473.15	14.80
3054	सड़क तथा सेतु	3,013.16	1,407.38	46.71
2071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ	21,359.39	1,249.99	5.85
2217	शहरी विकास	3,396.14	1,223.82	36.04
2515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	6,672.14	1,035.11	15.51
2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6,188.49	983.42	15.89
2245	प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	690.14	669.29	96.98
2211	परिवार कल्याण	2,755.41	667.53	24.23
2801	ऊर्जा	5,189.63	500.00	9.63
2701	मध्यम सिंचाई	3,857.60	393.85	10.21
2230	श्रम एवं रोजगार	2,807.88	306.80	10.93
2215	जलापूर्ति एवं सफाई	499.10	288.90	57.88
2401	फसल कृषि–कर्म	2,087.72	231.83	11.10
2029	भू–राजस्व	1,912.65	199.26	10.42
2059	लोक निर्माण कार्य	1,697.59	189.78	11.18
2014	न्याय प्रशासन	1,522.22	155.81	10.24
2852	उद्योग	277.65	143.44	51.66
2402	मृदा एवं जल संरक्षण	806.00	138.84	17.23
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	1,109.32	131.75	11.88
2053	जिला प्रशासन	695.96	103.37	14.85
2700	मुख्य सिंचाई	929.94	102.07	10.98
2425	सहकारिता	1,098.66	88.58	8.06

2015	चुनाव	269.28	85.54	31.77
2702	लघु सिंचाई	1,100.72	73.89	6.71
3454	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	195.37	70.28	35.97
2406	वानिकी एवं वन्य जीवन	506.12	63.12	12.47
2056	जेल	445.93	53.42	11.98
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	718.03	52.80	7.35
2040	बिक्री एवं व्यापार, इत्यादि पर कर	502.88	50.91	10.12
2403	पशुपालन	562.47	50.74	9.02
2203	तकनीकी शिक्षा	233.34	45.96	19.70
2705	कमान क्षेत्र विकास	292.38	41.73	14.27
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	331.59	39.35	11.87
2204	खेलकूद तथा युवा सेवायें	166.23	35.09	21.11
2415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	166.27	29.34	17.65
2030	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	223.73	26.75	11.96
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	132.26	25.01	18.91
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन	294.18	24.11	8.20
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	145.38	23.89	16.43
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	76.20	22.26	29.21
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	105.00	21.18	20.17
3055	सड़क परिवहन	138.68	19.62	14.15
2052	सचिवालय–सामान्य सेवायें	391.16	17.48	4.47
2216	आवास	63.10	16.40	25.99
2039	राज्य उत्पाद शुल्क	124.03	15.69	12.65
2013	मंत्री परिषद	113.42	13.85	12.21
2220	सूचना एवं प्रचार	150.91	13.41	8.89
2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	271.15	13.12	4.84
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	31.49	12.48	39.63
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	98.14	11.51	11.73
2404	डेरी विकास	105.44	11.36	10.77
2205	कला तथा संस्कृति	56.21	9.98	17.75
2075	विविध सामान्य सेवायें	39.93	9.37	23.47
2405	मछली पालन	79.06	7.86	9.94
3452	पर्यटन	29.27	6.18	21.11
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	48.01	5.85	12.18
2051	लोक सेवा आयोग	47.41	5.39	11.37
3451	सचिवालय–आर्थिक सेवायें	118.36	4.66	3.94
3456	सिविल पूर्ति	30.12	3.53	11.72
2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	25.06	3.24	12.93

2251	सचिवालय–सामाजिक सेवायें	81.23	2.51	3.09
2047	अन्य राजकोषीय सेवायें	23.92	2.03	8.49
2250	अन्य सामाजिक सेवायें	12.28	1.21	9.85
2407	बागान	5.72	1.16	20.28
3435	पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	4.76	0.85	17.86
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	13.75	0.84	6.11
2012	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	10.97	0.64	5.83
3053	नागर विमानन	2.58	0.37	14.34
2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य व्यय	10.90	0.29	2.66
2041	वाहन कर	0.70	0.05	7.14
3453	विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	0.07	0.04	57.14
2506	भूमि सुधार	0.10	0.00	0.00
	योग	**1,75,766.13**	**36,952.06**	
	पूँजीगत			
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	9,759.25	4,611.29	47.25
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6,950.77	3,065.39	44.10
4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,000.00	2,000.00	100.00
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	3,111.79	740.30	23.79
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1,080.35	637.21	58.98
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	1,827.14	630.45	34.50
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय	9,833.66	599.07	6.09
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	813.00	552.44	67.95
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,890.58	517.48	27.37
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,466.50	443.93	30.27
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,241.15	380.00	30.62
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,304.55	333.43	25.56
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	659.30	275.27	41.75
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	663.36	255.05	38.45
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,719.07	253.53	14.75
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	729.00	192.01	26.34
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,152.26	184.99	16.05
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	316.84	183.46	57.90
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	284.00	146.69	51.65
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	846.32	125.53	14.83
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	188.05	101.22	53.83
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	852.52	70.38	8.26
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	124.13	51.14	41.20
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय	247.43	35.29	14.26

5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	117.35	30.75	26.20
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	124.43	22.25	17.88
4403	पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय	72.88	13.92	19.10
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	13.06	9.68	74.12
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	5.00	2.67	53.40
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	17.00	1.71	10.06
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	10.50	0.42	4.00
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7.00	0.24	3.43
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.61	0.00	0.00
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	92.00	0.00	0.00
	योग	**49,524.85**	**16,467.19**	

परिशिष्ट 2.12

समीक्षित अनुदान का सार

(संदर्भः प्रस्तर 2.4; पृष्ठ 55)

(₹ हजार में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत	लेखाशीर्ष
अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)					
राजस्व–दत्तमत					
मूल	4,84,85,78	4,84,85,78	3,72,25,20	1,12,60,58	मुख्य शीर्ष 2210
अनुपूरक	शून्य				
राजस्व–भारित					
मूल	200	200	10	190	मुख्य शीर्ष 2210
अनुपूरक	शून्य				
पूंजीगत–दत्तमत					
मूल	7,58,35	7,58,35	1,94,42	5,63,93	मुख्य शीर्ष 4210
अनुपूरक	शून्य				
योग	**4,92,46,13**	**4,92,46,13**	**3,74,19,72**	**1,18,26,41**	

(स्रोत : विनियोग लेखे 2013–14)

परिशिष्ट 3.1

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 58)

क्र0 सं0	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	विगत अंतिम लेखे के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)
	सिंचाई विभाग		
1	सिंचाई निर्माण खण्ड, कानपुर	2013-14	0.19
2	सिंचाई निर्माण खण्ड, झाँसी	2013-14	0.44
3	सिंचाई निर्माण खण्ड, बरेली	2013-14	2.15
4	सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ	2013-14	0.49
5	सिंचाई निर्माण खण्ड, गोरखपुर	2013-14	1.54
6	सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद	2013-14	1.78
	पशुपालन विभाग		
7	राजकीय पशुधन सह कृषि फार्म	2010-11	24.85
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
8	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2010-11	6,230.69
	स्वास्थ्य विभाग		
9	स्टेट फार्मेसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1990-91	शून्य
		योग	**6,262.13**

परिशिष्ट 3.2

दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2014 तक लम्बित थी)

(संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 59)

(कोष्ठक में आँकड़े 'रु लाख में' प्रदर्शित हैं।)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1	कृषि विभाग	-	4 (9.09)	-	-	-	-	4 (9.09)
2	पशुपालन विभाग	-	1 (3.20)	1 (0.26)	8 (1.25)	5 (1.82)	1 (0.02)	16 (6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	1(1.28)	1(0.17)	-	-	2(1.45)
4	शिक्षा विभाग	5 (112.94)	-	1 (5.00)	-	-	-	6 (117.94)
5	मत्स्य विभाग	1 (1.01)	-	-	2 (0.85)	1 (1.22)	-	4 (3.08)
6	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	-	1(3.06)	-	-	5 (22.40)	3 (3.32)	9 (28.78)
7	सिंचाई विभाग	6 (110.96)	9 (0.26)	2 (0.32)	24 (9.49)	-	-	41 (121.03)
8	न्याय विभाग	-	1 (4.44)	-	-	-	-	1 (4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3 (331.78)	3 (331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	2 (3.95)	6 (4.57)	3 (7.37)	11 (15.89)
11	पुलिस विभाग	2 (4.00)	-	-	-	1 (1.21)	3 (2.89)	6 (8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	-	1 (47.48)	1 (0.51)	-	2 (47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	6 (118.12)	5 (35.43)	1 (0.98)	-	-	-	12 (154.53)
14	राजस्व विभाग	1 (6.68)	-	-	1 (1.72)	-	3 (6.09)	5(14.49)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	3 (1.65)	-	9 (2.19)	12 (3.84)
16	समाज कल्याण विभाग	1 (4.44)	-	-	1 (0.25)	-	2 (0.70)	4 (5.39)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1 (11.59)	-	-	-	1 (11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1 (1.01)	1 (1.01)
19	उद्यान विभाग	-	1 (3.59)	-	-	-	-	1 (3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1 (0.67)	1 (0.67)
	योग	**22 (358.15)**	**22 (59.07)**	**7 (19.43)**	**43 (66.81)**	**19 (31.73)**	**29 (356.04)**	**142 (891.23)**

परिशिष्ट 3.3

चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 59)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग के प्रकरण		हानि के प्रकरण		गबन के प्रकरण		योग	
	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि
कृषि विभाग	1	1.47	1	5.45	2	2.17	-	-	4	9.09
पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
शिक्षा विभाग	2	6.60	1	6.19	-	-	3	105.15	6	117.94
मत्स्य विभाग	-	-	-	-	2	1.70	2	1.38	4	3.08
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8	11.91	-	-	-	-	3	3.98	11	15.89
पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.01	4	4.09	6	8.10
पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
लोक निर्माण विभाग	3	1.63	2	6.16	7	146.74	-	-	12	154.53
राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
ग्राम्य विकास विभाग	5	1.38	-	-	1	0.14	6	2.32	12	3.84
समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
योग	**65**	**42.90**	**10**	**64.89**	**24**	**171.74**	**43**	**611.70**	**142**	**891.23**

परिशिष्ट 3.4

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष 800– अन्य प्राप्ति के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशत
0801	ऊर्जा	1,060.81	1,060.81	100.00
0217	शहरी विकास	98.71	98.71	100.00
0023	होटल प्राप्ति कर	39.57	39.57	100.00
1456	सिविल पूर्ति	4.25	4.25	100.00
0810	अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	2.27	2.27	100.00
0415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.28	0.28	100.00
0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.23	0.23	100.00
0852	उद्योग	0.17	0.17	100.00
0875	अन्य उद्योग	0.16	0.16	100.00
0215	जलापूर्ति तथा सफाई	0.10	0.10	100.00
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.03	0.03	100.00
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	249.48	248.81	99.73
1452	पर्यटन	12.60	12.42	98.57
0075	विविध सामान्य सेवाएं	3,194.28	3,128.42	97.94
0700	मुख्य सिंचाई	155.00	151.25	97.58
0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	354.56	343.70	96.94
0056	जेल	4.61	4.21	91.32
0211	परिवार कल्याण	1.02	0.93	91.18
0071	पेंशन के संबंध में अंशदान तथा वसूली तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	50.14	45.69	91.12
0029	भू–राजस्व	772.00	638.62	82.72
1054	सड़क तथा सेतु	605.92	489.63	80.81
0230	श्रम तथा रोजगार	40.00	31.69	79.23
0059	लोक निर्माण कार्य	60.52	46.95	77.58
1055	सड़क परिवहन	4.73	3.58	75.69
0403	पशुपालन	42.56	31.61	74.27
0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	1.70	1.10	64.71
0055	पुलिस	304.99	193.02	63.29
0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	52.86	31.36	59.33
1601	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	22,405.17	12,365.15	55.19
0220	सूचना तथा प्रचार	0.31	0.16	51.61

परिशिष्ट 3.5

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार व्यय का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष 800– अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशत
2801	ऊर्जा	5,188.63	5,188.63	100
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	464.01	464.01	100
2245	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत	454.82	454.82	100
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	190	190	100
2705	कमान क्षेत्र विकास	178.87	178.87	100
2407	बागान	5.16	5.16	100
4047	अन्य वित्तीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.54	1.54	100
2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	0.74	0.74	100
2041	वाहन कर	0.51	0.51	100
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.24	0.24	100
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	119.26	118.26	99.16
2425	स्हकारिता	1,044.17	824.56	78.97
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	779.07	590.48	75.79
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	950.92	713	74.98
2700	मुख्य सिंचाई	450.05	331.94	73.76
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	92.79	65.16	70.22
2501	ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	66.26	43.69	65.94
2405	मछली पालन	55.42	36.06	65.07
2230	श्रम तथा रोजगार	1,983.46	1,185.04	59.75
3454	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	126.92	65.65	51.73

परिशिष्ट 4.1

31 मार्च 2014 को आरक्षित निधियों की वित्तीय स्थिति का सार

(संदर्भः प्रस्तर 4.5; पृष्ठ 63)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विवरण	अवशेष
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ		
	8115–मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि	
1	103–मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	6,290.11
	105–मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–निवेश लेखा	4,441.57
	8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि	
2	102–कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50
3	111–आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19
	योग – ब्याज वाली आरक्षित निधि (सकल)	**6,416.80**
	योग – ब्याज वाली आरक्षित निधि (निवेश)	**4,441.57**
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ		
	8222–सिकिंग फण्ड	
4	01–ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101–सिंकिंग फण्ड	40,25,270.93
	8223–अकाल राहत निधि	
5	101–अकाल राहत निधि	931.51
	102–अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	78.01
	8225–सड़क तथा सेतु निधि	
6	101–राज्य सड़क तथा सेतु निधि	2,15,744.65
	8226–मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि	
7	102–मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–सरकारी अवाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	5,931.77
	8229–विकास तथा कल्याण निधि	
8	101–शिक्षा प्रयोजनों के लिये विकास निधि	4,327.38
9	102–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84
10	105–चीनी विकास निधि	1,000.00
11	106–औद्योगिक विकास निधि	3,022.38
12	109–सहकारी विकास निधि	4.77
13	200–अन्य विकास तथा कल्याण निधि	99,918.58
	8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	
14	101–सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	498.54

15	102–जमींदारी उन्मूलन निधि	707.98
16	103–धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79
17	105–सामान्य बीमा निधि	27.78
18	111–राज्य आपदा मोचन निधि	19,089.44
19	200–अन्य निधि	8,388.58
	योग– बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि (सकल)	**43,85,986.72**
	योग– बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि (निवेश)	**78.01**
	कुल योग – आरक्षित निधि (सकल)	**43,92,403.52**
	कुल योग – आरक्षित निधि (निवेश)	**4,519.58**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

परिशिष्ट 4.2(अ)

31 मार्च 2014 को संचालित आरक्षित निधियाँ

(संदर्भः प्रस्तर 4.5; पृष्ठ 64)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विवरण	अवशेष
(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ		
	8115–मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि	
1.	103–मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	6,290.11
	105– मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–निवेश लेखा	4,441.57
	योग– ब्याज वाली आरक्षित निधि (सकल)	**6,290.11**
	योग– ब्याज वाली आरक्षित निधि (निवेश)	**4,441.57**
(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ		
	8222–सिकिंग फण्ड	
2.	01–ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101–सिंकिंग फण्ड	40,25,270.93
	8225–सड़क तथा सेतु निधि	
3.	101–राज्य सड़क तथा सेतु निधि	2,15,744.65
	8226–मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि	
4.	102–मूल्य ह्रास आरक्षित निधि–सरकारी अवाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	5,931.77
	8229–विकास तथा कल्याण निधि	
5.	101–शिक्षा प्रयोजनों के लिये विकास निधि	4,327.38
6.	102–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84
7.	200–अन्य विकास तथा कल्याण निधि	99,918.58
	8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	
8.	101–सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	498.54
9.	111–राज्य आपदा मोचन निधि	19,089.44
10.	200–अन्य निधि	8,388.58
	योग – बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि (सकल)	**43,80,258.71**
	योग – बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि (निवेश)	**0.00**
	कुल योग – आरक्षित निधि (सकल)	**43,86,548.82**
	कुल योग – आरक्षित निधि (निवेश)	**4,441.57**

(स्रोतः वित्त लेखे)

परिशिष्ट 4.2(ब)

31 मार्च 2014 को असंचालित आरक्षित निधियाँ

(संदर्भः प्रस्तर 4.5; पृष्ठ 64)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विवरण	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियां	संवितरण	अंतिम अवशेष	असंचालन की अवधि
(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ						
8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि						
1	102–कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	0.00	0.00	120.50	2000-01 to 2013-14
2	111–आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19	2000-01 to 2013-14
	योग (अ)	**126.69**	**0.00**	**0.00**	**126.69**	
(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ						
8223–अकाल राहत निधि						
3	101–अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51	2003-04 to 2013-14
	102–अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	78.01	0.00	0.00	78.01	2000-01 to 2013-14
8229–विकास तथा कल्याण निधि						
4	105–चीनी विकास निधि	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2010-11 to 2013-14
5	106–औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	0.00	0.00	3,022.28	2010-11 to 2013-14
6	109–सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77	2000-01 to 2013-14
8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ						
7	102–जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78	2009-10 to 2013-14
8	103–धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79	2000-01 to 2013-14
9	105–सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78	2000-01 to 2013-14
	योग (ब)	**5,728.01**	**0.00**	**0.00**	**5,728.01**	
	योग (ब) निवेश लेखा	**78.01**			**78.01**	
	योग (अ) तथा (ब)	**5,854.70**	**0.00**	**0.00**	**5,854.70**	
	योग (अ) तथा (ब) निवेश लेखा	**78.01**			**78.01**	

(स्रोतः वित्त लेखे)

गणना का आधार

पद	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावनता	प्राचल की वृद्धि/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावनता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर/प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि) –1] x 100
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि – आकलित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टाक x ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का *प्रतिशत*	प्राप्ति ब्याज [(प्रारम्भिक अवशेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष)/2] x 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियां – लेखाशीर्ष 2048 – ऋण की कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर व्यय

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
उत्प्लावनता अनुपात	उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2010–11 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.7 का अर्थ है कि जी.एस.डी.पी. की एक *प्रतिशत* की बढ़त होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.7 *प्रतिशत* की बढ़त होगी।
कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी सामग्रियाँ जिनका उपभोग सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति करता है एवं किसी व्यक्ति द्वारा उस सामग्री के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को उस सामग्री के उपभोग पर कोई प्रभाव नही पड़ता है जैसे कानून एवं व्यवस्था का आरोहण, हमारे अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय सामग्रियां तथा सड़क अवसंरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी सामग्रियां हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुफ्त या सहायतित दरों पर इसलिए उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि लोगों अथवा संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा जिसके भुगतान के लिए उनके पास न ही क्षमता है और न ही इच्छाशक्ति। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरणार्थ गरीबों को पोषण प्रदान करने हेतु सहायतित या मुफ्त भोजन को उपलब्ध कराना, मृत्यु दर को घटाने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यो पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एव ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं से विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर व्यय है।
ऋण एवं संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को परिभाषित करता है एवं संबंधित के ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने, तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर–ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटा के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।

उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अंतर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय को विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिसमें कोई संगठन/संस्था, अशासकीय संगठनों को सम्मिलित कर राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
सिंकिंग फण्ड (शोधन निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती है। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा नियमित प्राप्त ऋणों को आंतरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकल ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों पर, रिपोर्ट की जाँच करें एवं यह समिति जिसकी जाँच करना आवश्यक समझें।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
ए सी बिल	सार आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुधार पथ
एफ आर बी एम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विवरण
एन पी आर ई	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख–रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी आर आई	पंचायती राज संस्थायें
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक सेवा व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	तेरहवां वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण–पत्र
यू एल बी	नगरीय स्वायत्त निकाय